www.rajsevak.com

मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 52 अगस्त, 2011 अंक : 2

प्रकाशन तिथि : 2 अगस्त, 2011

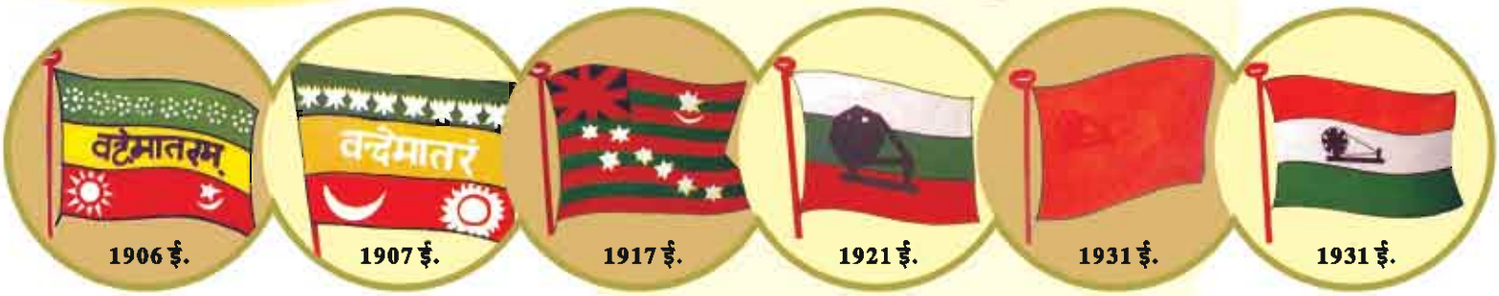

मूल्य : 10 रुपये

17 वाँ राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह - 28 जून 2011

आयोजन स्थल : बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर

माँ सरस्वती, महाराणा प्रताप तथा भामाशाह के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करते माननीय अतिथि एवं अधिकारी महानुभाव।

सम्मानित भामाशाहों एवं प्रेरकों के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रकाशित पुस्तिका का लोकार्पण करते माननीय अतिथि एवं अधिकारी महानुभाव।

सम्मान समारोह में उद्बोधन देते हुए (दाएं से) माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल, संस्कृत शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा राज्यमंत्री श्री मांगीलाल गरासिया, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा श्री अशोक सम्पतराम एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीना प्रधान।

समारोह में उपस्थित भामाशाह, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी महानुभाव। इस सम्मान समारोह में 53 भामाशाहों एवं 14 प्रेरकों को सम्मानित किया गया।

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 52 अंक : 2

अगस्त, 2011

प्रकाशन तिथि : 2 अगस्त, 2011

प्रधान सम्पादक
भास्कर ए. सावन्त

●

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

●

सहायक
लक्ष्मी नारायण शर्मा
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा
  - शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
  - संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट **आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते

श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

जय-जय राजस्थान	5	**दिशाकल्प**
झण्डा ऊँचा रहे हमारा	6	**संकलित**
श्रीकृष्ण का शिक्षा दर्शन	8	**विनोबा भावे**
श्री अरविन्द का शिक्षा दर्शन	10	**डॉ. जगदीश चन्द्र व्यास**
नीलबाग, पहल और श्रम की सामाजिकता	12	**शिवरतन थानवी**
बाल पुस्तकालय याने बालक का मन्दिर	14	**रामनरेश सोनी**
महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता	16	**डॉ. गुर प्यारी सतसंगी**
शिक्षा का सार्वजनीकरण : समस्या एवं समाधान	18	**मूलचन्द सैनी**
विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्टता प्राप्ति के सात सरल नियम	19	**ब्रिगेडियर करण सिंह चौहान**
उत्तरदायित्व का आत्मबोध	20	**रूपनारायण काबरा**
बापू की सीख-3 अदल इन्साफ	21	**मो.क. गाँधी**
विद्यार्थियों के लिए टिप्स	22	**परबत सिंह राठौड़**
माध्यमिक कक्षाओं में कालांश व्यवस्था	31	**हरिनारायण पालीवाल**
वृक्षों की महिमा	32	**ओमप्रकाश सारस्वत**
स्वतन्त्रता के लिए शिक्षा	34	**विजय आचार्य**
हॉकी विजार्ड ने देश को दिए कई अवार्ड	35	**सुभाष चन्द्र कस्वाँ**
विद्यालय विकास में संस्था प्रधान की भूमिका	36	**मन्जू वर्मा**
मानवीय करुणा की दिव्य महक	37	**सर्वेश्वरदयाल सक्सेना**
साक्षरता एवं लिंगानुपात : एक समीक्षा	39	**रमेश कुमार शर्मा**
बोधगम्य अवधि है विश्रान्ति	40	**श्रीराम चौधरी**
नैतिक शिक्षा की अवधारणा	43	**नारायणराम कौशिक**
कर्मवीर के साथ दानवीर भी बनें	50	**प्रतिध्वनि**

विशेष रपट

राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, 2011
माई जण अेड़ा जणै, कै दाता के सूर पृ.सं. 46
लक्ष्मीनारायण शर्मा

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र -23-30/चतुर्दिक - 41/
पुस्तक परिचय - 44/भामाशाह - 48

आवरण

नभांशु श्रीमाली

पाठक पीठ

शिविरा मई-जून, 2011 का अंक रवीन्द्र नाथ टैगोर को समर्पित कर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है। सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इस अंक में विषय चयन की विविधता में एकता का अनुभव हो सका है। रवीन्द्र के साथ गाँधी भी है और टैगोर का प्रथम हिन्दी भाषण भी, वह भी अविकल। आपने गागर में सागर भर दिया है। बधाई।

– डॉ. राजेन्द्र मोहन भटनागर, उदयपुर

शिविरा में नित नया देख मन मयूर स्वतः नाचने लगता है। मुखपृष्ठ पर प्रकाशन तिथि, पूरे पृष्ठ का दिशाकल्प, आदेश परिपत्र रंगीन पृष्ठों में आकर्षक रहे। आयुक्त महोदय के दिशाकल्प ने प्रेरणा भरने के साथ दायित्व निर्वहन के प्रति सजग किया। सभी आलेख पठनीय होने के साथ-साथ कंठस्थ करने लायक। शिविरा विचारमंच स्तम्भ अत्यधिक उपलब्धिपूर्ण। पाठक पीठ लम्बा होना अखरा। कुल मिलाकर जुलाई अंक इस वर्ष के लिए ही नहीं, कई वर्षों हेतु संग्रहणीय बन पड़ा है।

– छगनलाल व्यास, खांडप (बाड़मेर)

दिशाकल्प में आयुक्त महोदय के आह्वान ने शिक्षा जगत को नई ऊर्जा, उत्साह व उमंग से सराबोर कर दिया। सत्र की शानदार शुरुआत के दृष्टिगत सारगर्भित चरणबद्ध बिन्दुओं की सहज एवं सरल व्याख्या निश्चित रूप से प्रेरणादायक सिद्ध होगी।

– परमिनास मैथ्यू, दादिया त. गोगुन्दा (उदयपुर)

शिविरा के नये आकर्षक रूप, मनभावन प्रकाशन के लिए बधाई। ज्ञानवर्द्धक लेख, आकर्षक मुखपृष्ठ तथा अन्तिम पृष्ठ पर ऐतिहासिक निदेशालय भवन का सचित्र विवरण पढ़कर मन विभोर हो गया। सम्पादक मण्डल को धन्यवाद।

– नारायण लाल टाक 'माली', बीकानेर

शिविरा जुलाई 2011 अंक में प्रवेश उत्सव है, बच्चों का स्वागत लेख में लेखक का प्रयास स्तुत्य है। वास्तव में शिक्षक में मातृहृदय होना अपेक्षित है। ऐसा सुन्दर लेख छापने के लिए शिविरा का आभार।

– अम्बालाल स्वर्णकार, जूनियाँ (अजमेर)

शिविरा जुलाई 2011 अंक में आयुक्त महोदय ने दिशाकल्प के माध्यम से शिक्षा के संक्रान्तिकाल में शिक्षकों को करणीय कार्य का सारगर्भित संदेश दिया है, तद्नुसार पूरे सत्र हेतु दिशाबोध हुआ है, जो सराहनीय है। प्रतिध्वनि के माध्यम से शिक्षकों को हिम्मत बँधाते हुए वर्तमान परिस्थितियों से जूझने की प्रेरणा देने के लिए सम्पादक मण्डल बधाई का पात्र है।

– बजरंग प्रसाद मजेजी, सांपला (अजमेर)

शिविरा जुलाई 2011 का अंक देखा तो भरोसा नहीं हो पाया। क्या यह वही शिविरा है ? नहीं, आपने तो इसका रूप ही बदल दिया। प्रस्तुति के स्तर पर यह वाकई नयनाभिराम है और मन को मोहने वाली भी। आपकी सकारात्मक 'प्रतिध्वनि' तो हर कोई सुन सकता है। पूरे सम्पादकीय विभाग को दिल से बधाई।

– रवि पुरोहित, बीकानेर

जुलाई 2011 का अंक मन को बहुत भाया। श्रीमान् आयुक्त महोदय ने अच्छी शुरुआत की प्रेरणा दी। प्रतिध्वनि में अभावों की हार के जरिए दृढ़ निश्चय की जयकार को सिद्ध किया है, वहीं दीये और तूफान की कहानी से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इससे हमारे चिन्तन को नई दिशा मिली है।

– डॉ. मनोरमा अय्यर, उदयपुर

नामांकन अभियान एवं प्रवेशोत्सव के विभिन्न आयामों से भरपूर शिविरा जुलाई 2011 का अंक मन को भाया। दिशाकल्प, निरीक्षण योजना, छात्रवृत्तियाँ, घर-घर अलख जगाएंगे, होगी शिक्षा सबके पास एक दिन, रचनाएं अच्छी लगीं। पूरा अंक संग्रह योग्य है।

– रेणु मिश्रा, डाइट, अलवर

शिविरा जुलाई 2011 आद्योपांत पढ़कर लगा कि गत वर्षों की तुलना में कितनी निखर गई है शिविरा। 'दिशाकल्प' से 'प्रतिध्वनि' तक अक्षरशः पठन एवं चिन्तन में कब संध्या हो गई, पता ही नहीं चला। 'बापू की सीख' शृंखला एक उत्कृष्ट पहल है। इससे शिविरा का प्रत्येक अंक संग्रहणीय हो जाएगा।

– कमल कुमार जांगिड़, कूकड़ोद (अजमेर)

जुलाई, 2011 की शिविरा पंचांग के साथ ऑनलाइन पाकर बड़ी खुशी हुई। दूरदराज के विद्यालय, जहाँ डाक समय पर नहीं पहुँच पाती, वहाँ के पाठकों को अप-टू-डेट रखने के लिए ऑनलाइन शिविरा वरदान की तरह है। हार्दिक आभार।

– पुनामाराम चौधरी, बाड़मेर

चिन्तन

विवेको जीवितं दीर्घं धर्मकामार्थसम्पदः।
सर्वं तेन भवेद् दत्तं छात्राणां पोषणे कृते॥

– भविष्यपुराण 174/19

विद्यार्थियों का पोषण करने वाले को विवेक (ज्ञान), दीर्घायु, धर्म, काम और सभी सम्पत्तियों के देने का फल मिल जाता है। इसलिए जितना हो सके विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए।

सत्यमेव जयते

भास्कर ए. सावन्त
आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा

नामांकन अभियान में प्राप्त उपलब्धि को मजबूती प्रदान करने के लिए अब अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में अधिकारियों एवं शाला प्रबंधन समितियों के स्तर से सतत निरीक्षण, प्रबोधन, मार्गदर्शन एवं निर्देशन की आवश्यकता है। ये निरीक्षण एवं सम्पर्क शिक्षकों, शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों को सहयोग एवं सम्बल प्रदान करने के मंगल उद्देश्य से किए जाने चाहिए।

दिशाकल्प

जय-जय राजस्थान

सर्वप्रथम भारत के 65वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिविरा के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों एवं कर्मचारियों-अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

प्रदेश में पिछले पूरे माह, एक जुलाई से 31 जुलाई तक बालक-बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए नामांकन अभियान चलाया गया। नामांकन अभियान में प्राप्त उपलब्धि को मजबूती प्रदान करने के लिए अब अनुवर्ती कार्यवाही (Follow up) के रूप में अधिकारियों एवं शाला प्रबंधन समितियों के स्तर से सतत निरीक्षण, प्रबोधन, मार्गदर्शन एवं निर्देशन की आवश्यकता है। ये निरीक्षण एवं सम्पर्क शिक्षकों, शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों को सहयोग एवं सम्बल प्रदान करने के मंगल उद्देश्य से किए जाने चाहिए, मगर जहाँ आवश्यक लगे, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। इससे न केवल नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित होगा अपितु आनन्ददायक शिक्षा का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

नामांकन अभियान अपने आपमें एक अनूठा अभियान था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री से लेकर सभी स्तर के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभिभावकों एवं कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार स्कूल नहीं जा रहे बालक-बालिकाओं को स्कूलों में नामांकित करवाकर नामांकन-यज्ञ में अपनी आहुति दी। नामांकन अभियान में निःसंदेह सर्वोपरि महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकवृंद की ही रही है।

गत माह 11 जुलाई 2011 को एक और अद्वितीय कार्य राजस्थान में हुआ। इस दिन राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड संगठन के तत्वावधान में एक साथ प्रदेश के सभी स्थानों पर सघन वृक्षारोपण किया गया। इस प्रकार लगाए गए वृक्षों की संख्या लगभग ग्यारह लाख है। इस मनोरम एवं मनभावन आयोजन के साक्षी बनने वाले महानुभाव उस समय के दृश्यों का स्मरण कर हर्षित व रोमांचित हो जाते हैं।

नव पल्लवित पौधों को अपना स्नेह - संरक्षण, जलसिंचन एवं सुरक्षा के रूप में देने का कार्य तो बाल सेना ही कर सकती है जिसके कमाण्डर शिक्षक हैं। शिक्षकों एवं बालकों से मेरा अनुरोध है कि वे इस वृक्षारोपण को सफलीभूत करने के लिए कोई कसर नहीं रखें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मरु राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अपनी भूमिका प्रमाणित करें। शिक्षित राजस्थान और हरित राजस्थान के सूत्रों में राज्य की समृद्धि व खुशहाली निहित है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक व शिक्षार्थियों की सम्मिलित ताकत के बल पर हम सर्व शिक्षा एवं हरित राजस्थान के अभियानों में निश्चय ही सफलता हासिल करेंगे और यह संयुक्त सफलता हमारे प्यारे प्रदेश को विकसित एवं उन्नत राज्यों में स्थापित करने वाली सिद्ध होगी। आइये मिलकर उद्घोष करें– **जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।**

(भास्कर ए. सावन्त)

राष्ट्र ध्वज के उद्भव तथा अधिग्रहण की कथा निस्संदेह आकर्षक है। व्यक्तिगत विचारों तथा जातिगत व राजनैतिक विचारधाराओं ने राष्ट्र ध्वज के वर्तमान स्वरूप की संकल्पना तथा परिकल्पना को स्पष्टतः प्रभावित किया है।

यह प्रमाणित नहीं है, पर सामान्यतः ऐसा विश्वास है कि राष्ट्र ध्वज के प्रथम डिजाइन में तीन समस्तर पट्टियाँ थीं। मध्य की पीले रंग की पट्टी पर देवनागरी लिपि में नीले रंग से *वन्दे मातरम्* लिखा था। सबसे ऊपरी पट्टी हरे रंग की थी, जिस पर कमल के आठ पुष्प अंकित थे और नीचे की लाल पट्टी पर बायीं ओर श्वेत सूर्य तथा दायीं ओर एक श्वेत अर्धचन्द्र और तारा अंकित था।

राष्ट्रध्वज का प्रथम डिजाइन, 1906 ई.

कुछ विद्वानों का दावा है कि कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर 7 अगस्त, 1906 ई. को फहराये गये ध्वज पर कोई तारा अंकित नहीं था।

ध्वज के विकास की कहानी में हम एक अन्य ध्वज का संदर्भ पाते हैं, जिसे मैडम भीकाजी कामा और उनके निर्वासित क्रान्तिकारी दल द्वारा स्टुटगार्ट, जर्मनी में सन् 1907 में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया। कुछेक परिवर्तनों को छोड़ कर, यह झण्डा पहले झण्डे से मिलता-जुलता था। आठ कमल-पुष्पों की परिकल्पना भिन्न थी। निचली लाल पट्टी पर अंकित सूर्य को ध्वज के दायीं ओर तथा अर्धचन्द्र को बायीं ओर अंकित कर दिया गया था। अर्धचन्द्र पर कोई तारा अंकित नहीं था।

मैडम कामा ध्वज, स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया, 1907 ई.

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा

झण्डा ऊँचा रहे हमारा

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा देश के राष्ट्रीय प्रतीकों पर लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं हैं। इन महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं में राष्ट्रध्वज शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका में राष्ट्रध्वज के उद्भव तथा अधिग्रहण की क्रमवार कहानी बहुत रोचक तरीके से कही गई है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया था। स्वतंत्रता दिवस 2011 के अवसर पर सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित लघु पुस्तिका से यह आलेख साभार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मुखावरण पर दिए ध्वज चित्र भी इसी पुस्तिका से लिए गए हैं। –व.सं.

गुजरात के समाजवादी नेता इंदुलाल याज्ञनिक द्वारा यह ध्वज भारत में चुपके से लाया गया था।

सन् 1917 में जब गृह शासन आन्दोलन के दौरान लोकमान्य तिलक तथा डा. एनी बेसेण्ट द्वारा तीसरा ध्वज फहराया गया, उसके पहले ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इस ध्वज में पाँच लाल तथा चार हरी समस्तर पट्टियाँ एकान्तर से व्यवस्थित की गई थीं, जिस पर सप्तऋषि की आकृति में सात तारे बने हुए थे। सबसे ऊपरी बायें कोने पर ब्रिटिश ध्वज और ऊपरी दायें कोने पर एक श्वेत अर्धचन्द्र व तारा अंकित था। ब्रिटिश ध्वज को शामिल करना स्वामित्व की स्थिति के ध्येय को प्रतीक स्वरूप प्रस्तुत करना था। अतः इसे बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

लोकमान्य तिलक एवं डा. एनी बेसेण्ट द्वारा 1917 ई. में फहराया गया ध्वज

सन् 1921 में बेज़वाड़ा (वर्तमान विजयवाड़ा) में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक ध्वज की परिकल्पना तैयार कर उसे महात्मा गांधी को दिखाया। इसमें दो रंग थे- हरा तथा लाल। प्रगति का परिचायक एक बड़ा-सा चरखा भी अंकित था। गांधीजी ने इसमें एक श्वेत पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। तत्पश्चात् इस ध्वज में तीन रंग हो गए- सफेद, हरा तथा लाल और बीचोंबीच नीले रंग से चरखे की आकृति इस पर अध्यारोपित कर दी गई।

महात्मा गाँधी द्वारा 1921 ई. में अनुमोदित तिरंगा

इस ध्वज का सन् 1931 तक सम्पन्न सभी कांग्रेस अधिवेशनों में उपयोग किया गया, हालांकि कांग्रेस के एक आधिकारिक ध्वज के रूप में इसकी स्वीकृति का कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 1931 ई. में प्रस्तावित ध्वज

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सन् 1931 में करांची (अब पाकिस्तान में) में सम्पन्न बैठक में एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किया गया, जो आधिकारिक रूप से कांग्रेस को स्वीकार्य हो। ध्वज में निर्धारित रंगों के साम्प्रदायिक अर्थ प्रतिपादन के कारण पहले ही ध्वज में प्रयुक्त रंगों के महत्त्व पर पर्याप्त बहस हो चुकी थी।

कांग्रेस द्वारा नियुक्त सात सदस्यों की एक समिति ने सादे केसरी ध्वज का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसके ऊपरी बायें कोने पर लालिमा युक्त भूरे रंग से चरखे की आकृति बनी हुई थी। इसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अस्वीकार कर दिया था।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा
झण्डा ऊँचा रहे हमारा

हमें याद रखना चाहिए कि वर्ष 1931, ध्वज के विकास के इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना थी। इस वर्ष तिरंगे ध्वज का हमारे राष्ट्र ध्वज के रूप में अभिग्रहण किए जाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित किया गया।

वर्ष 1931 में राष्ट्र ध्वज के रूप में कांग्रेस की आधिकारित स्वीकृति प्राप्त ध्वज

केसरिया, श्वेत तथा हरी पट्टियों से युक्त तिरंगे को स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि इन रंगों का कोई साम्प्रदायिक महत्त्व नहीं है और इसके अर्थ को निम्न रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए–

केसरिया-हिम्मत और त्याग
श्वेत-सत्य और शान्ति
हरा-विश्वास और शौर्य

इस ध्वज की श्वेत पट्टी पर गहरे नीले रंग में चरखे की एक आकृति अध्यारोपित थी। इस ध्वज का आकार तीन चौड़ाई गुणा दो चौड़ाई था। इस प्रस्ताव को पहली बार राष्ट्र ध्वज के रूप में कांग्रेस की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की गई।

संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई, 1947 को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृत ध्वज

संविधान सभा ने 22 जुलाई, 1947 ई. को इस ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। रंग पहले वाले ही रहे तथा ध्वज पर प्रतीक स्वरूप सम्राट अशोक के धर्मचक्र ने चरखे का स्थान ले लिया। यह प्रस्ताव संविधान सभा में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

"हम कृतसंकल्प हैं कि भारत का राष्ट्र ध्वज समस्तर होगा, जिसमें गहरा केसरी, श्वेत व गहरा हरा रंग समानुपातिक रूप में होगा। श्वेत पट्टी के मध्य में चरखे को प्रस्तुत करने के लिए गहरे नीले रंग में एक चक्र होगा। चक्र की यह परिकल्पना सारनाथ स्थित सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तम्भ की कंगनी के शीर्ष फलक पर दिखाई देती है। चक्र का व्यास लगभग श्वेत पट्टी की चौड़ाई के बराबर ही होगा। ध्वज की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात सामान्यतः 2'×3' होगा।"

ये तिरंगा हमारा प्राण है
हमारी आन है, हमारी शान है

पंडित नेहरु द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत ध्वजचक्र एक समकोणात्मक फलक था, जो तीन समकोणात्मक पट्टियों अथवा समान चौड़ाई वाली उप-पट्टियों से बना था। सबसे ऊपरी पट्टी केसरी और नीचे की पट्टी हरे रंग की थी। बीच की पट्टी श्वेत थी, जिसके मध्य में गहरे नीले रंग से अशोक चक्र की परिकल्पना अध्यारोपित थी। ऐसा सुझाव दिया गया था कि सभी परिस्थितियों में चक्र को ध्वज के दोनों ओर स्क्रीन प्रिन्टिंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा दोनों ओर चक्र को मुद्रित, स्टेंसिल अथवा कशीदाकारी द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। ध्वज के लिए प्रयुक्त किए गए वस्त्र का ही अध्यारोपण हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

"झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक अनिवार्यता है। लाखों इसके लिए मर चुके हैं। निस्संदेह यह एक प्रकार की मूर्तिपूजा है जिसको खण्डित करना एक पाप होगा। क्योंकि, झंडा एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। यूनियन जैक के फहराने से अंग्रेजों के हृदय उन भावों से उद्वेलित हो उठते हैं जिनकी गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। अमेरिकनों के लिए तारों और पट्टियों का झंडा अत्यंत व्यापक अर्थों से युक्त है। दूज का चांद और सितारा इस्लाम के श्रेष्ठतम शौर्य की याद दिलाता है।

हम भारतीयों-हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी तथा अन्य सब जिनका घर भारत है– के लिए यह आवश्यक है कि हम एक ही झंडा स्वीकार कर लें और उसी के लिए जियें तथा मरें।" *–महात्मा गांधी*

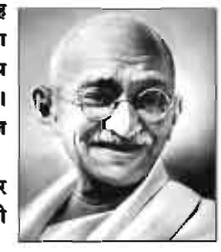

अपने लक्ष्य के प्रति अदम्य विश्वास से प्रेरित दृढ़ संकल्पी लोगों का एक छोटा सा समूह भी इतिहास का प्रवाह बदल सकता है। *– महात्मा गांधी*

***

हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, लेकिन कोई भी अपने आप को बदलने की नहीं सोचता। *– लियो टालस्टाय*

***

जंजीरें, जंजीरें ही हैं, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, वे समान रूप से तुम्हें गुलाम बनाती हैं। *– स्वामी रामतीर्थ*

कुरुक्षेत्र में भगवद्गीता

भगवान् ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में 'भगवद्गीता' कही। पहले भगवद्गीता के 'क्लास' लेकर फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेला। तभी उसे वह गीता पची। हम जिसे 'जीवन की तैयारी का ज्ञान' कहते हैं, उसे जीवन के बिलकुल अलिप्त रखना चाहते हैं। इसलिए उक्त ज्ञान से मौत की ही तैयारी होती है।

कृष्ण-सुदामा का प्रतीक

सर्वोदय में यह दृष्टि है कि सारा गाँव अपने पूरे जीवन की समस्याएँ अपने बल हल करे। इस वास्ते गाँव की कुल दौलत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि गाँव की बननी चाहिए। तभी गाँव के सब बच्चों के लिए समान तालीम की योजना बन सकती है। हरएक को समान रूप से पौष्टिक और सात्त्विक खुराक अगर हम नहीं दे सकते, तो समान रूप से हम तालीम क्या दे सकेंगे? सुदामा गरीब ब्राह्मण का लड़का था और श्रीकृष्ण था राजा का लड़का। दोनों गुरु के घर गये थे। दोनों को समान खुराक मिलती थी, दोनों को समान ही परिश्रम का काम मिलता था और दोनों को समान ही विद्या दी गयी थी। अगर किसी गाँव में हमारा विद्यालय खुल जाय, जहाँ एक लड़का है गरीब का, जो फटे कपड़े से आता है और दूसरा अच्छे कपड़े से आता है, एक लड़का है, जिसे सुबह खाने को नहीं मिलता और दूसरा लड़का, जो कि बैठे-बैठे खाता है और आलसी बन गया है, तो हमारा स्कूल चलेगा कैसे? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ठीक ढंग से सबकी तालीम हो, तो उसका यही इलाज है कि गाँव का जीवन एक परिवार के समान हो और गाँव की कुल दौलत, कुल बुद्धि, कुल शक्ति सबके काम में आये।

जिसको हम नयी तालीम कहते हैं, वह उस अहिंसा में छिपी हुई है, जिसका प्रकाश भूदान और ग्रामोद्योग के जरिये फैलेगा। परमेश्वर करे कि ऐसे प्रेम, ज्ञान और वात्सल्य से भरे गुरु अपने हिन्दुस्तान के हरएक गाँव को हासिल हों !

भगवान श्रीकृष्ण का आदर्श

जैसे भगवान् कृष्ण को काम करते-करते तालीम मिली थी, वैसे ही हमारे लड़कों को मिलनी चाहिए। भगवान् कृष्ण गाय चराते थे, दूध दुहते थे, घर लीपते थे, मेहनत-मजदूरी करते थे, गुरु के घर जाकर लकड़ी चीरने का काम करते थे, अर्जुन के घोड़ों की सेवा करते थे और उसका सारथ्य भी करते थे। राजसूय-यज्ञ के समय उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से काम माँगा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आपके लिए हमारे पास काम नहीं है। लेकिन भगवान् ने कहा कि मैं बेकार नहीं रहना चाहता। युधिष्ठिर ने कहा कि आप ही अपना काम ढूँढ़ लीजिए। भगवान् ने कहा कि मैंने अपना काम ढूँढ़ लिया, जूठी पत्तलें उठाने का और गोबर लीपने का काम मैं करूँगा। मैं उस काम के लायक हूँ। मैंने बचपन से वह काम किया है और उस काम में **मैं एम.ए. हूँ।** इस तरह उन्होंने जूठी पत्तलें उठाने का काम किया, जिसका वर्णन शुकदेव ने भागवत में और व्यास भगवान् ने महाभारत में किया है, और जब मौका आया, तो कृष्ण भगवान् ने अर्जुन को ब्रह्म-विद्या का उपदेश भी दिया है, परन्तु विचार-मंथन, चर्चा आदि नहीं चलती, वह है कर्मयोग, जो आज असंख्य किसान सच्चाई से कर रहे हैं। इस तरह इधर से यह किसान और उधर से वे तत्त्वज्ञानी, दोनों मिलकर जो चीज बनती है, वह है, नयी तालीम का शिक्षक और विद्यार्थी।

गोपाल कृष्ण

इस सम्बन्ध में मैं भगवान् श्रीकृष्ण की मिसाल इसलिए देता हूँ कि उन्होंने तत्त्वज्ञान में अपने पूर्वजों का सिर्फ अनुसरण नहीं किया, बल्कि उसमें वृद्धि की। उनके पहले ज्ञानयोग चलता था, कर्मयोग चलता था और भक्तियोग चलता था। ध्यानयोग भी चलता था और गुण-विकास की प्रक्रिया भी सांख्यों ने अलग से चलाई थी। उन सब चीजों का समन्वय करके भगवान् कृष्ण ने दुनिया के सामने एक नयी चीज उपस्थित की, इसलिए हम श्रीकृष्ण को जगदगुरु कहते हैं। उन्होंने दुनिया को नयी वस्तु दी है। उन्होंने कर्मयोग किया, तो उसमें भी पहले के किसानों का और उद्योग करने वालों का न सिर्फ अनुसरण किया, बल्कि उसमें वृद्धि की। उन्होंने लोगों को इन्द्र की उपासना से हटाकर पर्वत की उपासना सिखायी। उन्होंने गायों की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाई कि हिन्दुस्तान में उनका नाम आज तक गो-सेवा के साथ जुड़ा हुआ है और एकनाथ महाराज ने तो बड़े गौरव के साथ लिखा है कि प्रभु रामचन्द्र के अवतार में सब प्रकार से पूर्णता थी, लेकिन एक कमी रह गयी थी, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया। वह कमी यह थी कि रामावतार में गायों की सेवा नहीं हो सकी थी, इसलिए उन्होंने कृष्णावतार लिया, उन्होंने समाज के कर्मयोग में गो-सेवा के रूप में वृद्धि की।

जन्माष्टमीपर्व

श्रीकृष्ण का शिक्षा दर्शन

❑ विनोबा भावे

इस माह श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है, भारत का अत्यन्त हर्ष व उल्लास का पर्व। पूरा देश श्रीकृष्ण के जन्मदिवस को मनाता है। श्रीकृष्ण 16 कलाओं में प्रवीण हैं। आचार्य विनोबा भावे श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके द्वारा लिखी 'गीता प्रवचन' गीता की बड़ी सुन्दर टीका है। आचार्य प्रवर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षण-विचार में श्रीकृष्ण और गीता के प्रसंग के साथ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ की है, जो बहुत उद्वेलनकारी एवं उपयोगी हैं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शिविरा के सुधि पाठकों की सेवा में कुछेक टिप्पणियाँ उद्धृत करते हुए हमें प्रसन्नता है। –व.सं.

गोपाल कृष्ण की स्वतन्त्र देन

भगवान कृष्ण ने तत्त्वज्ञान में, सामाजिक क्षेत्र में एक उद्योग में वृद्धि की। उन्होंने समाज को एक नया तत्त्वज्ञान दिया और एक नया कर्मयोग दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उनके तत्त्वज्ञान को पुराना आधार नहीं था और उन्होंने बिलकुल ही नयी चीज दुनिया को दी। पुराना आधार तो था ही, परन्तु नया मिष्टान्न दुनिया को दिया। उनके पहले घी था, गुड़ था और गेहूँ था, परन्तु उन्होंने उसकी नयी मिठाई बनायी। जब लड्डू बनता है, तो घी, गुड़ और गेहूँ से एक स्वतन्त्र वस्तु बनती है। उनके पहले तत्त्वज्ञान के जो मूलभूत विचार थे, उनको जोड़कर उन्होंने तत्त्वज्ञान के लड्डू बनाये। उनके पहले गाय की सेवा की कोई कल्पना न थी, ऐसी बात नहीं है। परन्तु उन्होंने गो-पूजा को स्वतन्त्र स्थान दिया। उन्होंने गाय की सेवा को उपासना का रूप दिया। हिन्दुस्तान के सामाजिक क्षेत्र में उनका यह स्वतन्त्र दान है। यहाँ पर मैं कृष्ण-चरित्र कहने नहीं बैठा हूँ। लेकिन मैंने मिसाल ऐसे शख्स की दी, जो सारा सामाजिक कार्य आध्यात्मिक दृष्टि से करता था और जिसके जीवन में ज्ञान और कर्म की दोनों धाराएँ एक हो गयी थीं।

एक माँग श्रीकृष्ण की !

जब भगवान् श्रीकृष्ण सांदीपनि के आश्रम में गये, तो 16 वर्ष के थे। तब तक वे गोकुल में गौएँ ही चराते थे, बच्चों के साथ खेलते और कंस आदि का भी काम तमाम कर चुके थे। लेकिन वसुदेव को लगा कि इतना बड़ा हो गया, फिर भी अनपढ़ ही रहा, इसे पढ़ना-लिखना आना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने उन्हें सांदीपनि के आश्रम में भेजा।

वहाँ छह महीने में वे इतनी सारी विद्या सीख गये कि सांदीपनि पहचान गये– ''यह ज्ञानी-विज्ञानी है, इसे मैं और क्या सिखा सकूँगा?'' इसलिए उन्होंने कृष्ण से कहा– ''तू जंगल में जाकर रसोई के लिए लकड़ियाँ तोड़ लाया कर।'' कृष्ण यह काम अच्छे ढंग से करते रहे। गुरु को भी सदा उनसे संतोष होता कि इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी कितनी नम्रता से रहता है।

जब कृष्ण की विद्या समाप्त हुई और वे घर लौटने लगे, तो गुरु ने कहा– ''वर माँगो।'' कृष्ण ने कहा– ''आप ही कुछ दे दीजिए।'' सांदीपनि ने कहा– ''नहीं, मेरी प्रतिष्ठा रखने के लिए ही कुछ माँग लो।'' कृष्ण ने कहा– ''ठीक !'' और उन्होंने वर माँगा– ''मातृहस्तेन भोजनम्।'' याने मरने तक मुझे माता के हाथ से भोजन मिले। उन्होंने और कोई वर नहीं माँगा। सांदीपनि ने उन्हें वह वर दे दिया। भगवान् कृष्ण 1169 वर्ष तक जीये और उनके मरने के बाद ही उनकी माँ मरी।

दूसरी माँग मेरी !

इसके विपरीत अब उन बच्चों की क्या दशा होती होगी, जिन्हें कभी भी माँ के हाथ का भोजन नसीब नहीं होता। कहीं होटल में खाते हैं या भोजनालय में। माँ के भोजन में बहुत बड़ी विद्या है। उसमें सिर्फ घी और रोटी नहीं रहती, प्रेम भी होता है। इसीलिए भगवान् ने 'मातृहस्तेन भोजनम्' यह वर माँगा। फिर भी उन्होंने यह नहीं माँगा कि 'मातृमुखेन शिक्षणम्।' याने माता के मुँह से शिक्षा मिले। उतना ही माँगना उन्होंने मेरे लिए बाकी रखा। यह बड़ी ही सुन्दर बात है– 'मातृमुखेन शिक्षणम्' और 'मातृहस्तेन भोजनम्।'

आजकल के शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं उनके साथ कुछ काम नहीं करते। ऐसे शिक्षक किसी काम के नहीं। अगर 'मातृहस्तेन भोजनम्' और 'मातृमुखेन शिक्षणम्' ये दोनों बातें एक साथ जुट जाएँ, तो हिन्दुस्तान की कला एकदम निखर उठेगी। हम दुनिया को सिखा सकेंगे। ज्ञान चारों ओर फैला पायेंगे। अपने नेताओं को भी मैं यही सुझाव दे रहा हूँ।

जीवन जीने की शिक्षा

अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ। उसका उत्तर देने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता निर्मित हुई। इसी का नाम शिक्षा है। बच्चों को खेत में काम करने दो। वहाँ कोई सवाल पैदा हो, तो उसका उत्तर देने के लिए सृष्टि-शास्त्र अथवा पदार्थ-विज्ञान की या दूसरी जिस चीज की जरूरत हो, उसका ज्ञान दो। यह सच्चा शिक्षण होगा। बच्चों को रसोई बनाने दो। उसमें जहाँ जरूरत हो, रसायनशास्त्र सिखाओ। पर असली बात यह है कि उन्हें जीवन जीने दो। व्यवहार में काम करने वाले आदमी को भी शिक्षण मिलता ही रहता है। वैसे ही छोटे बच्चों को भी मिले। भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आसपास जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन कराने वाले मनुष्य मौजूद हों। ये आदमी भी 'सिखाने वाले' बनकर 'नियुक्त' नहीं होंगे। वे भी 'जीवन जीने वाले हों' जैसे व्यवहार में आदमी जीवन जीते हैं। अन्तर इतना ही है कि इन 'शिक्षक' कहलाने वालों का जीवन विचारमय होगा, उसमें के विचार मौके पर बच्चों को समझाकर बताने की योग्यता उनमें होगी।

आदर्श शिक्षक

बुनियादी शिक्षक को यही आदर्श सामने रखना चाहिए। बुनियादी शिक्षक किसी भी किसान से, बुनकर से या बढ़ई से कम कुशल नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा कुशल होंगे। किसान, बढ़ई आदि को जो चीजें नहीं सूझती होंगी, वे इन्हें सूझेंगी। किसान, बढ़ई आदि अपने काम में जो रफ्तार हासिल नहीं कर सकते, वह रफ्तार इन्हें हासिल होगी और औजारों में सुधार करने की जो बात उन्हें नहीं सूझती होगी, वह इन्हें सूझेगी। किसान को अगर अपनी रोटी हासिल करने में आठ घंटे लगते होंगे, तो बुनियादी शिक्षक कहेगा कि यह काम चार घंटे में हो सकता है। इतनी प्रगति उसको करनी चाहिए। इन दिनों मैंने जहाँ कहीं बुनियादी शिक्षण के केन्द्र देखे हैं, वहाँ पर शिक्षक लोग कुछ उद्योग जानते हैं, परन्तु प्रतीक जैसे जानते हैं। जैसे मछली पानी में तैरती है, खेलती है, वैसे वे शिक्षक उद्योग में तैरते या खेलते नहीं। भगवान् श्रीकृष्ण योद्धा थे, तो खेलने वाले और विद्या याद आना तो दूर रहा, छड़ी निकालते ही वह भाग जाती थी। बुद्धि होने पर भी नष्ट हो जाती थी। क्या कभी विद्या इस तरह मारने से आती है ? वह तो प्रेम से समझाने से ही आती है।

इसके लिए माता के मुँह से ही ज्ञान मिलना चाहिए। याने माँ घर में उसे मेवा-मिठाई भी देगी और रसोई पकाना भी सिखायेगी। एक बार वे स्कूल में खायेंगे और दूसरी बार घर। भगवान् कृष्ण की एक कहानी सुनिये।

ब्रह्मविद्या और उद्योग

आज तालीम देनेवाला कुर्सी पर बैठता है, लेनेवाला बेंच पर और पुस्तक के जरिये पाठ पढ़ाया जाता है। इस तरह की तालीम पानेवाला कोई भी काम करने के लिए नालायक बन जाता है। आज सारे लड़के रसोई बनाना नहीं जानते। वे समझते हैं कि यह तो हीन काम है, स्त्रियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम खाने का है। इसलिए हम उच्च हैं। हम ऐसी तालीम देना चाहते हैं, जिसमें लड़कों को रसोई का ज्ञान हासिल होगा। इन दिनों स्कूलों को गर्मी के दिनों में छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि वे गर्मी सहन नहीं कर सकते। इस तरह जो गर्मी और बारिश सहन नहीं कर सकते, वे खेत में कैसे काम करेंगे?

श्री अरविन्द का शिक्षा दर्शन

❑ डॉ. जगदीश चन्द्र व्यास

श्री अरविन्द भारत के आध्यात्मिक जगत् के एक देदीप्यमान नक्षत्र हैं। भारतवर्ष के चिरंतन प्रकाश स्तम्भों में श्री अरविन्द का उच्च स्थान है। वे एक उत्कृष्ट शिक्षाविद्, क्रान्तिकारी, राष्ट्रभक्त, कवि, चिन्तक, अध्यात्म के प्रणेता और समस्त मानवजाति के परम हितैषी थे। इन सभी में अपना श्रेष्ठ स्थान रखते हुए भी वे मुख्य रूप से उच्चतम कोटि के ऋषि, योगेश्वर और गुरु थे। वे पृथ्वी पर दिव्य जीवन के सर्जन हेतु अवतरित हुए थे।

श्री अरविन्द का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता में हुआ। 15 अगस्त, बाद में देश की आजादी का दिवस भी बना। 15 अगस्त का भारतीय स्वाधीनता दिवस भी हो जाना कोई आकस्मिक संयोग नहीं था, वरन् जिस कार्य को लेकर श्री अरविन्द ने अपना जीवन आरम्भ किया था, उसे उनका पथ-प्रदर्शन करने वाली भागवती शक्ति ने इस तरह मंजूर कर लिया, और उस पर मुहर भी लगा दी।

सन् 1879 में जब वे मात्र सात वर्ष के थे, उन्हें दो बड़े भाइयों के साथ शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड भेज दिया गया, जहाँ वे 14 वर्ष तक रहे। आरम्भ में मांचेस्टर के एक परिवार में रहकर उनका पालन-पोषण और प्रारम्भिक शिक्षा हुई। बाद में सन् 1884 में उनका प्रवेश लंदन के सेंट पॉल स्कूल में हुआ। सन् 1890 में वे एक उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति के साथ केम्ब्रिज के प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज में प्रविष्ट हुए। वहाँ दो वर्ष तक उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त की। इस अध्ययनकाल में श्री अरविन्द यूरोप की आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन संस्कृति से भलीभाँति परिचित हो गए। ग्रीक तथा लेटिन भाषाओं में उन्होंने अपनी पैठ बनाई। फ्रेंच तो बचपन में ही अंग्रेजी भाषा के साथ सीख ली थी। फिर व्यक्तिगत प्रयास से जर्मन और इटैलियन भाषाएँ भी सीखीं और गोएते व दाँते के मूल साहित्य का अध्ययन कर लिया। सन् 1890 में उन्होंने आई.सी.एस. की खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी पास कर ली। किन्तु दो वर्ष के परिवीक्षा (प्रोबेशन) काल के पश्चात् वे घुड़सवारी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए और भारतीय प्रशासनिक सेवाक्रम से स्वयं को अलग ही रखा। उसी अवधि में बड़ौदा राज्य के शासक गायकवाड़ महाराज भी लंदन में थे। संयोगवश श्री अरविन्द की उनसे भेंट हो गई और उन्होंने

श्री अरविन्द को अपने राज्य में नियुक्ति प्रदान की। भारत आगमन से पहले उन्होंने प्राचीन यूनान तथा आधुनिक यूरोप की संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। इंग्लैण्ड में 14 वर्ष की शिक्षण अवधि पूरी कर 21 वर्ष की वय में सन् 1893 में वे अपनी मातृभूमि लौटे। बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर पांव रखते ही उन्हें अपार शान्ति की अनुभूति हुई, जिसे वे लम्बे समय तक विस्मृत नहीं कर सके।

श्री अरविन्द सन् 1893 से 1906 तक, तेरह वर्ष बड़ौदा में रहे। वे आरम्भ में राजस्व विभाग में तथा महाराज के मंत्रालय में रहे, उपरांत बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी व फ्रैंच के प्रोफेसर और अंत में उसी कॉलेज के उपप्रधानाचार्य रहे। इन तेरह वर्षों में उन्होंने विपुल साहित्य सर्जन किया, भारतीय साहित्य और संस्कृति का विशेष संधान किया। इंग्लैण्ड में अपने पिता के विचारों के अनुसार उन्होंने केवल पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी जिसमें भारतीय चिन्तन अथवा संस्कार का कोई भी पुट नहीं था। बड़ौदा में उन्होंने इस कमी की पूर्ति कर ली, संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाएं सीखीं और भारतीय आध्यात्मिक परम्परा का गहन अध्ययन कर उसे पूर्णरूपेण आत्मसात् कर लिया। साथ ही राजनैतिक गतिविधियों में संभागित्व प्रारम्भ किया। सन् 1904 में श्री विष्णुभास्कर लेले से उन्होंने योग के गुर सीखे। अनायास ही उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई, जिसकी पूर्णता बहुत बाद में हुई।

इसी दौरान सन् 1905 में बंग विभाजन के विरुद्ध आन्दोलन छिड़ गया और वे बड़ौदा की सेवा का परित्याग कर कलकत्ता चले गए। वहाँ उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज में अल्प वेतन पर प्रिंसीपल का पद स्वीकार किया और खुलकर राजनीति के क्षेत्र में कूद पड़े। 'वन्दे मातरम्' पत्रिका में उनके जोशीले क्रांतिकारी लेख छपने लगे। उन दिनों कांग्रेस नरम दल वाली संस्था थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविन्द एवं अन्य कई भारतीय क्रांतिकारी विचारों वाले थे, परिणामतः 'नेशनल पार्टी' की स्थापना की गई, जिसके बेनर तले पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, असहयोग आन्दोलन, राष्ट्रीय शिक्षण पद्धति, स्वदेशी आदि कार्यक्रम निर्धारित किए गए। परन्तु श्री अरविन्द अधिक समय तक राजनीति के क्षेत्र में नहीं रह सके। विधि ने उनके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था।

सन् 1908 के मई माह के एक दिन श्री अरविन्द अभी सो रहे थे कि हाथों में रिवाल्वर लिए पुलिस घर में घुस आई। उन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल की एक छोटी सी कोठरी में एकाकी रखा गया। वहाँ श्री अरविन्द की जेल-साधना रंग लाई। उन्हें अनुभूति हुई कि सारा माहौल कृष्णमय था। दीवार, जाली, वृक्ष, कम्बल आदि सभी में कृष्ण विद्यमान थे। श्रीकृष्ण ने श्री अरविन्द के हाथों में गीता दे दी। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका चयन किसी और कार्य के लिए हुआ है, कारावास तो अल्पकालिक है। एक वर्ष बाद वे अलीपुर जेल से छोड़ दिए गए। दुबारा गिरफ्तार हों उसके पहले ही वे अपने इष्ट के निर्देश के अनुसार फ्रांसीसी बस्ती चन्द्रनगर चले गए। चन्द्रनगर से वे पांडिचेरी पहुँचे, जो 50 वर्षों तक उनकी साधनास्थली रही।

पांडिचेरी श्री अरविन्द की तपोभूमि थी। यहाँ उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया, वह था जीवनव्यापी अध्यात्म की गहराई में उतर कर पूर्ण योग के सिद्धांत का उद्घाटन और उसकी प्रतिष्ठा करना, ताकि मानव जीवन का रूपान्तरण हो सके।

श्री अरविन्द ने 'आर्य' पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने दिव्य जीवन, योग समन्वय, गीता निबन्ध, उपनिषद्, वेद रहस्य, भारतीय संस्कृति आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। चौबीस हजार पंक्तियों में रचित उनका 'सावित्री' महाकाव्य अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा और अद्वितीय महाकाव्य है।

इस महायोगी अवतारी पुरुष ने 5 दिसम्बर, 1950 को देह त्याग किया। 9 दिसम्बर को आश्रम में ही उन्हें महासमाधि दी

गई। यह विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि 111 घंटे दिव्य ज्योति का प्रभाव उनके शरीर में बराबर बना रहा और देह में तनिक भी विकृति नहीं आई।

श्री अरविन्द ने मानव प्रकृति को बदलने व इस धरती के अपूर्ण जीवन को ईश्वरत्व से संजोने और परिपूर्ण करने के चरम लक्ष्य के लिए 'पूर्ण' अर्थात् 'समेकित' योग प्रदान किया। पूर्णयोग पुरातन योगों के सार और बहुविध पद्धतियों को लेकर चलता है। इसका उद्देश्य जगत् और जीवन का परित्याग कर स्वर्ग या निर्वाण में पलायन कर मोक्ष पाना नहीं, बल्कि जीवन और जगत् का परिवर्तन है। इसका अभिप्राय यहीं पर, इहैव, जीवन की सर्वांग परिपूर्णता है न कि केवल कहीं अन्यत्र सनातन संपूर्णता में विलीन होना।

श्री अरविन्द के अनुसार मनुष्य की शिक्षा उसके जन्मकाल से ही आरम्भ हो जाती है जो जीवनपर्यन्त चलती है। वास्तव में स्वयं माता ही इस शिक्षा का प्रारम्भ द्विविध क्रिया द्वारा करती है, सबसे पहले वह अपनी निजी उन्नति के लिए खुद पर आरम्भ करती है और फिर उसे बच्चे पर आरम्भ करती है। उनका मानना है कि बच्चे को शिक्षा देने की योग्यता प्राप्त करने के लिए माता-पिता और शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य है अपने आप को शिक्षा देना, अपने विषय में सचेतन होना और अपने ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना, ताकि बच्चे के सामने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकें। सच्चाई, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, साहस, निष्काम भाव, निःस्वार्थता, धैर्य, सहनशीलता, अध्यवसाय, शान्ति, स्थिरता, आत्मसंयम आदि ऐसे गुण हैं जो सुन्दर भाषणों की अपेक्षा कई गुना अधिक अच्छे रूप में अपने उदाहरण द्वारा सिखाए जाते हैं।

श्री अरविन्द का मत है कि शिक्षा के पूर्ण होने के लिए उसमें पाँच पहलू होने चाहिए। इन पहलुओं का सम्बन्ध मनुष्य की पाँच क्रियाओं से होगा– भौतिक, प्रणिक, मानसिक, आंतरात्मिक और आध्यात्मिक। साधारणतया शिक्षा के ये सभी पहलू व्यक्ति के विकास के अनुसार, एक के बाद एक कालक्रम से आरम्भ होते हैं। परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि एक पहलू दूसरे का स्थान ले ले, बल्कि सभी पहलुओं को, जीवन के अंत काल तक, परस्पर एक-दूसरे को पूर्ण बनाते हुए जारी रखना चाहिए।

श्री अरविन्द ने सच्ची शिक्षा के तीन सिद्धान्त बताए हैं– पहला सिद्धान्त है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। कोई, प्रशिक्षक या काम लेने वाला वफादार नहीं है। उसका काम सुझाव देना है, थोपना नहीं। वह वस्तुतः विद्यार्थी के मानस को प्रशिक्षित नहीं करता। वह उसे केवल यह बताता है कि अपने ज्ञान के उपकरणों को कैसे पूर्ण बनाया जाय और वह उसे इस कार्य में सहायता देता है और प्रोत्साहित करता है। वह उसे ज्ञान नहीं देता, वह उसे यह बतलाता है कि अपने लिए ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। वह अन्दर स्थित ज्ञान को प्रकट नहीं करता वह केवल यह दिखाता है कि वह कहाँ पड़ा है और उसे ऊपरी सतह पर आने के लिए कैसे अभ्यस्त किया जा सकता है।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि मन के विकास में स्वयं उसकी सलाह ली जाय। बच्चे को हथौड़ी मार-मार कर माता-पिता या अध्यापक के चाहे हुए रूप में गढ़ना एक अज्ञानपूर्ण और बर्बर अंधविश्वास है। विद्यार्थी को यह प्रेरणा देनी चाहिए कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार अपना विस्तार करे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह अपने अंतर की अच्छी से अच्छी चीज को बाहर लाए और उसे उपयोग के लिए पूर्ण बनाए।

शिक्षा का तीसरा सिद्धान्त है निकट से दूर की ओर काम करते चलना, जो है उससे जो होगा उसकी ओर जाना। मनुष्य के स्वभाव का आधार उसकी आत्मा के अतीत के अतिरिक्त बहुत सी चीजों पर निर्भर होता है, जैसे– उसकी आनुवांशिकता, उसका आस-पड़ौस, उसकी राष्ट्रीयता, उसका देश, वह धरती जहाँ से वह आहार पाता है, वह हवा जिसमें वह साँस लेता है, वे दृश्य, वे आवाजें, वे आदतें जिनके लिए वह अभ्यस्त है। ये चीजें उसके जाने-बिना उसे ढालती हैं और हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। हमें स्वभाव को उसकी जमीन की जड़ों से नहीं उखाड़ देना चाहिए जहाँ उसे पनपना है। सच्चे विकास के लिए एक जरूरी शर्त है– स्वाभाविक और मुक्त उन्नति।

(लेखक श्री अरविन्द सोसायटी, उदयपुर के सचिव हैं।)

– प्रत्यूष, 242, गणेश नगर

विश्वविद्यालय मार्ग, उदयपुर-313001

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि, 7 अगस्त, 2011 के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि

पेयेछि छुटि विदाय देहो, भाइ—
सबारे आमि प्रणाम करे जाइ।
फिरायें दिनू द्वारेर चाबी,
राखि ना आर घरेर दाबी—
सवार आजि प्रसाद वाणी-चाइ।।

अनेक दिन छिलाम प्रतिवेशी,
दियेछि जत नियेछि तार वेशी।
प्रभात हयें एयेछे राति
निबिया गेल कोनेर बाति—
पड़ेछे डाक, चलेछि आमि ताइ।।

चयनिका/93

मिली छुट्टी, दो मुझको विदा,
सभी को हो स्वीकार प्रणाम।
द्वार की चाभी लौटा रहा,
नहीं घर मेरा अब यह रहा।
चाहिए सबकी शुभ आशीष,
कि सबको करता चलूँ प्रणाम।
लिया जितना, उससे कम दिया–
रहा जितने दिन सबके साथ।
आ रहा प्रात, ढल रही रात,
बुझ गयी दीपक की बाती,
हुई है मेरी आज पुकार,
मिली है आने की पाती,
रहा अब मेरा यहाँ न काम,
सभी को हो स्वीकार प्रणाम !
मिली छुट्टी, दो मुझको विदा,
सभी को हो स्वीकार प्रणाम !

I have got my leave. Bid me farewell, my brothers! I bow to you all and take my departure.

Here I give back the keys of my door–and I give up all claims to my house. I only ask for last kind words from you.

We were neighbours for long, but I received more than I could give. Now the day has dawned and the lamp that lit my dark corner is out. A summons has come and I am ready for my journey.

झोले में पुस्तकालय-2

नीलबाग, पहल और श्रम की सामाजिकता

❑ शिवरतन थानवी

मास्टर मोतीलाल के झोले में हरदम कुछ अच्छी पुस्तकें रहती थीं। यह उनका स्वभाव था, शौक था। घर-घर जाकर पुस्तक दे आना, और राह में कोई मिले-मांगे तो उसे भी दे देना, उनकी आदत थी। हम सोचें, हमारे झोला-पुस्तकालय से हम क्या पुस्तकें और क्या पत्रिकाएं देना-लेना पसंद करेंगे? नई-पुरानी सभी तरह की पुस्तकों-पत्रिकाओं की चर्चा आपको यहाँ मिलेगी। – लेखक

शिक्षा विभाग के अधिकारी जब विद्यालयों का निरीक्षण करने जाते हैं तब जो-जो देखते हैं वह उनके निरीक्षण-प्रतिवेदन में लिखा होता है। उन्हें हम देखें तो पाएंगे कि कम ही लोग पेशाब-घर, पाखाना-प्रबंध या पानी-प्रबंध देखते हैं। फरीदाबाद की एक राजकीय कन्या सीनियर उच्च विद्यालय में एक दिन पिछले माह डिप्टी कमिश्नर (आई.ए.एस.) श्री प्रवीन कुमार पहुँच गए। लड़कियों से समस्याएं पूछीं। अन्य समस्याओं के साथ छात्राओं ने बताया कि विद्यालय के बदबू मारते पेशाबघर तथा पाखानों को साफ करने वाला कोई सफाई कर्मचारी नहीं है।

उस चिलचिलाती धूप की भरी दोपहरी में श्री प्रवीनकुमार घर गए और एक बाल्टी, झाड़ू तथा सफाई की दवा वाली बोतल लाकर लग गए पाखाना-पेशाब-घर साफ करने। सारा विद्यालय देखता रह गया। सभी को समझ आ गया कि गाँधीजी ने श्रम की महत्ता को 'बुनियादी तालीम' में जो स्थान दिया था वह, कितना सही था। (इस घटना को विस्तार से पढ़ना हो तो देखें हिन्दुस्तान टाइम्स 26 मई 2011 के पृष्ठ आठ पर श्री समर हलदंकर का लिखा 'मि. कुमार क्लीन्ज अप' और श्रम की महत्ता और गाँधीजी को विचार पूर्वक याद करना हो तो 'श्रमदिवस' एक मई 2011 की 'जनसत्ता' के 'रविवारी' परिशिष्ट में पढ़िए शुभू पटवा का लिखा लेख **'श्रम की सामाजिकता'**।

ये दोनों लेख पढ़ने योग्य भी हैं और साथी शिक्षकों को पढ़वाने योग्य भी हैं। रखिए हरदम झोले में अपने साथ।

× × ×

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) में शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर कौन क्या अनुभव करता है और कौन कितना सोचता है, यह कैसे पता चले?

मैंने दो प्रशिक्षण संस्थानों के उदाहरण अभी हाल ही में देखे हैं। दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। दोनों पत्रिकाएं डाइटों की हैं। एक पत्रिका 'पहल' बारां डाइट की और दूसरी वार्षिक पत्रिका 'दिव्या' जोधपुर डाइट की।

'दिव्या' पत्रिका तो सचमुच हमें 'दिव्य लोक' को पहुँचा देगी। नाम भी 'दिव्या' और सामग्री भी 'दिव्य लोक' की। सर्वथा अलौकिक। इस लोक से इनका कोई लेना-देना नहीं। एकदम बचकानी सामग्री। डाइट के प्राचार्य श्री चेतन प्रकाश सेन का प्रवचननुमा लेख गायत्रीमंत्र से प्रारम्भ। फिर कहीं 'उपसंहार' है 3-4 पंक्ति का जिसके बाद 'प्रस्तावना'। ग्लोबल वार्मिंग विषय के लेख का नाम ही है 'प्रस्तावना'। अंत में 'गीतासार' नाम की कुछ पंक्तियाँ जो कैलेंडरों पर खूब पढ़ी होंगी। जैसे– 'क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो... जो होगा वह भी अच्छा होगा ... तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो ...' आदि। शुरू से अंत तक सब कुछ बेतुका– बेसिर पैर का उपदेश, प्रवचन और पूजापाठ। सचमुच ही एक 'रचना' का नाम है 'नित्य कर्मपूजाप्रकाश' जिसमें आपको मिलेंगे ये उद्गार– ॐ मित्राय नमः, ॐ रमये नमः, 'ॐ अर्काय नमः' आदि। ये हैं जोधपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 'दिव्य लोक' की दिव्य बातें 'दिव्या' में जो इनकी वार्षिक पत्रिका है। शिक्षा सम्बन्धी कोई विचार-विमर्श नहीं और न प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई अनुभव या विश्लेषण-विवेचन।

दूसरा उदाहरण है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) बारां की पत्रिका **'पहल'** का। यह त्रैमासिक पत्रिका है। इसमें हर लेखक ने शिक्षा पर विचार किया है, अनुभवों का विश्लेषण विवेचन किया है, संस्थान के कार्यों की सुव्यवस्थित सूचना दी है और जिले की शैक्षणिक गतिविधियों के समाचार दिए हैं। इसे पढ़ें तो लगता है कि पाठकों में नवचिंतन की प्रवृत्ति पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पढ़ें तो लगता है कि संपादक और उनके सहयोगी बराबर इस कोशिश में लगे हैं श्रेष्ठ शिक्षा-साहित्य की झांकियाँ पाठकों को मिलें, कि विचारोत्तेजक सामग्री अन्यत्र उपलब्ध हो तो वह भी लाई जाए और यदा-कदा श्रेष्ठ शैक्षिक पुस्तकों की समीक्षाएं भी दी जाएं। श्रेष्ठ शैक्षिक सामग्री के स्रोतों की भी संपादक को बहुत सही पहचान है जहाँ से लेकर 'पहल' में यत्र-तत्र अच्छा उपयोगी चयन कर प्रकाशित किया गया है। समसामयिक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों को भी संक्षेप में देने का अच्छा प्रयत्न हुआ है। शिक्षक-प्रशिक्षण के विविध पहलुओं को भी अनछुआ नहीं रखा है। प्रो. कृष्णकुमार और रोहित धनकर जैसे अनुभवी विद्वान् शिक्षाविदों के लेख भी लिए गए हैं तो डाइट के संकाय सदस्यों ने अध्ययन-मनन और अनुभव आधारित लेख लिखे हैं, तो विद्यालयों के अध्यापकों ने भी अनुभव आधारित अच्छी रचनाएं दी हैं। लिखने वाले संकाय सदस्य हैं– सुभाष गोस्वामी, कविता धमेजा, दिलीप चुघ, दिनेश वैष्णव, अंशुमान

दीक्षित, नवल किशोर सोनी और वीरेन्द्र शर्मा (समन्वयक, क्वालिटी एज्यू. प्रोग्राम) आदि।

इन दोनों की तुलना से साफ समझ आता है कि डाइटों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

× × ×

किसी विषय का शिक्षक हो, साहित्य प्रेम न हो तो शिक्षक अधूरा है। हर शिक्षक को चाहिए कि श्रेष्ठ साहित्यकारों को थोड़ा-थोड़ा कभी तो पढ़ा ही करे। हिन्दी साहित्य के ऋषितुल्य लेखक स.ही. वात्स्यायन अज्ञेय की जन्मशती मनाई जा रही है। पत्र-पत्रिकाओं में उन पर संस्मरण लिखे जा रहे हैं। एक संस्मरण 'अज्ञेय-रेखा के आर-पार' मुझे भी ई-मेल में मिला है पवन चौधरी 'मनमौजी' का लिखा हुआ है। जब कभी आप उसे पुस्तक 'अपने अपने अज्ञेय' (खंड 2) में देखें (वाणी प्रकाशन, दिल्ली) तो जरूर पढ़ें।

इसमें स.ही. वात्स्यायन अज्ञेय की एक बात अनमोल वचन सी शिक्षाप्रद है जो हर शिक्षक व शिक्षार्थी को सदा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था– **''साधारण नागरिक की विवेकपूर्ण क्रियाशीलता के बिना समाज को इंसाफ मिलना कठिन ही रहेगा।''**

कानून के बारे में आम आदमी कम जानता है। पत्र-पत्रिकाओं में अंधविश्वास पैदा करने वाले 'राशिफल' प्रायः हर जगह जरूर मिल जाएंगे किन्तु पाठकों को कानून की जरूरी जानकारी देने वाले नियमित स्तम्भ कम ही मिलेंगे। जो भी मिलेंगे वे भी वकीलों की जटिल शब्दावली में मिलेंगे। पवन चौधरी 'मनमौजी' कभी 'नवभारत टाइम्स' दैनिक में आम आदमी के लिए आम आदमी की भाषा में लिखते थे ताकि आम आदमी कानून के बारे में जान सके।

उन्होंने उसी आम आदमी की भाषा में तीन किताबें लिखीं– 'कानून और हम', 'मिस्टर इंसाफ' और 'मैडम कचहरी'। उन्होंने जब यह स्तम्भ लिखा तब 'नव भारत टाइम्स' के संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।

'मिस्टर इंसाफ' और 'मैडम कचहरी' पुस्तकों की संयुक्त भूमिका में अज्ञेय ने जो लिखा उसकी शुरुआत यों थी– 'इन पंक्तियों के पाठक को अंत में लेखक का नाम देखकर शायद उतना ही आश्चर्य होगा जितना मुझे इस बात को लेकर है कि मैं कौन-सी पुस्तक की भूमिका लिख रहा हूँ। श्री पवन चौधरी से मेरा कई वर्षों का परिचय है। लिखते रहने को मैंने उन्हें जब तक उकसाया है।...' और आखिरी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं– 'ये पुस्तकें उस साधारण पाठक तक पहुँचे जिसके लिए वे लिखी गई हैं, और उसे उसी दिशा में प्रेरित करें जो लेखक की वांछित दिशा है, यही कामना करता हूँ। साधारण नागरिक की विवेकपूर्ण क्रियाशीलता के बिना समाज को इंसाफ मिलना कठिन ही रहेगा।'

अज्ञेय की अद्भुत अद्वितीय चिंतन शैली और लेखन शैली का नमूना आपने ऊपर देखा और उनकी अनेक कृतियों में भी देखा होगा। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास यात्रा-वर्णन, आलोचना आदि कई विधाओं में कई कृतियाँ हैं, जो अमर रहने योग्य हैं– कालजयी हैं। उनको सिरहाने रखें, उनका आस्वाद लें और उनसे अपना व्यक्तित्व निखारें।

× × ×

साहसी और दृष्टिवान शिक्षकों के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में शिक्षक कुछ जानें तो उनमें भी कुछ साहस और नई दृष्टि का अंकुरण हो सकता है। पाठक जानते हैं कि महर्षि अरविंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, मनीषी जे. कृष्णमूर्ति, मारिया मोंटिसरी ने भी समर्पित भाव से शिक्षा क्षेत्र में मौलिक प्रयोग किए, अपना अलग दर्शन बनाया और उसी दर्शन पर आधारित अपनी अलग शिक्षण-पद्धतियों का निर्माण किया।

डेविड ऑसबरो भी एक नयी शिक्षा पद्धति का स्वप्न देखते थे। बंगलुरू से थोड़ी ही दूर ग्रामीण वातावरण में एक प्रयोग की नींव उन्होंने डाली जो **'नीलबाग स्कूल'** नाम से प्रसिद्ध हुआ। डेविड कभी ब्रिटेन के एयरफोर्स में थे, फिर ब्रिटिश कौंसिल अधिकारी रहे और 1972 में अपना यह 'नीलबाग स्कूल' का प्रयोग शुरू करने के लिए उससे अलग हो गए। इस सारे समय के दौरान वे किसी न किसी रूप में शिक्षा और शिक्षण से जुड़े रहे और इन्हें पूर्व प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर तक सभी स्तरों पर पढ़ाने का अवसर मिला। इनके ये अनुभव इन्हें शिक्षा के एक नये रूप का सपना देखने को प्रेरित करते रहे। इन पर ए.एस. नील से लेकर इवान इलिच तक के कई विलक्षण शिक्षाविदों के विचारों का प्रभाव पड़ा। शिक्षा में परिवर्तन के इनके अपने भी कई मौलिक विचार थे। ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भिन्न कोई अन्य प्रणाली किसी ग्रामीण विद्यालय को केन्द्र बनाकर विकसित करना चाहते थे। गांव और शहर की दूरी बढ़ाने के लिए नहीं, दूरी कम करने के लिए और गांव की उन्नति के लिए।

वे ऐसा विद्यालय चाहते थे जो जेल न हो, जो बंधनों से मुक्त हो। जहाँ बच्चे मन से आएं, विवश होकर न आएं, और जहाँ सजा नाम की कोई चीज न हो। ए.एस. नील भी ऐसा ही सोचते थे। जिन पाठकों ने नील की 'समरहिल' (एकलव्य प्रकाशन, भोपाल – अनुवाद : पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा) पढ़ी हो वे डेविड के नीलबाग की प्रणाली में उसका प्रतिबिम्ब और विकास भी देख सकते हैं।

नीलबाग में परीक्षा का कोई दबाव नहीं होता है। कोई स्तर या कक्षाएं नहीं हैं। बच्चों को अपनी क्षमता व गति के अनुरूप विकसित होने का अवसर मिलता है। नीलबाग स्कूल की धारणा है कि शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं, पढ़ने का वातावरण तैयार करना है। मूल बात है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शरीक करना। कोई नियम नहीं, कोई दण्ड नहीं। बच्चों में सीखने की ललक पैदा हो, वे स्वतः सीखें। कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं, कोई अंक-ग्रेड या फेल-पास नहीं। कोई तमगे, बिल्ले या ईनाम नहीं। बच्चे अपनी कोशिश में सफल होते हैं तो खुद जान जाते हैं कि वे क्या सीखे, कितना सीखे, और यही उनके लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। वहाँ कुशाग्र बच्चा चाहे तो चार साल की सामग्री एक साल में पढ़ सकता है। उसे ऐसा करने में आनंद आना चाहिए।

एक विशेष बात यह है कि नीलबाग में सारी बात लचीली है, लेकिन टाइम टेबल लचीला नहीं है। फिर भी बच्चे कक्षा में आने या न आने को स्वतंत्र हैं। कक्षा टाइम टेबल के अनुसार तय समय पर जरूर लगेगी। शारीरिक श्रम है लेकिन वैसा नहीं जैसा गांधीजी सोचते थे। वह बच्चों की शिक्षा का एक सामान्य हिस्सा है। टाइम टेबल लचीला नहीं पर पाठ्यक्रम

लचीला है। वे कई भाषाएं सीखते हैं– तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भी। गणित, विज्ञान, पर्यावरण, कला, हस्तशिल्प, कुम्हारी (मिट्टी का काम) और सुथारी (लकड़ी का काम) भी। दर्शन भी पढ़ाया जाता है, सौन्दर्य शास्त्र भी और यह भी कि विचार-विमर्श कैसे करें, परस्पर संवाद कैसे करें। संगीत का रस लेना तो अत्यावश्यक समझा जाता है इनके पाठ्यक्रम में जो आम पाठ्यक्रमों में नहीं मिलेगा। यह सब जीविकोपार्जन की दृष्टि से नहीं बल्कि इसलिए कि काम के जरिए सीखना है।

डेविड का उद्देश्य था बच्चों की सामर्थ्य के अनुसार उन्हें बेहतरीन शिक्षा देना। उनकी कोशिश थी कि बच्चों की तमाम ऊर्जा तथा संभावनाओं को विकसित होने का मौका मिले। वे चाहते थे कि बच्चे सोच सकें, चीजों को समझ सकें, कह सकें– स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें, वस्तुओं का उपयोग करना जान सकें, पर्यावरण को समझ सकें, शोषण के मायने समझ सकें तथा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वे जान-समझ सकें। उसके बाद वे क्या करते हैं इसमें डेविड अपना कोई दखल नहीं रखना चाहते थे।

डेविड की मृत्यु 1984 में हुई। वे कहा करते थे कि मैं बच्चों से यह नहीं कहूँगा कि वे गांवों में काम करें या शहरों में। चित्रकार बनना चाहें तो वह भी ठीक और प्रशासनिक परीक्षाओं में बैठें तो वह भी ठीक और देश-विदेश कहीं की भी कोई पढ़ाई करें– परीक्षा दें तो वह उनकी मर्जी। डेविड ने कहा– ''मैं यह बताने के लिए नहीं हूँ कि क्या करें। मैं जिसे अच्छी शिक्षा समझता हूँ, उसके लिए प्रयास करता रहूँगा।''

डेविड जो सोचा करते थे और जो कहा करते थे या किया करते थे उसका पूरा चित्र संपादक राजाराम भादू ने इस संकलन में पाठकों के लिए सुनियोजित रूप से प्रस्तुत किया है। इस कारण शिक्षा जगत के लिए बहुत उपयोगी है और मार्गदर्शक व प्रेरणाप्रद भी।

– मोची स्ट्रीट
फलोदी-342301, जोधपुर (राज.)

अभिनव प्रयोग

बाल पुस्तकालय याने बालक का मंदिर

❑ रामनरेश सोनी

गुजराती भाषा के यशस्वी उपन्यासकार डॉ. रघुवीर चौधरी गुजरात में हिन्दी के प्रोफेसर रह चुके हैं। प्रखर चिंतक हैं, साहित्यकारों की नयी पीढ़ियों के प्रेरक हैं तथा साहित्यिक संस्थाओं के प्राण हैं। अनेक पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्तम्भ लिखते हैं।

पिछले दिनों गुजराती दैनिक 'दिव्य भास्कर' में उनका स्तम्भ पढ़ रहा था। एक नयी जानकारी लगी, इसलिए उनके विचारों को विशाल पाठक समुदाय तक पहुँचाना जरूरी समझा है, संभव है इस विचार को हमारे यहाँ भी ग्रहण करने के लिए आगे आएँ।

पुत्री सोनल के अकाल देहांत के दुःख को कम करने के लिए सावरकुंडला के दम्पति इंदिरा बहन और डॉ. प्रफुल्ल भाई शाह बीमार व अकिंचन लोगों की सेवा करते थे। उन्हें बड़ी बहन विनोदिनी के घर से बाल विकास की नयी प्रेरणा मिली। इन्होंने सुरेन्द्रनगर के अलग-अलग भागों में पिताश्री शांतिलाल गिरधरलाल शाह के नाम पर पुस्तकालय शुरू किये थे। प्रफुल्लभाई लिखते हैं– 'हम जब सुरेन्द्रनगर जाते हैं, तो शाम के समय बहनजी बालकों को पुस्तकें देने में व्यस्त ही रहती हैं। हमने भी सोचा कि यह काम तो करने जैसा है, लेकिन डॉक्टर होने की वजह से ऐसी जिम्मेदारी उठा पाना मुश्किल लगता है।'

सुधा मूर्ति ने कर्णाटक में दस हजार पुस्तकालय खोले हैं। उनसे प्रेरणा लेकर सोनल फाउण्डेशन ने सौराष्ट्र को जीत लिया। उसने 754 पुस्तकालय स्थापित कर दिये और अभी प्रयास जारी ही है।

विनोदिनी बहन इस समय चौरासी वर्ष की हैं। उन्होंने लेखन-संपादन भी किया है तथा सुरेन्द्रनगर एज्यूकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा हैं। प्रशासनिक निष्ठा की नींव पर शिक्षण में नये प्रयोगों के लिए वे तत्पर रहती हैं। वे बालकों के मेले आयोजित करती हैं, अधिक बाँचने वाले बालकों को इनाम देती हैं। प्रोत्साहन हरेक को देती हैं। पूरा ध्यान रखती हैं कि कोई खाली हाथ निराश होकर घर न जाए।

यह सब देखकर डॉक्टर दम्पति ने हिम्मत की। साहित्यप्रेमी मित्र सत्यमुनि की मदद मिली। अन्य मित्र बालाभाई ने एक पखवाड़े में डेढ़ सौ बालकों के फार्म भरवाये। सवा सौ बालक पहले दिन पुस्तकें लेने आये। फिर तो इंदिरा बहन सायं चार से सात का समय देने लगीं। वक्तृता, चित्र, रंगोली, अंत्याक्षरी, होली आदि सबों के आयोजन। बालकों को उनके जन्म दिवस पर बधाई पत्र प्राप्त हों, यह प्रयोग सर्वोत्तम रहा। इससे बालक के पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता। सभी बालकों ने यहाँ से परिवार भावना अनुभव की। एक बालिका बीमार पड़ी तो सभी फूल लेकर शुभकामना व्यक्त करने गए। इलाज सुलभ होते ही बालिका चलने लगी। डॉक्टर दम्पति बालकों के घर भी जाते हैं। एक दादी माँ उनसे कहने लगी, आपने इस बिटिया को ऐसा क्या पिला दिया कि घर की साफ-सफाई के वक्त भी इसके हाथ में पुस्तकें ही रहती हैं। सत्रह सौ पुस्तकों की वाचक ये बिटिया एम.बी.बी.एस. हो गई। चित्र स्पर्धा में प्रथम आने वाला इसका भाई दाँतों का डॉक्टर बना है।

एक दिन नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति की पुस्तक 'यादों का सफर' पढ़ते-पढ़ते प्रफुल्ल भाई को पता लगा कि सुधाजी के दादा प्राथमिक शाला के अध्यापक थे। वे रोजाना एक कहानी सुनाते, तभी सुधा को नींद आ पाती। तब दादाजी पौत्री को पुस्तकालय तक ले गए। पुस्तक चुनकर दें, तब पेड़ के नीचे बैठकर बालकों को कहानी सुनायें। सुधा पुस्तक पढ़ लेती और तब दादाजी के साथ घर जाती। दादाजी ने अपने अंतकाल के समय बिटिया को

प्यार से कहा था– 'बेटा ! मेरे देहांत के बाद मुझे याद करते हुए एक पुस्तकालय खोलना।' सुधा बहन ने कर्णाटक में दस हजार पुस्तकालय स्थापित कर दिये।

प्रफुल्लभाई-इंदिराबहन ने इनसे प्रेरणा लेकर अमरेली जिले में सौ पुस्तकालय खोलने का संकल्प किया है। बजट तय कर दिया है। दर्शक इतिहास निधि के अध्यक्ष और आई.पी.सी.एल. के पूर्व चेयरमेन डॉक्टर के लघुभ्राता हसमुख भाई शाह का सहयोग भी इन्हें उपलब्ध है। मोरारी बापू की उपस्थिति में पाँच सौ बालकों और दो सौ शिक्षकों को आमंत्रित करके अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक बालक अलग-अलग वेशभूषा में अलग-अलग पात्र के रूप में आया। मोरारी बापू ने उन पर प्रेम वर्षा की। मार्च 2008 तक अमरेली जिले की प्रत्येक प्राथमिक शाला में पुस्तकालय खोला जा चुका है। कुल संख्या हो गई 754।

जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। पुस्तक रैली निकाली गई। लगभग 9500 बालकों ने उसमें भाग लिया। स्वामी धर्मबंधुजी बोले– 'अब मंदिर-मस्जिद की जरूरत नहीं, पुस्तकें पढ़ने की प्याऊ जरूरी है।' बाल मंदिर याने बाल पुस्तकालय– ऐसा अर्थ सुदृढ़ होना चाहिए।

मूल रूप में जिनकी प्रेरणा थी, उन विनोदिनी बहन के नेतृत्व में अब सुरेन्द्रनगर जिले में प्रत्येक राजकीय विद्यालय में पुस्तकालय खोलने का संकल्प लिया गया। सायला के राजसौभाग आश्रम में भाई (मलिन भाई) विक्रम भाई, मीना बहन और मुंबई से समागत श्रीमंत, पर संयासी जैसे सरल अनेक धनिकों का उपस्थिति में संकल्प का क्रियान्वयन हुआ। प्राथमिक शालाओं के आचार्य उपस्थित थे। रसिक भाई-पन्ना बहन हेमाणी, बढवाण की वर्षा बहन दोशी, भावनगर शिशुविहार, महुआ के इस्माइल कलाणिया व रूपारेल तथा सौराष्ट्र के अन्य इलाकों के संस्कार-सेवी इस कार्यक्रम में सक्रिय हो गए हैं। इसी अर्से में गुजराती साहित्य परिषद के महामंत्री राजेन्द्र पटेल के प्रयासों से गुजरात की अधिकांश जेलों में पढ़ने-लिखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। कवियों को जेलों में अधिक उत्तम श्रोता मिलने लगे। नाट्यविद अदिति ठाकर ने बंदी महिलाओं के निमित्त काम करने का बीड़ा उठाया। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नवसारी के स्थपति महादेव देसाई का 'वांचे गुजरात' का स्वप्न माध्यमिक शिक्षण क्षेत्र में सफल हुआ है। जो काम जिला शिक्षा अधिकारियों ने कर दिखाया, उसे गुजरात की युनिवर्सिटियों के कुलपति नहीं कर सके। अपवाद स्वरूप राजकोट की सौराष्ट्र युनिवर्सिटी ने संचार अनुभव किया था।

प्रत्येक पुस्तकालय को चार सौ से अधिक बाल-साहित्य की पुस्तकें दी गईं। नेशनल बुक ट्रस्ट के बाल साहित्य की पुस्तकें जल्दी मिलती नहीं और गुजरात के अधिकांश प्रकाशकों की पुस्तकें सामान्य हैं। बालकाव्यों और बालगीतों में किसी की रुचि नहीं। रमणलाल सोनी और कवि रमेश पारिख उन्हें पसंद थे। रमेश का गीत 'मैं और चंदू गुपचुप मेड़ी में जा बैठे' स्व. परेश भट्ट द्वारा गाया हुआ है। यदि ऐसे गीत गाये जाएं और इनकी सचित्र पुस्तकें हों, तो बालकों की सर्जनात्मक शक्तियाँ बाहर आएँ।

– पुरानी जेल के सामने, बीकानेर

शिविरा पंचांग माह अगस्त, 2011

कार्य दिवस 23 • रविवार 04 • अवकाश 04 • उत्सव 03 • 1 अगस्त से 15 सितम्बर– विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच एवं अभिलेख संधारण। **10 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर पूर्व तैयारी। **12 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर आयोजन। **13 अगस्त**– रक्षा बन्धन (अवकाश), संस्कृत दिवस (उत्सव) **15 अगस्त**– स्वतन्त्रता दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), बालक–बालिकाओं को अवार्ड का वितरण (नवाचारी शिक्षा) **18–20 अगस्त**– प्रथम परख (सभी कक्षाओं के लिए) **20 अगस्त**– इस दिनांक से पूर्व प्रथम/द्वितीय/तृतीय समूह (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक) कक्षावार, दलवार खेलकूद प्रतियोगिता एवं नेहरु हॉकी का आयोजन (15 वर्ष छात्र) **22 अगस्त**– जन्माष्टमी (अवकाश–उत्सव)_**23–24 अगस्त**– जिला स्तरीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन (15 वर्ष छात्र), विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता के लिए तहसील स्तर पर पूर्व तैयारी। **25 अगस्त**– डाइस हेतु संकुल/ब्लॉकवार विद्यालयों की सूची तैयार करना (प्रारम्भिक) **25–27 अगस्त**– ब्लॉक स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन एवं राज्य स्तरीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन (15 वर्ष छात्र) **26–27 अगस्त**– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की तहसील स्तर पर सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन। **27–29 अगस्त**– राज्य स्तरीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता **29 अगस्त**– ध्यानचन्द जयन्ती पर विद्यालयों द्वारा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना। **30 अगस्त**– श्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार–2011 के लिए राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) को आवेदन करना। अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर प्रथम परख के प्रगति–पत्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार विमर्श। **30 अगस्त से 8 सितम्बर**– प्रथम एवं द्वितीय समूह (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (अधिकतम चार दिवस), केजीबीवी जिला स्तरीय प्रतियोगिता। **31 अगस्त**– ईदुलफितर (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार) **नोट :– प्रा. शिक्षा 1.** कक्षा–शिक्षण की समेकित आवश्यकता के आधार पर टी.एल.एम. का क्रय। 2. अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन। **3.** लिंग्वालैब प्रशिक्षण। **4.** कक्षा–शिक्षण प्रक्रिया सम्बलन के लिए अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन। **5.** टीएलएम/एसएफजी/एमआर वितरण की कार्ययोजना एवं राशि हस्तान्तरण। **6.** प्रत्येक पाठ पढाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **7.** केजीबीवी शैक्षिक भ्रमण 22 अगस्त से 31 अगस्त 2011 के मध्य।

महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता

❑ डा. गुर प्यारी सतसंगी

इस समय अक्सर मानवाधिकारों की बातें सुनायी पड़ती हैं, सम्पूर्ण प्रकृति में जो नायाब चीज है वह इन्सान ही तो है परन्तु चिंता की बात यह है कि इन्सान में पलती बढ़ती लालसा घृणा और उसकी ताकतवर बनने की चाहत, उसे अपने ही जैसे दूसरे इंसानों के अधिकारों के निरंकुश हनन की ओर उकसा रही है।

हमारे देश के संदर्भ में मानव अधिकार के पक्ष में बात करना कोई नई बात नहीं है हमारी धर्म निरपेक्ष धारणाओं की मूल भावना ही यह रही है संतुलित व समान मानव अधिकार चिरकाल से भारतीय आत्मा के प्रतिबिम्ब रहे हैं। भारतीय जन समाज में राजनीति समाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक एवं धार्मिक मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही तो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और ये वही मूल अधिकार हैं जो हमारे संविधान में गौरवमय स्थान पर स्थापित हुए।

आदमी को मानव अधिकारों के प्रति समाज में जागृति लाना समय की माँग है यह कार्य शिक्षा प्रसार करके तथा मानवाधिकारों के लिए सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन देकर किया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें ऐसे समाज की कल्पना करनी चाहिए जो केवल आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थों में ही न्याय संगत न होकर बल्कि उसमें मानव अधिकार संस्कृति जड़ पकड़ सकें और निर्बलों को उनके अधिकारों के बारे में जान सकें। मानव अधिकार संस्कृति का निर्माण करते हैं।

मनुष्य में सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति है और उसे अच्छे बुरे का बोध होता है। जो दूसरे प्राणियों में नहीं होता है अपनी इसी विशेषता की वजह से मनुष्य समाज में रहता है और उसे एक सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी गई। समाज में व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि इसे अपनी जिन्दगी ढंग से जीने का अधिकार हो। उसके इस अधिकार के उपयोग में किसी की दखलअंदाजी न हो।

वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर दूसरों को नुकसान न पहुँचायें। हवा, पानी के अलावा रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की सबसे पहली जरूरत है। और बगैर इन आवश्यकताओं की पूर्ति के मानव जीवन ही असम्भव है। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा दूसरी कुछ गौण आवश्यकताएं भी हैं जो मानव अस्तित्व को बनाए रखने और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है इस श्रेणी में उसका दर्जा उसकी शिक्षा आमोद-प्रमोद के साधन, कला संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, आचरण और व्यवहार उसके परिवार के लालन-पालन इत्यादि को रखा जा सकता है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए जिन अधिकारों का उपयोग जरूरी है उन्हें मानव अधिकारों की संज्ञा दी गई है।

समाज में प्रत्येक मानव को भयमुक्त और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है इन अधिकारों को वर्गीकृत करते हुए, उन्हें तीन श्रेणियों में रखा गया है पहली श्रेणी में नागरिक और राजनैतिक जीवन पर बल दिया गया है। अर्थात् मनुष्यों को जीवन का अधिकार सबसे पहले है। जीवन से सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है वह स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। मानव समाज की रक्षा के लिए ये तीनों बातें आवश्यक हैं वह स्वतन्त्रता आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार की होती हैं। आन्तरिक स्वतन्त्रता मनुष्य की भावनाओं पर आधारित होती है। अर्थात् मनुष्य स्वविवेक और संयम से काम ले तो वह उसकी आंतरिक स्वतन्त्रता है जबकि बाह्य स्वतन्त्रता का आशय यह है कि उसे अपनी आंतरिक स्वतन्त्रता का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि उससे दूसरों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। इस तरह से एक तरफ तो उसकी स्वयं की स्वतन्त्रता पर दूसरे लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु कुछ नियंत्रण हो जाते हैं और वह दूसरी तरफ उसकी स्वतन्त्रता पर कुछ बंधन लगा दिये जाते हैं इस आजादी के मायने हैं प्रत्येक व्यक्ति के अपनी रोजी रोटी कमाने, विचारों का आदान-प्रदान करने का संगठन बनाने और अपने ढंग से अपना जीवन बिताने का अधिकार रखना चाहिए कि उसकी इस तरह की आजादी से दूसरे लोगों का अहित न हो।

समाज में सभी लोगों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए चाहे वह महिला हों या पुरुष हों।

वे सभी अधिकार जो मानव अधिकारों के अन्तर्गत लेते हुए पुरुष समाज को प्रदान किये जाते हैं वो सभी अधिकारों का महिलाओं का भी बराबर से अधिकार है। क्योंकि उनकी भी वही मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जो कि एक पुरुष की होती है अतः मानव अधिकार को संविधान में रखा गया है इनका प्रमुख उद्देश्य ही महिलाओं को संविधान की तरफ से बराबर का दर्जा दिलाना था। और ये अपने अभियान पाने में कामयाब भी रहें।

''अहिंसा पर आधारित समाज में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान भविष्य निर्माण के लिए उनकी मौलिक स्थिति अधिकार तथा बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आज के बदले हुए समाज में पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री को अपना मित्र या साथी मानें।'' **–महात्मा गाँधी**

स्त्री और पुरुष दोनों ने ही पग-पग पर कंधे से कंधा मिलाकर इस धरती पर मानव सभ्यता और समाज के विकास एवं उत्थान में अपरिमित योगदान दिया है, संसार की जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृतियाँ हों वे सब अपने सृजन में नारी के त्याग और बलिदान की अमिट गाथाएं संजोए हुए हैं। भारतीय सभ्यता तो यह स्पष्ट रूप से उद्घोषित करती है कि श्रद्धा और मनु के मिलन से मनुष्य अस्तित्व में आया और उसने धरती पर सभ्यता के बीज बोए यहीं से शुरू होती है महिला पुरुषों की बराबर की हिस्सेदारी की वैदिक कालीन भारती में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार भी बराबर हुआ करते थे। महिलाएं गृहकार्यों के अलावा अन्य कार्यों में बराबर से हिस्सा लिया करती थीं। यहाँ तक कि पूजा पाठ, वेद पठन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में भी वे एक गुरु के रूप में उपस्थित रहा करती थीं और उनके मार्गदर्शन में

यज्ञ अनुष्ठान सम्पन्न कराये जाते थे। समय के साथ-साथ परिस्थितियाँ बदलने लगी और विदेशियों के भारत आक्रमण के पश्चात् धीरे-धीरे महिलाओं का महत्त्व घटने लगा, और वो घर की चारदीवारी में ही सीमित हो गईं। और महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाने लगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा।

नारी के अधिकार एवं शिक्षा प्रत्येक कालों के अनुसार अलग थीं और इन्हीं कालों के आधार पर उनके अधिकार व स्थिति प्राप्त थीं।

प्राचीन भारतीय नारी– प्राचीन काल में भारतीय नारी गौरव की प्रतिष्ठा थीं। नारी समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन ही पशुतुल्य है।

प्राचीन भारतीय नारी में भी ज्ञान के सम्पूर्ण अंशविद्यमान है और नारी विदुषी के नाम से प्रसिद्ध थी। उनमें अनुभव, ज्ञान, चातुर्य का पूर्ण मिलाप था। प्राचीन भारतीय नारी ज्ञानी होने के साथ अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सजग थीं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी अपना अधिपत जमायें थीं। इसलिए महादेवी वर्मा ने महिलाओं के संदर्भ में कहा था ''नारी केवल माँस पिण्ड की संज्ञा नहीं है। नारी ज्ञान ममता की मूर्ति है।'' प्राचीन समय में जितनी शिक्षा नारी के लिए नियोजित थी उस शिक्षा अधिकार को नारी ने पूर्ण रूप से प्राप्त किया।

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंते तत्र देवता''

मध्यकालीन नारी– मध्य युग तक आते-आते नारी की सामाजिक स्थिति दयनीय बन गयी। प्राचीनकाल में नारी को जो महान स्थान प्राप्त था वह धीरे-धीरे कम हो गया। शासकों की काम लोलुप दृष्टि से नारी को बचाने के लिए प्रयत्न किये गये परिणामस्वरूप उसका अस्तित्व घर की चारदीवारी तक ही सिमट कर रह गया। रीतिकाल में उसके पतन की परसीमा ही हो गई थी जब नारी को ही सम्मान नहीं मिल रहा था तो शिक्षा की बात बेमानी थी। विदेशियों के आतंक के समक्ष नारी एक पशु की तरह अमानवीय यातनाओं को झेलती व अज्ञान, निरक्षरता के अंधकूप में डूबने उतराने लगीं। इस युग में साक्षरता का प्रतिशत नाम मात्र था। प्राचीन काल की वह विदुषी नारी मध्यकाल में आते-आते भोग विलास की वस्तु मात्र रह गयी।

ब्रिटिश काल में नारी की स्थिति– ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। राजाराममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया तो दयानन्द सरस्वती ने स्त्री शिक्षा का प्रचार कर उन्हें समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया महात्मा गाँधी ने नारी को विशेष महत्त्व प्रदान कर उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में नारियों को आगे आने को प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने स्त्री शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा व अधिकारों पर जोर दिया एवं इसे अनिवार्य रूप से लागू किया।

''करके औरों के नाम औरत की जिन्दगी।
धुलती रही सुबह शाम औरत की जिन्दगी॥''

स्वतन्त्र भारत में नारी की स्थिति– आधुनिक युग में नारी में चेतना आई। उसे विलासनी और अनुचारी के स्थान पर देवी माँ और प्रेयसी के गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुए। विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरु, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इन्दिरा गाँधी, महादेवी वर्मा आदि के नाम आज विशेष सम्मान एवं गौरव के प्रतीक हैं। ये समस्त महिलाएं अपनी शिक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रही थीं। स्वतन्त्र भारत में नारी को शिक्षित एवं सुरक्षित व दृढ़ बनाने के अनेक प्रयास किये गये एवं महिला शिक्षा व अधिकार पर अधिक बल दिया।

स्वतन्त्रता के पश्चात् नारी की स्थिति– 60 से अधिक वर्षों की स्वतन्त्रता के पश्चात् भी आज हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि नारी व्योम विचरण करने वाली स्वच्छन्द पंछी है? स्वतन्त्रता के पश्चात् नारी ने शिक्षा के अधिकार क्षेत्रों में आयाम तय किये हैं विभिन्न क्षेत्रों में नारी ने अपनी योग्यता साबित कर दी है। विभिन्न उद्योगों अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों में नारी ने कार्य कुशलता का परिचय दिया। सामाजिक, आर्थिक विकास की गति को तेज करने में लड़कियों और महिलाओं की अधिकार शिक्षा के महत्त्व को स्वीकारते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं।

''धरा से उठकर अंतरिक्ष को छू लिया है।
मंजिलें अभी बहुत है सफर तय करना है॥''

वर्तमान संदर्भ में नारी शिक्षा– स्वतन्त्र भारत में नारी को विशेष प्रतिष्ठा दी गई। भारतीय संविधान ने पुरुष एवं नारी को समान अधिकार देकर वैधिक दृष्टि से नर-नारी के भेद को समाप्त कर दिया। स्त्री शिक्षा और महिला अधिकार पर विशेष ध्यान दिया गया। नौकरी, प्रशासन, राजनीति और समाज सेवा में महिलाओं ने बराबर से भाग लेना प्रारम्भ किया। सामाजिक आर्थिक विकास की गति तेज करने में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा व अधिकार के महत्त्व को स्वीकारते हुए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं।

ऐसा नहीं कि आजादी से पूर्व अथवा आजादी के बाद भी महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति केवल भारत में ही रही है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के हितों और अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। जबकि वास्तविक कुछ और ही है अनेक देशों में आज भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है काम के आवंटन में भी भेदभाव बरता जाता है और महिलाओं से निचले दर्जे का काम लिया जाता है। उनकी वृद्धावस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है, न ही उन्हें मातृत्व सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। बहुत से देशों में सम्पत्ति अर्जन का स्वात्वाधिकारी होता है, महिलाओं को अपनी पैतृक सम्पत्ति उत्तराधिकार को प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं होता।

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए यद्यपि समय-समय पर कानून बनाए जाते रहे हैं और उन पर अमल भी किया जाता है परन्तु मात्र कानून बनाने और सरकारी मशीनरी को ही इस काम में लगा देने से काम नहीं चलेगा यदि महिलाओं और पुरुषों की बीच की इस दूरी को कम करना है तो सबसे पहले इसके लिए पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन लाना जरूरी है। जब स्त्रियों के प्रति पुरुषों की मानसिकता बदलेगी और समाज महिला के महत्त्व को परिप्रेक्ष्य में आंकने और समझने लगेगा शायद तब ही विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी जाति इस प्रगतिशील समाज में सही मायनों में अपना स्थान प्राप्त कर सकेगी।

आज की नारी को अधिकारों के प्रति जागरूक कराने के लिए आवश्यक है उन्हें शिक्षित किया जाये। आज की नारी के लिए महत्त्वपूर्ण है शिक्षा, शिक्षा का बढ़ते महत्त्व में एक लाभ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है आज की नारी को शिक्षा लेकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है तथा एक अशिक्षित नारी न तो

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है न वह अपने अधिकारों को पाने में सफल बल्कि अपनी उसी तस्वीर में सिमट कर रह जाती है। घर की चारदीवारी में कैद पुरुष की भोग विलास की वस्तु बन जाती है। लेकिन आज भारतीय स्त्री, पुरुष के समान स्तर पाने की है। उन्नति समान अवसर सुविधाएं पाने की है। उसको भी पुरुष के समान, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने की चाह है इसलिए आवश्यक है कि वह शिक्षित हों आज भारत में नारी शिक्षित होकर ही नारीवाद अथवा नारी मुक्तिवाद से छुटकारा पा सकती है यहाँ पर नारीवाद अथवा नारी मुक्तिवाद का वह अर्थ नहीं है जो पश्चिम में प्रचलित है। भारतीय स्त्री की माँग आज पुरुष के समान ही सम्मान पाने और आत्म सम्मान के साथ जीने की चाह है तथा इसको पाने के लिए तेजी से नारी शिक्षा का विकास करना आवश्यक है।

एक ओर तो हम स्त्री पुरुष दोनों को ही जीवनरूपी गाड़ी के दो पहिए मानते हैं तो दूसरी ओर सभी देखभाल, रख-रखाव की आकांक्षा। केवल एक ही पहिए से क्यूँ? क्या इस प्रकार जीवनरूपी गाड़ी ठीक-ठाक चल पायेगी? हमारे इन्हीं पुराने विचारों ने पुरुष को अपने मन का मालिक बना दिया है और कभी-कभी तो वह इतना निरंकुश व घमण्डी हो जाता है कि जीवनरूपी गाड़ी से अलग ही छिटक जाता है और परिणाम पति-पत्नी से अलग होने के रूप में सामने आता है हिन्दू विवाह में पत्नी दोनों को ही समान वचन एक दूसरे को देने पड़ते हैं फिर व्यावहारिक जीवन में केवल स्त्रियाँ ही इन वचनों को निभाने के लिए मजबूर क्यूँ? पुरुष क्यूँ नहीं?

आज जबकि जीवन का कोई भी क्षेत्र स्त्री से अछूता नहीं है चाहे वह खेल का मैदान हो या विज्ञान से बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाएँ साहित्य लेखन हो या राजनीति बड़े-बड़े संस्थानों में प्रबन्ध का पद हो या इंजीनियर का पद महिलाओं ने हर जगह अपनी मौजूदी का एहसास कराया है कई क्षेत्रों में तो स्त्रियों ने अपनी लगन मेहनत से पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है।

– रीडर, शिक्षा संकाय
दयालबाग विश्वविद्यालय, आगरा

शिक्षा का सार्वजनीकरण : समस्या एवं समाधान

❑ मूलचन्द सैनी

शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ केवल बच्चों को विद्यालय लाना और विद्यालय में लाकर बनाये रखना ही नहीं अपितु उन बच्चों को सीखने का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त कराना है। आज पूरा देश शिक्षा की दर बढ़ाने को कृत संकल्प है किन्तु शिक्षा को केवल किसी जाति, वर्ग, राज्य तक सीमित रखकर या पुरुष वर्ग के अधिकार में बाँधकर शिक्षा के सार्वजनीकरण की थोथी कल्पना करना निरर्थक है।

शिक्षा के सार्वजनीकरण में निम्नलिखित समस्याएँ आड़े आ रही हैं–

(1) आर्थिक कारण– आज विद्यालयों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए उनके स्तरानुसार उपयुक्त शैक्षिक संसाधनों का बिल्कुल अभाव है। कहीं-कहीं खुले आसमान के नीचे ही बच्चों को शिक्षा देना एक अनापेक्षित कार्य है। कहीं-कहीं कुछ विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सांस ले रहे हैं, उनके पास उपयुक्त रूप से विद्यालय भवन तक नहीं। इसके साथ ही नन्हें-नन्हें बालक अपने परिवार की जठराग्नि शान्त करने में अपने माता-पिता का हाथ बँटाते हैं, ऐसे बालक विद्यालय की देहरी पर कदम रखने से असमर्थ या दूर भागते हैं।

(2) भौगोलिक कारण– विभिन्न प्रकार की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भौगोलिक विभिन्नता को देखते हुए विद्यालयों की संख्या सीमित है, बालक दूर-दराज स्कूलों में पहुँचने में असमर्थ हैं। यदि बालक विद्यालय में प्रवेश भी ले लेता है तो भौगोलिक परिस्थिति के कारण उसको विद्यालय से तिलाञ्जली देनी ही पड़ती है।

(3) पारिवारिक कारण– भारत के कुछ गाँवों में आज भी अनेक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों रची पौधों ने अपनी जड़ें इतनी फैला रखी हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में हिचकिचाते हैं। परिवार का आकार, उसकी आय व लैंगिक विभिन्नता ने भी इस पहलू को प्रभावित किया है।

(4) भाषागत कारण– भारत के अनेक प्रदेशों के साथ-साथ एक राज्य के प्रत्येक जिले में ही अनेक बोलियों का बोलबाला है, जिससे छात्र व शिक्षक के बीच भाषा में तालमेल एवं सामंजस्य नहीं बैठ पाता और बालक इस भार से बच निकलने की उम्मीद से विद्यालय परिसर से दूर भागने का प्रयास करता है।

(5) स्तरानुकूल पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण– स्कूली शिक्षा जब तक पाठ्यपुस्तकों के दायरे में बँधी रहेगी तब तक शिक्षा का सार्वजनीकरण कैसे सम्भव हो सकेगा? इस सम्बन्ध में फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान रूसो ने अपनी 'इमील' नामक पुस्तक में लिखा है कि बालक का मन ही शिक्षक की पाठ्यपुस्तक है, जिसे उसको पहले पृष्ठ से लेकर अन्त तक भलीभाँति अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन कक्षा में भीड़भाड़ होने से क्या ऐसा सम्भव हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जावे?

(6) अन्य कारण– (i) गूंगे-बहरे एवं अन्धे बालकों के लिए विद्यालयों की संख्या नगण्य है। क्या इन विशिष्ट बालकों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? (ii) बालक का अध्यापक के साथ एवं अन्य बालकों के साथ व्यवहारगत विभिन्नता के कारण बालक में विद्यालय के प्रति कुत्सित भावना पैदा कर देता है जिससे वह विद्यालय से जी चुराने लगता है। (iii) खेल प्रविधियों के प्रयोग में शिक्षक की असमर्थता होने से बालक शिक्षा के प्रति उत्सुक नहीं हो पाता। (iv) पुस्तकालयों में बाल साहित्य का अभाव भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। (v) खेल मैदान एवं खेल सुविधाओं का अभाव भी एक कारक है। (vi) प्रायः अधिकांश शिक्षक बिना तैयारी के ही विद्यालय में अध्यापन करवाने से बालक शिक्षा ग्रहण में अपेक्षित रुचि नहीं ले पाते।

सुझाव– आज जबकि शिक्षा का लाभ सम्पूर्ण मानव समाज तक पहुँचाने का अन्तर्राष्ट्रीय संकल्प जागा है और हमने भी अमुक उम्र तक बालक-बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा का संकल्प लिया है, शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया है तो क्या हमारा दायित्व उस प्रथम

पीढ़ी के लिए नहीं है जिनके यहाँ पीढ़ियों से अक्षर ज्ञान की परम्परा ही नहीं है? शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए मेरी ओर से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं– 1. बालकों में विविध विषयों की पुस्तकों के अध्ययन की रुचि जगायें और उन्हें ढेर सारी ज्ञानवर्धक, रचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक पुस्तकें पढ़ने को उपलब्ध करवायें। 2. चल विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जावे ताकि घुमक्कड़ जातियों के सभी बच्चे शिक्षार्जन कर सकें। 3. स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जावे। 4. संचार साधनों से समाज में शिक्षा के प्रति जाग्रति लाई जावे। 5. विद्यालयों में बच्चों के स्तरानुसार भौतिक एवं शैक्षणिक साधन मुहैया करवाए जाएं। 6. एम.डी.एम. (मध्यान्तर भोजन) व्यवस्था की समीक्षा करके व्यवस्था में बदलाव किया जावे। यह दायित्व शिक्षक की बजाय किसी अन्य एन.जी.ओ. अथवा संस्था को दिया जावे। 7. गरीब बच्चों को ड्रेस, कापी, पेन आदि सामग्री उपलब्ध करवाई जाएं। 8. पाठ्यक्रम को समय-समय पर समाज की आवश्यकतानुसार बदलते रहना चाहिए। 9. प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम रोचक हो। 10. शिक्षा को राजनीति से सर्वथा अलग रखा जावे। 11. लक्ष्य तक अथवा लक्ष्य से अधिक परफोरमेंस (परिणाम) देने वाले शिक्षक एवं विद्यालय को पुरस्कृत किया जावे। लक्ष्य से कम परिणाम देने वाले शिक्षक एवं संस्था प्रधान पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। 12. शिक्षा शनिवार में समाज एवं विद्यालय को नजदीक लाने के सार्थक प्रयास हों। क्योंकि विद्यालय समाज का दर्पण है एवं समाज विद्यालय का दर्पण होता है। 13. आदर्श (Model) स्कूलों की स्थापना की जावे जो कि आदर्श घर से श्रेष्ठ हों। 14. शिक्षा के अधिकार (Right to Education) कानून का ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया जावे। 15. समय-समय पर विभिन्न अभिनव योजनाएं संचालित करते रहना चाहिए।

उपसंहार– हमें 'सबके लिए शिक्षा' का संकल्प इसी दशक में पूरा करना है ताकि यह दशक देश के लिए खिले फूल की भाँति बन सके, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य को अपनी खुशबू से सराबोर कर दे। यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम शिक्षा को एक खुली किताब मानकर चलें और विचार करें कि इसे पढ़ने का सभी को अधिकार है। हाँ, यदि हम भास्कर की प्रथम किरण से लेकर अन्तिम किरण तक कर्मगत रहेंगे तो आपका और हमारा यह सम्मिलित प्रयास एक दिन निश्चित रूप से रंग लायेगा एवं भारत वर्ष का प्रत्येक भरत शिक्षारूपी अस्त्र से सुसज्जित होगा।

– अध्यापक

रा.उ.मा.वि. कोटड़ी, लुहारवास, सीकर

विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्टता प्राप्ति के सात सरल नियम

❑ **ब्रिगेडियर करणसिंह चौहान**

1. लक्ष्य निर्धारण (Goal Setting)– आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं ? अपनी टेबल के दाँयें ऊपर लिखकर रखें। सदैव देखते रहें व यह विचार करें कि उस आदर्श प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। अनुकरणीय व्यक्तित्व (रोल मॉडल) चुनें जिसका आप चित्र या कथन प्रदर्शित कर अनुकरण कर सकें, पढ़ाई की जगह सुनिश्चित करें व सदैव एक जगह ही बैठें। पढ़ाई शुरू करने के पहले चार बार ओम या प्रभु का उच्चारण करें। स्मरण रहे आप अपने जीवन का सम्पादन स्वयं ही कर सकते हैं।

2. समय प्रबंधन (Time Management)– समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है। प्रतिदिन प्रकृति हमें 86,400 सेकिंड का चेक देती है, उपयोग करो नहीं तो स्वतः ही नष्ट हो जावेगा। सुबह उठने से रात को सोने तक की दिनचर्या बनावें। स्वावलम्बी बनें। सोते वक्त सिर पूर्व या दक्षिण में रखें सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करें व ''कराग्रे लक्ष्मी बसे, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविन्द प्रभात कर दर्शनम्'' मंत्र बोलें। सम्पदा तो आप गवाने बाद कमा सकते हो परन्तु समय खो जाने पर पुनः नहीं लाया जा सकता।

3. कठोर मेहनत-एकाग्रता (Hard work & Concentrations)– प्रत्येक दिन कक्षावार (क्लास-इनटू वन) उतने पेज लिखें कुछ भी लिख सकते हैं– प्रश्न उत्तर पढ़ाया गया या पढ़ाने वाला सबक, पत्र, कहानी, कविता, मुहावरे, चुटकले आदि, ए से जेड अंग्रेजी की लिपि को ए को 1 नम्बर देते हुए और जेड को 26 दें। अब अंग्रेजी के हार्ड वर्क, एटीटियूट और लक को नम्बर दें क्रमशः ये 98, 100, 47 हैं। लिखने से आपका विश्वास एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इस संदर्भ में एक वृत्तान्त है कि एक प्रसिद्ध जर्मन संगीतकार बिथोवियन की प्रशंसा एक वृद्धा कर रही थी कहने लगी कि अगर प्रभु मुझ पर कृपा करते तो मैं भी आप जैसी संगीतकार होती इसके प्रत्युत्तर में बिथोवियन ने कहा– नहीं माँ नहीं, आप भी मेरे जैसे रोज 8 घंटे 20 साल तक प्रयत्न करती तो मेरे जैसी बन सकती थी।

4. भाषा-श्रवण प्रबंधन (Management of Language, Speech & Body & Listening)– एकाग्रता से श्रवण (सुनना) सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, इस 21वीं सदी में हमारी एकाग्रता 5 मिनट 7 सेकण्ड ही रह गई है जबकि मात्र 10 साल पहले यह 12 मिनट ही थी। वार्तालाप इन्टरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग व व्यवसाय में वाणी प्रबंधन आवश्यक है। हर एक से छोटा हो या बड़ा आदर से बोलो। तीन मिनट तक किसी भी एक विषय पर भाषण दें। मधुर भाषी सबका मन जीतता है। कौवा और कोयल का उदाहरण देखिए। शारीरिक हाव-भाव (बॉडी लेंग्वेज) का खास मुख्यतः ध्यान रखना। कोई लिखा जाने वाले अंश को योजित, सम्पादित, संशोधित व शुद्धिकरण तो कर सकते हैं परन्तु बोली गई भाषा का कोई उपचार नहीं है।

5. सेवा का संकल्प (Service)– सेवा जीवन का मुख्य ध्येय है व यह एक वास्तविक सार्थकता है किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग जिससे किसी प्राणी को सुख की अनुभूति हो वही सेवा है, रास्ते से काँटा हटाना, पेड़ को जल देना, किसी को भी किसी प्रकार का मन, वचन, कर्म से पीड़ा न देना, यथाशक्ति दान करना, विश्व के हर जीव के

लिए प्रार्थना करना सदैव ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया'' स्मरण में रखना, माता-पिता गुरुजनों, बड़ों, हर प्राणी की सेवा करना। किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान देना।

6. स्वास्थ्य व आहार (Health and Diet)– अपने शरीर की जिम्मेदारी समझते हुए इसे स्वस्थ रखना, रोज नियमित शारीरिक परिश्रम, योग, प्राणायाम करना, सात्विक खान-पान, समय पर भोजन, ''ईट ग्रीन्स रिमेन इन टीन्स'' विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य नाम की किताब (आल इंडिया मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रकाशित) का अध्ययन करना।

7. वातावरण सुनिश्चितता (Creating Conducive Environment)– ये सात नियम शरीर, मन व आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। सब नियमों में यह नियम अति आवश्यक है क्योंकि इसका प्रभाव सब नियमों पर पड़ता है। स्कूल व सार्वजनिक पुस्तकालय में नियमित रूप से जाओ, अच्छी पुस्तकों से जानकारी लो, माता-पिता, गुरुजनों, मित्रों से सहयोग लो व उन्हें निवेदन करो कि वे आपका मार्गदर्शन करें। संगति, पुस्तकों, स्वयं की लगन, इच्छा शक्ति, समय व परिस्थितियों से उपयोगी वातावरण बनाया जा सकता है इस संदर्भ में एक उदाहरण यह है कि जापान में एक मछली जिसका नाम 'कोई' या जापानी इसे 'कार्प' कहते हैं यह मछली प्याले में डालने पर तीन इंच बड़े या चौड़े बर्तन में 6'', नाड़ी (पोंड) में यह 1 फीट और झील (लेक) में यह 3 फीट तक बढ़ जाती है इसी तरह हम भी परिस्थिति के अनुरूप अपनी विकास क्षमता (ग्रोथ) निश्चित कर सकते हैं।

धन्यवाद देने का अवसर कभी मत खोओ नया वर्ष, जन्म दिन, राष्ट्रीय उत्सव पर शुभकामनाएं प्रेषित करें। धन्यवाद सेवा व प्रेम की तरंगें वातावरण को पुष्ट करती हैं।

– पोस्ट, श्रीसेला-306701
जिला, बाली (राज.)

उत्तरदायित्व का आत्मबोध

❑ रूपनारायण काबरा

हमारा जीवन जैसा भी है उसके अच्छे-बुरे, सफल-असफल होने के हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल अथवा प्रतिकूल जैसी भी हों उनका प्रभाव तभी पड़ता है जब हम उनसे प्रभावित होते हैं। सही परिस्थितियाँ, सुख-समृद्धि के बावजूद भी हम सब कुछ खोते चले जाते हैं और एक दिन साधनहीन हो जाते हैं। इसके विपरीत विषम परिस्थितियों में और विपदाओं में भी हम अपना मार्ग बना लेते हैं, प्रतिकूल को अनुकूल बना लेते हैं और सब कुछ पा जाते हैं।

हम हमारे स्वास्थ्य एवं खाने पीने का ध्यान तो सामान्यतः बखूबी कर लेते हैं पर हमारे अनुचित, विवेकहीन व्यवहार जो हम अपने बच्चों, पत्नी या अन्य से करते हैं उसका दायित्व व प्रभाव हम सहज में नहीं स्वीकारते हैं और न ही उतना ध्यान या महत्त्व देते हैं।

आप अपने दायित्वबोध के बारे में अपने आपसे पूछ कर तो देखिए। हम जब कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, कोई व्याख्यान सुन रहे होते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं तब हम अपनी अन्तर्चेतना को कितना सजग रखते हैं, यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है।

आप स्वयं उत्तरदायी हैं अपनी पसन्द, अपने निर्णय, विवेक एवं अपने कर्म के लिए क्योंकि इन सबके कर्त्ता आप स्वयं हैं। और यदि असावधानी करते हैं तो अच्छे-बुरे परिणाम के लिए भी आप ही उत्तरदायी एवं अधिकारी हैं।

आपकी इच्छाओं की पूर्ति और समस्याओं के समाधान हेतु भी आप स्वयं ही उत्तरदायी हैं। यदि आप इसी आशा एवं प्रतीक्षा अथवा अपेक्षा में रहें कि कोई मसीहा, कोई मददगार आयेगा, कोई चमत्कार होगा और आपकी सब समस्यायें दूर हो जायेंगी तथा आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जायेगी तो यह एक कल्पना मात्र होगी। समस्यायें स्वयं को ही हल करनी होंगी और अपनी आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति भी आपको स्वयं को ही करनी होगी और इनकी उत्पत्ति एवं पूर्ति के लिए आपको स्वयं को ही जिम्मेदार मानना होगा, उपाय एवं प्रयास करने होंगे इस विश्वास के साथ कि कोई नहीं आयेगा, सब कुछ आपको ही संभालना होगा। यदि स्वयं कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं सुधरेगा। आपको अपनी स्वयं की सामर्थ्य, शक्ति और विश्वास को जगाना होगा। दूसरे पर निर्भर होकर और स्वयं को कमजोर, असहाय अथवा अभागा नहीं मानना है, अपनी क्षमता, आत्मविश्वास एवं दायित्व को नकार कर परमुखापेक्षी बनकर तो आप निष्क्रियता, निराशा, निर्बलता एवं असफलता को ही आमंत्रित करेंगे।

अपनी आस्थाओं एवं मूल्यों के प्रति भी आप स्वयं ही उत्तरदायी हैं। हम दूसरों की आस्थाओं एवं मूल्यों के प्रति ज्यादा सजग हैं, आलोचक हैं अपने स्वयं के प्रति उदासीन हैं। हम सामान्यतः उन्हीं व्यक्तियों के साथ सहज महसूस करते हैं। जिनकी विचारधारा हमारी सोच से मेल खाती है। यदि आप किसी अन्य की विचारधारा व मान्यताओं को उन्नत मानते हैं तो आपका यह दायित्व है कि उसके संसर्ग व सोच से प्रेरणा लेकर अपनी सोच को उन्नत करें।

अपने मित्रों के चयन का दायित्व भी आपका ही है। आपको अपने सही मित्र का चयन करना है जो आपका हमसफर हो और आपकी भाव-भावना, क्षमता और कमजोरी को समझता हो और जो आपका सम्पूरक हो। गलत मित्र का चयन व उसकी कुसंगति से आप भी सही राह से भटक सकते है। जीवन में कई बार मित्र पारिवारिक सदस्यों से भी अधिक मददगार होते हैं। अतः आपको सही मित्र के चयन में सतर्क रहना है। लोगों के प्रति अपने व्यवहार के लिए भी आप स्वयं ही उत्तरदायी हैं। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे पेश आते हैं, आदर करते हैं या अनादर, उपेक्षा करते हैं अथवा ध्यान देते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, सहृदय हैं या उदासीन, आप उदार हैं कि नहीं यह भी देखना है, अपने वादों पर, शब्दों पर कायम रहते हैं या वादाखिलाफी करते हैं, इसका भी आपके सामाजिक-पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः आपको अपने व्यवहार को समझना है और ध्यान देना है यह भी आपकी ही जिम्मेदारी है अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी आपको ही भोगने होंगे।

वैवाहिक सम्बन्ध, सन्तान व परिवार के सामंजस्य तथा सामाजिक, व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग, सचेष्ट तथा संचेतना एवं आत्मबोध न होने से जो असफलता, दुःख, निराशा और तनाव आ सकते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बाहर की नहीं हमारे स्वयं के भीतर की होती है और वह होती है अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना एवं उपेक्षा से। अतः अपने उत्तरदायित्व का आत्मबोध होना आवश्यक है, अन्तरावलोकन अपरिहार्य है।

– ए-438, किशोर कुटीर
वैशाली नगर, जयपुर-302021

बापू की सीख-3

अदल इंसाफ

□ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। —वरिष्ठ सम्पादक

ईसवी सन् की कुछ शताब्दियों पहले एक यहूदी व्यापारी हो गया है। उसका नाम सोलोमन था। उसने धन और यश दोनों भरपूर कमाये थे। उसकी कहावतों का आज भी यूरोप में प्रचार है। वेनिस के लोग उसे इतना मानते थे कि उन्होंने उसकी मूर्ति स्थापित की। उसकी कही हुई बातें आजकल याद तो रखी जाती हैं; परन्तु ऐसे आदमी बहुत कम हैं जो उसके अनुसार आचरण करते हों। वह कहता है, "जो लोग झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं वे घमंडी हैं और यही उनकी मौत की निशानी है।" दूसरी जगह उसने कहा है, "हराम की दौलत से कोई लाभ नहीं होता। सत्य मौत से बचाता है।" इन दोनों कथनों में सोलोमन ने बतलाया है कि अन्याय से पैदा किये हुए धन का परिणाम मृत्यु है। इस जमाने में इतना झूठ बोला और इतना अन्याय किया जा रहा है कि साधारणतः हम उसे झूठ और अन्याय कह ही नहीं सकते। जैसे कि झूठे विज्ञापन देना, अपने माल पर लोगों को भुलावे में डालने वाले लेबिल लगाना इत्यादि।

इसके बाद वह बुद्धिमान कहता है, "जो धन बढ़ाने के लिए गरीबों को दुःख देता है वह अंत में दर-दर भीख मांगेगा।" इसके बाद कहता है, "गरीबों को न सताओ, क्योंकि वे गरीब हैं। व्यापार में दुखियों पर जुल्म न करो, क्योंकि जो गरीब को सतायेगा, खुदा उसे सतायेगा।" लेकिन आजकल तो व्यापार में मरे हुए आदमी को ही ठोकर मारी जाती है। यदि कोई संकट में पड़ जाता है तो हम उसके संकट से लाभ उठाने को तैयार हो जाते हैं। डकैत तो मालदार के यहाँ डाका डालते हैं, परन्तु व्यापार में तो गरीबों को ही लूटा जाता है।

फिर सोलोमन कहता है, "अमीर और गरीब दोनों समान हैं। खुदा उनको उत्पन्न करने वाला है। खुदा उनको ज्ञान देता है।" अमीर का गरीब के बिना और गरीब का अमीर के बिना काम नहीं चलता। एक से दूसरे का काम सदा ही पड़ता रहता है, इसलिए कोई किसी को ऊँचा या नीचा नहीं कह सकता। परन्तु जब ये दोनों अपनी समानता को भूल जाते हैं और जब उन्हें इस बात का होश नहीं रहता कि खुदा उन्हें ज्ञान देने वाला है तब विपरीत परिणाम होता है।

धन नदी के समान है। नदी सदा समुद्र की ओर अर्थात् नीचे की ओर बहती है। इसी तरह धन को भी जहाँ आवश्यकता हो वहीं जाना चाहिए; परन्तु जैसे नदी की गति बदल सकती है वैसे ही धन की गति में भी परिवर्तन हो सकता है। कितनी ही नदियाँ इधर-उधर बहने लगती हैं और उनके आस-पास बहुत-सा पानी जमा हो जाने से जहरीली हवा पैदा होती है। इन्हीं नदियों में बाँध बाँधकर जिधर आवश्यकता हो उधर उनका पानी ले जाने में वही पानी जमीन को उपजाऊ और आस-पास की वायु को उत्तम बनाता है। इसी तरह धन का मनमाना व्यवहार होने से बुराई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। सारांश यह कि वह धन विषतुल्य हो जाता है; पर यदि उसी धन की गति निश्चित कर दी जाय, उसका नियमपूर्वक व्यवहार किया जाय तो बाँधी हुई नदी की तरह वह सुखप्रद बन जाता है।

अर्थशास्त्री धन की गति के नियंत्रण के नियम को एकदम भूल जाते हैं। उनका शास्त्र केवल धन प्राप्त करने का शास्त्र है; परन्तु धन तो अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक जमाना ऐसा था जब यूरोप में धनिक को विष देकर लोग उसके धन से स्वयं धनी बन जाते थे। आजकल गरीब लोगों के लिए जो खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं, उनमें व्यापारी मिलावट कर देते हैं। जैसे दूध में सुहागा, आटे में आलू, कहवे में चीकरी, मक्खन में चरबी इत्यादि। यह भी विष देकर धनवान होने के समान ही है। क्या इसे हम धनवान होने की कला या विज्ञान कह सकते हैं?

परन्तु यह न समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्री निरी लूट से ही धनी होने की बात कहते हैं। उनकी ओर से यह कहना ठीक होगा कि उनका शास्त्र कानून-संगत और न्याय-युक्त उपायों से धनवान होने का है। पर इस जमाने में यह भी होता है कि अनेक बातें जायज होते हुए भी न्याय-बुद्धि से विपरीत होती हैं। इसलिए न्यायपूर्वक धन अर्जन करना ही सच्चा रास्ता कहा जा सकता है। और यदि न्याय से ही पैसा कमाने की बात ठीक हो तो न्याय-अन्याय का विवेक उत्पन्न करना मनुष्य का पहला काम होना चाहिए। केवल लेन-देन के व्यावसायिक नियम से काम लेना या व्यापार करना ही काफी नहीं है। यह तो मछलियां, भेड़िये और चूहे भी करते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, चूहा छोटे जीव-जंतुओं को खा जाता है और भेड़िया आदमी तक को खा डालता है। उनका यही नियम है, उन्हें दूसरा ज्ञान नहीं है; परन्तु ईश्वर ने मनुष्य को समझ दी है, न्याय-बुद्धि दी है। उसके द्वारा दूसरों को भक्षण कर, उन्हें ठगकर, उन्हें भिखारी बनाकर उसे धनवान न होना चाहिए।

ऐसी अवस्था में अब हमें देखना है कि मजदूरों को मजदूरी देने का न्याय क्या है?

हम पहले कह चुके हैं कि मजदूर का उचित पारिश्रमिक तो यही हो सकता है कि उसने जितनी मेहनत हमारे लिए की हो उतनी ही मेहनत जब उसे आवश्यकता हो हम भी उसके लिए कर दें। यदि उसे कम मेहनत, कम काम मिलता है तो हम उसे उसकी मेहनत का कम बदला देते हैं, ज्यादा मिले तो ज्यादा देते हैं।

एक आदमी को एक मजदूर की आवश्यकता है; पर दो आदमी उसका काम करने

को तैयार हो जाते हैं। अब जो आदमी कम मजदूरी माँगे उससे काम लिया जाए तो उसे कम मजदूरी मिलेगी। यदि अधिक आदमियों को मजदूरी की आवश्यकता हो और मजदूर एक ही हो तो उसे मुँहमाँगी उजरत मिल जाएगी और यह प्रायः जितनी होनी चाहिए उससे अधिक ही होगी। इन दोनों के बीच की दर उचित मजदूरी कही जाएगी।

कोई आदमी मुझे कुछ रुपया उधार दे और मैं किसी विशेष अवधि के बाद लौटाना चाहूँ तो मुझे उस आदमी को ब्याज देना होगा। इसी तरह आज कोई मेरे लिए मेहनत करे तो मुझे उस आदमी को उतना ही नहीं, बल्कि ब्याज के तौर पर, कुछ अधिक परिश्रम देना चाहिए। आज मेरे लिए कोई एक घंटा काम कर दे तो मुझे उसके लिए एक घंटा पांच मिनट या इससे अधिक काम कर देने का वचन देना चाहिए। यही बात प्रत्येक मजदूर के विषय में समझनी चाहिए।

अब अगर मेरे पास दो मजदूर आयें और उनमें से जो कम ले उसे मैं काम पर लगाऊँ तो फल यह होगा कि जिससे मैं काम लूँगा उसे तो आधे पेट रहना होगा और जो बेरोजगार रहेगा वह पूरा उपवास करेगा। मैं जिस मजदूर को रखूँ उसे पूरी मजदूरी दूँ तब भी दूसरा मजदूर तो बेकार ही रहेगा। फिर भी जिसे मैं काम में लगाऊँगा, उसे भूखों न मरना होगा और यह समझा जाएगा कि मैंने अपने रुपये का उचित उपयोग किया। सच पूछिए तो लोगों के भूखों मरने की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है। मैं मजदूरी दूँ तो मेरे पास व्यर्थ का धन इकट्ठा न होगा, मैं भोग-विलास में रुपया खर्च न करूँगा और मेरे द्वारा गरीबी न बढ़ेगी। जिसे मैं उचित दाम दूँगा वह दूसरों को उचित दाम देना सीखेगा। इस तरह न्याय का सोता सूखने के बदले ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों उसका जोर बढ़ता जाएगा और जिस राष्ट्र में इस प्रकार की न्याय-बुद्धि होगी वह सुखी होगा और उचित रूप से फूले-फलेगा।

इस विचार के अनुसार अर्थशास्त्री झूठे ठहरते हैं। उनका कथन है कि ज्यों-ज्यों प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है, त्यों-त्यों राष्ट्र समृद्ध होता है। वास्तव में यह विचार भ्रांत है। प्रतिस्पर्द्धा का उद्देश्य है मजदूरी की दर घटना।

इससे धनवान अधिक धन इकट्ठा करता है और गरीब अधिक गरीब हो जाता है। ऐसी प्रतिस्पर्द्धा (चढ़ा-ऊपरी) से अंत में राष्ट्र का नाश होने की संभावना रहती है। नियम तो यह होना चाहिए कि हरेक आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार मजदूरी मिला करे। इसमें भी प्रतिस्पर्द्धा होगी, पर इस प्रतिस्पर्द्धा के फलस्वरूप लोग सुखी और चतुर होंगे, क्योंकि फिर काम पाने के लिए अपनी दर घटाने की जरूरत न होगी, बल्कि अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी होगी। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी पाने के उत्सुक रहते हैं। वहाँ दर्जे के अनुसार तनखाह स्थिर होती है, प्रतिस्पर्द्धा केवल कुशलता में रहती है। नौकरी के लिए दरखास्त देने वाला कही तनखाह लेने की बात नहीं कहता, किन्तु यह दिखाता है कि उसमें दूसरों की अपेक्षा अधिक कुशलता है। फौज और जल-सेना की नौकरियों में भी इसी नियम का पालन किया जाता है और इसीलिए प्रायः ऐसे विभागों में गड़बड़ और अनीति कम दिखाई देती है। व्यापारियों में ही दूषित प्रतिस्पर्द्धा चल रही है और उसके फलस्वरूप धोखेबाजी, दगा, फरेब, चोरी आदि अनीतियाँ बढ़ गई हैं। दूसरी ओर जो माल तैयार होता है वह खराब और सड़ा हुआ होता है। व्यापारी चाहता है कि मैं खाऊँ, मजदूर चाहता है कि मैं ठग लूँ ! इस प्रकार व्यवहार बिगड़ जाता है, लोगों में खटपट मची रहती है, गरीबी का जोर बढ़ता है, हड़तालें बढ़ जाती हैं, महाजन ठग बन जाते हैं, ग्राहक नीति का पालन नहीं करते। एक अन्याय से दूसरे अनेक अन्याय उत्पन्न होते हैं। अंत में महाजन, व्यापारी और ग्राहक सभी दुःख भोगते और नष्ट होते हैं। जिस राष्ट्र में ऐसी प्रथाएं प्रचलित होती है, वह अंत में दुःख पाता है और उसका धन ही विष-सा हो जाता है।

इसलिए ज्ञानियों ने कह रखा है :

''जहाँ धन ही परमेश्वर है वहाँ सच्चे परमेश्वर को कोई नहीं पूजता।''

अंग्रेज मुँह से तो कहते हैं कि धन और ईश्वर में परस्पर विरोध है, गरीब ही के घर में ईश्वर वास करता है, पर व्यवहार में वे धन को सर्वोच्च पद देते हैं। अपने धनी आदमियों की गिनती करके अपने को सुखी मानते हैं और अर्थशास्त्री शीघ्र धनोपार्जन करने के नियम बनाते हैं, जिन्हें सीखकर लोग धनवान हो जाय। सच्चा शास्त्र न्याय-बुद्धि का है। प्रत्येक प्रकार की स्थिति में न्याय किस प्रकार किया जाय, नीति किस प्रकार निबाही जाय– जो राष्ट्र इस शास्त्र को सीखता है वही सुखी होता है, बाकी सब बातें वृथा प्रयास हैं। 'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः' के समान हैं। लोगों को जैसे भी हो सके पैसा पैदा करने की शिक्षा देना उन्हें उलटी अकल सिखाने जैसा ही है।

'सर्वोदय' से

विद्यार्थियों के लिए टिप्स

1. अधिक बोलना, अधिक सोना, अधिक घूमना, मूल्यवान सुन्दर वस्त्रों को धारण करना, अधिक स्वादिष्ट, गरिष्ठ भोजन करना– ये सब बातें विद्यार्थी के अध्ययन में बाधा पहुँचाती हैं। 2. विद्यार्थी को कुछ शारीरिक श्रम (आसन, प्राणायाम, व्यायाम, दौड़ना, शारीरिक श्रम की सेवा आदि) अवश्य करना चाहिए। 3. दीन, दुःखी, निर्बल की सेवा-सहायता का अवसर ढूँढ़कर अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता करने से विद्यार्थी में गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। 4. विद्यार्थी को प्रारम्भ से ही धैर्य धारण करने का, नम्रता का, मधुरभाषी, मितभाषी, संतोषी होने का तथा कष्ट सहने का अभ्यास करना चाहिए। 5. जितना ही इन्द्रियों के विषयसेवन में व्यय होने वाली शक्ति को रोकते रहोगे, उतनी ही अधिक बुद्धि शक्तिशाली होगी। 6. वे विद्यार्थी जो स्वभाव से ही परिश्रमी, संयमी, उदार, कर्तव्यपरायण, दयावान, विनम्र, विचारशील, दूरदर्शी होते हैं, वे ही समाज व देश की विश्वसनीय सम्पत्ति है। 7. जिस जीवन का आरम्भ सुन्दर, शुभ, विधिवत एवं शक्ति सम्पन्न होता है, उसी का मध्य और अन्त भी सुख-शान्ति से पूर्ण हो सकता है। 8. जितेन्द्रिय, संयमी होना विद्यार्थी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 9. विद्यार्थी को प्रतिदिन सोने से पहले यह विचार करना चाहिए कि आज का काम पूरा हुआ अथवा नहीं? यदि नहीं तो उठो और उस कार्य को अविलम्ब पूर्ण करो। तब कहीं सोने का अधिकार आपको मिलेगा। 10. विद्यार्थी को अपने जीवन में निरन्तरता को प्राथमिकता देना चाहिए।

–परबत सिंह राठौड़, वरिष्ठ अध्यापक
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
शिवगंज, सिरोही (राज.) 307027

आदेश परिपत्रः अगस्त, 2011

□ 1. राजकीय अवकाश/शोक –दिशानिर्देश □ 2. अतिविशिष्ट व्यक्तियों के निधन पर राजकीय अवकाश/शोक –दिशानिर्देश सम्बन्धित परिपत्र दिनांक 4 मई 2011 बाबत शुद्धिपत्र □ 3. साइकिलों का अंशदान राजकोष में जमा करवाएं □ 4. क्रीड़ा प्रतियोगिता नियमावली में नियम का विलोपन □ 5. बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख के निस्तारण से प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराने हेतु लेखामद □ 6. अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के सम्बन्ध में शिथिलन □ 7. सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार 2011 □ 8. राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना □ 9. कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु दिशा-निर्देश □ 10. अनुकम्पा नियुक्ति नियम - 1996, दिशानिर्देश □ 11. छात्रवृत्तियाँ सम्बन्धी आलेख, शिविरा जुलाई-2011 में संशोधन □ 12. माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के ग्रुप अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित □ 13. विद्यालय प्रसारण अगस्त 2011

1. राजकीय अवकाश/शोक –दिशानिर्देश

• राजस्थान सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय • क्रमांक : प.2(1)सा.प्र./1/2009 जयपुर, दिनांक 4.5.2011 • विषय : भारत सरकार/राजस्थान सरकार के निवर्तमान एवं वर्तमान अतिविशिष्ट व्यक्तियों के देहावसान पर घोषित राजकीय अवकाश/शोक के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने/नहीं करने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक निर्देश दिनांक 22 फरवरी, 2010 के क्रम में भारत सरकार/राजस्थान सरकार के निवर्तमान एवं वर्तमान अतिविशिष्ट व्यक्तियों के देहावसान पर घोषित राजकीय अवकाश/शोक के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने/नहीं करने हेतु दिशानिर्देश निम्नप्रकार हैं–

(अ) राजकीय शोक के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे– 1. शासकीय उद्घाटन, शिलान्यास, स्वागत/विदाई समारोह। 2. किसी भी प्रकार के राजकीय मनोरंजन के कार्यक्रम। 3. विभिन्न त्यौहारों पर आयोजित होने वाले शासकीय भोज/अल्पाहार। 4. गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में आयोजित होने वाले राजकीय भोज/अल्पाहार। 5. प्रदर्शनियों/मेले। 6. राज्य हित में उक्त प्रावधानों में शिथिलन दिया जा सकेगा व उक्त प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ब) इस दौरान निम्नप्रकार के आयोजन किए जा सकेंगे परन्तु इसमें औपचारिक रूप से किसी प्रकार के पुष्प गुच्छ/मालाओं से स्वागत नहीं किया जाएगा तथा सभी अल्पाहार/भोज आदि पर प्रतिबंध रहेगा– 1. साक्षात्कार। 2. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं तथा प्रतियोगी/विभागीय परीक्षाएं। 3. राज्य के स्मारक एवं संग्रहालय खुले रखे जा सकेंगे तथा दैनिक गतिविधियों/कार्यक्रम यथा– हाथी सवारी, साउण्ड एण्ड लाइट शो आदि (अन्य कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं)। 4. शासकीय मीटिंग। 5. किसी प्रकार की जयन्ती/पुण्य तिथि पर पुष्प अर्पण सादगीपूर्ण तरीके से किये जा सकेंगे। 6. सेमीनार/गोष्ठियों/कॉन्फ्रेंस इत्यादि। 7. स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस समारोह, गाँधी जयन्ती के कार्यक्रम यथानुसार आयोजित किये जा सकेंगे। 8. भारत सरकार के कोई निर्देश उक्त प्रावधानों से अतिक्रमित होते हैं, तो भारत सरकार के निर्देश प्रभावी होंगे। **ये निर्देश प्रोटोकॉल निर्देशिका-1998 (द्वितीय संस्करण) का अध्याय 11(ब) में सम्मिलित माना जायेगा।** • ह. किरण सोनी गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव एवं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल।

2. अतिविशिष्ट व्यक्तियों के निधन पर राजकीय अवकाश/शोक – दिशानिर्देश सम्बन्धित परिपत्र दिनांक 4 मई 2011 बाबत शुद्धिपत्र

• राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग • क्रमांक : प.2(1)सा.प्र./ग्रुप-1/2011 जयपुर, दिनांक 18 मई 2011 • **शुद्धि-पत्र** • इस अनुभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 4.5.2011 के शीर्ष राजस्थान सरकार के नीचे अंकित "मंत्रिमण्डल सचिवालय" के स्थान पर "सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग" पढ़ा जावे। • ह. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल।

3. साइकिलों का अंशदान राजकोष में जमा करवाएं

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/स-1/साइकिल/22474/2011-12 दिनांक 6.7.2011 • विषय : वर्ष 2011-12 की आयोजना मद की बी.एफ.सी. अन्तर्गत साइकिल वितरण योजना के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति के सम्बन्ध में। • उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.1(7)शिक्षा-1/2009 दिनांक 29.04.11 द्वारा आयोजना मद की बी.एफ.सी. वर्ष 2011-12 में यह निर्णय लिया गया है कि छात्राओं से साइकिल हेतु प्राप्त अंशदान राजकोष में जमा करावें तथा साइकिल सप्लायर को पूर्ण भुगतान राजकोष से किया जावे। (The Contribution of girl student being provided for cycles should be deposited in the government account and the supplier the paid wholly from the government account.) अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट परिनिर्णायक समिति (आयोजना) 2011-12 में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्राओं से प्राप्त अंशदान को राजकोष के निम्न मद में जमा करावें–

0202 – शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
(03) – अन्य प्राप्तियां
(03) – अंशदान तथा वृतिदानों से आय

• ह. प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

4. क्रीड़ा प्रतियोगिता नियमावली में नियम का विलोपन

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • कार्यालय-आदेश • क्रमांक : शिविरा-प्रारं/खेकू/स्वाशि/7551/08-11/124 दिनांक 15.6.11 • जिला स्तरीय दल के गठन में चयन प्रक्रिया के तहत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग विद्यालयी क्रीड़ा प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009-2010 के पृष्ठ संख्या 24 पर उल्लेखित नियम 10.3.5 में दर्शाये गये खेलों में विजेता दल के अधिकतम संख्या में चयन प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है। सत्र 2011-12 में जिला स्तरीय खेल दल का गठन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु खुली चयन प्रणाली से किया जायेगा। शेष नियम यथावत रहेंगे। इस आदेश को अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में प्रसारित कर अनुपालना करवाई जावे। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

5. बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख के निस्तारण से प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराने हेतु लेखामद

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक :

शिविरा/मा/लेखा/डी-2/28001/11/16 दिनांक 28.6.11 • विषय : बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारण बाबत। • प्रसंग : इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांक 21.4.11, 27.6.11 • उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक आदेश के क्रम में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.6(1) वित्त/साविलेनि/2005(11/2011) प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में शिथिलन देते हुए बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख का अभियान के रूप में निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं। इससे होने वाली आय निम्न बजट मद में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे–

0202 – शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
800 – अन्य प्राप्तियां
(50) – अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां
(01) – अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां
(02) – अन्य अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियां

दिनांक 25.04.11 से 28.04.11 तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लेखा सम्बन्धी प्रकरणों की संभागवार समीक्षा बैठकों में बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारण हेतु आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराने एवं निस्तारण योग्य सामान एवं अभिलेख अभियान के रूप में निस्तारण के निर्देश दिये गये थे। राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की बैठक दिनांक 26.5.11 में बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख निस्तारण की अधिकाधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इस क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि वित्त विभाग के उपरोक्त संलग्न नियमों में शिथिलन आदेश के अनुसार बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान एवं अभिलेख अभियान के रूप में निस्तारण कर सूचित करें। • ह. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

6. अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के सम्बन्ध में शिथिलन

• राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) • क्रमांक : प.6(1)वित्त/साविलेनि/2005 जयपुर दिनांक 24.6.2011, परिपत्र संख्या : 11/2011 • **परिपत्र** • सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में स्टोर को अनुपयोगी/बेशी घोषित करने की प्रक्रिया सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 16 से 21 में निर्धारित है तथा अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण/नीलामी की प्रक्रिया नियम 22 से 27 में निर्धारित की हुई है। उक्त अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की कार्यवाही हेतु वित्तीय शक्तियाँ सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III (Part-II) के आइटम 36 व 37 में प्रदत्त है।

राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में उपलब्ध बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के निस्तारण के लिये दिनांक 31.3.2012 तक के अभियान के रूप में सम्पादित किये जाने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्ष 2011-12 हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III के आइटम 36 से 37 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 16, 18 व 22 में निम्न शिथिलता प्रदान की जाती है– (1) (i) जहाँ भण्डारों की उपयोग अवधि निर्धारित है–

निर्धारित उपयोग अवधि समाप्ति के पश्चात्	निर्धारित उपयोग अवधि समाप्ति से पूर्व
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष - पूर्ण शक्तियाँ।	प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष - पूर्ण शक्तियाँ।

(ii) जहाँ भण्डारों की उपयोग अवधि निर्धारित नहीं है–

प्रशासनिक विभाग/ विभागाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ
कार्यालयाध्यक्ष	2.00 लाख रुपयों तक।

(2) वाहनों (Vehicles) को नाकारा घोषित कराने हेतु निम्न कमेटी गठित की जावे– (i) विभागाध्यक्ष अथवा उसका प्रतिनिधि जो कि जिला स्तरीय अधिकारी (DLO) स्तर से नीचे न हो। (ii) विभाग में वरिष्ठतम लेखा संवर्ग अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी जो सहायक लेखाधिकारी के कम स्तर का नहीं हो। (iii) जयपुर स्थित वाहनों के लिये मोटर गैराज जयपुर का प्रतिनिधि तथा अन्य स्थानों हेतु विभाग के मैकेनिकल इंजीनियर को सदस्य मनोनीत किया जावे। यदि उक्त पद विभाग में न हो तो कलेक्टर द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत किया जावेगा।

(3) पुरानी गाड़ियाँ नाकारा घोषित की जाने हेतु प्रावधानानुसार निर्धारित किलोमीटर व निर्धारित वर्ष पूर्ण कराने की शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूर्ण नहीं कराने पर कमेटी की अभिशंसा अनुसार विभागाध्यक्ष को गाड़ी के मितव्ययी नहीं होने की दशा में नाकारा घोषित कराने का शिथिलन प्रदान कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। मोटर गाड़ियों को जिलेवार ही नाकारा घोषित कराते हुए उन्हें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 22(D)(ii) अनुसार निर्धारित कमेटी से नीलामी कार्यवाही की जावे।

(4) मोटर वाहन नाकारा घोषित करके नीलामी कराने पर (replacement) में नया वाहन लेने की अनुमति वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग से दी जा सकेगी।

(5) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III के आइटम 37(c) के प्रावधानानुसार ऐसे वाहन जिनके दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अथवा जिनका पंजीयन नहीं करवाया जा सका था, ऐसे वाहनों की नीलामी पुराना लोहा (Scrap) के रूप में किये जाने की स्वीकृति देकर नीलामी द्वारा निस्तारण करवाया जावे। इसी प्रकार आइटम 38(d) में accidental vehicles के नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित है, तदानुसार नीलामी द्वारा निस्तारण करवाया जावे।

(6) टाइपराइटर्स को राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में जमा कराये जाने के प्रावधान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 22 (3) में शिथिलन प्रदान कराते हुए इन्हें भी अन्य सामान के साथ ही विभाग के द्वारा नाकारा घोषित कराते हुए नीलामी की जा सकेगी।

(7) नाकारा मोटर पार्ट्स व टायर ट्यूब्स को स्टेट मोटर गेराज, जयपुर में जमा कराये जाने के प्रावधानों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 22(D) में भी शिथिलन प्रदान जयपुर के अलावा अन्य स्थानों पर सामग्री को सम्बन्धित स्थान पर ही सामग्री को नाकारा घोषित कराते हुए नीलाम किया जावे।

(8) व्ययन विक्रय/नीलाम के लिये समिति को अभियान अवधि में निम्नानुसार गठन किया जा सकेगा–

जिला/संभाग स्तर पर : (क) 5.00 लाख रुपये एवं इससे अधिक के मूल्य के सामान के लिये– (i) विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित वरिष्ठतम अधिकारी, (ii) सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष, (iii) विभाग के वरिष्ठतम लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी जो सहायक लेखाधिकारी स्तर से कम ना हो, परन्तु 15.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सामान हेतु लेखाधिकारी से कम नहीं हो सकेगा।

(ख) 1.00 लाख रुपये एवं इससे अधिक किन्तु 5.00 लाख रुपये से कम मूल्य के सामानों के लिए– (i) कार्यालयाध्यक्ष, (ii) विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय का लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, (iii) कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा मनोनीत लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार।

(ग) 50,000 रुपये से अधिक किन्तु 1.00 लाख रुपये से कम मूल्य के सामान के लिए– (i) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, (ii) विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय का सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार, (iii) कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा मनोनीत लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार।

(घ) 50,000 रुपये तक के मूल्य के सामान के लिए– (i) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, (ii) विभाग/कार्यालय में पदस्थापित/मनोनीत लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार।

(ङ) रद्दी की नीलामी हेतु– (i) कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी, (ii) विभाग में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार।

(च) मोटर वाहनों की नीलामी हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 22(D)(i)(ii) अनुसार कमेटी निम्नानुसार है–

22.D(i) **मोटर यान एवं भारी मशीनें और उपकरण** : किसी विभाग विशेष के मामले में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन रहते हुए विभागों के मोटर यानों का नीलाम मोटर गैराज विभाग द्वारा किया जायेगा। (ii) मोटर यान, जो अनुपयोगी घोषित कर दिये जायें और जिनको मोटर गैराज में लाना साध्य/मितव्ययी नहीं है, सम्बन्धित जिले में निम्नलिखित रूप में गठित समिति द्वारा नीलाम किया जा सकेगा– 1. जिला कलेक्टर या उसका नामनिर्देशिती जो जिला स्तरीय अधिकारी के रैंक से नीचे का न हो – अध्यक्ष, 2. सम्बन्धित कार्यालय का वरिष्ठतम अधिकारी, जो जिला स्तरीय अधिकारी की रैंक से नीचे की रैंक का न हो – सदस्य सचिव, 3. जिला कोषागार अधिकारी – सदस्य, 4. तकनीकी अधिकारी – सदस्य।

उक्त समिति के गठन का आदेश सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जायेगा और प्रतिलिपि सूचनार्थ मोटर गैराज विभाग को प्रेषित की जायेगी।

(9) नीलामी की कार्यवाही में अमानत राशि के बारे में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2/2009 दिनांक 13.1.2009 नीलामी प्रक्रिया के प्रचार-प्रसार (विज्ञापन) के बारे में परिपत्र संख्या 3/2009 दिनांक 23.1.2009 के प्रावधानों की प्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

(10) विभागों की ऑडिट रिपोर्टों के अनुसार विभागों द्वारा नाकारा सामग्री के निस्तारण में समयबद्ध निस्तारण प्रतिवर्ष नहीं कराने से स्टोर में अनुपयोगी सामग्री वर्षों से पड़ी रहने के कारण उससे प्राप्त राजस्व में निरन्तर कमी हो जाती है। विभागों के द्वारा पुरानी तकनीक के उपकरण यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डुप्लीकेटिंग मशीन, फोटोस्टेट मशीन, टाइपराइटर, ईपीबी एक्स मशीनें आदि के वार्षिक रख-रखाव पर अत्यधिक खर्चा होने का मुख्य कारण विशेष ब्रांड के पुर्जे/उपकरण व मरम्मत व रख-रखाव बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, जबकि उक्त कार्य को यदि सेवाओं के रूप में ठेके पर दिया जावे तो कार्य शीघ्र व मितव्ययी रूप से करवाया जा सकता है।

(11) विभाग के पास उपलब्ध अतिरिक्त स्टोर सामग्री या अप्रचलित सामग्री जो कि विभाग के लम्बे समय तक उपयोग में आने की संभावना नहीं हो तो उन्हें अन्य कार्यालयों/विभागों को निःशुल्क स्थानान्तरण प्रशासनिक विभाग की अनुमति प्राप्त करते हुए किया जा सकता है। इस व्यवस्था में अन्य विभागों में सामग्री स्थानान्तरण की स्टॉक प्रविष्टि होना भी सुनिश्चित करवाई जावे।

(12) अतः सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस शिथिलन का समय रहते लाभ उठाते हुए नाकारा सामान का निस्तारण करावें एवं साथ ही सरप्लस/अनुपयोगी/अप्रचलित भण्डार के निस्तारण से अभियान के दौरान प्राप्त राजस्व की सूचना अपने विभागाध्यक्ष को भिजवावें।

(13) अभियान के सफल संचालन हेतु प्रत्येक विभाग राज्य स्तर (विभागाध्यक्ष) के स्तर पर वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठतम लेखा संवर्ग अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो उस विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अधीन विभागाध्यक्षों के मध्य समन्वय रखेंगे, और वित्त विभाग से आवश्यकता होने पर समन्वय कर परामर्श प्राप्त करेंगे।

(14) विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्त राजस्व की सूचना को संकलित किया जावे। विभागों को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए नीलामी से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत तक कार्यालयों/विभागों के modernisation, re-furnishing एवं फर्नीचर आदि के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जायेगा, जिसके लिए प्रस्ताव वित्त (व्यय) विभाग को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भिजवावें।

(15) नियमों में दी गई उक्त शिथिलता दिनांक 31.03.2012 तक प्रभावी होगी। • ह. शासन सचिव, वित्त (बजट)।

7. सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालय पुरस्कार 2011

राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के सहयोग से राज्य, मण्डल एवं जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। शैक्षिक सत्र 2010-11 की उपलब्धि के लिए निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को आवेदन की अंतिम तिथि	30 अगस्त, 2011
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा उप निदेशक (माध्यमिक) परिक्षेत्र को प्रस्ताव भिजवाने की अंतिम तिथि	15 सितम्बर, 2011
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षा उपरान्त प्रस्ताव आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30 सितम्बर, 2011

पुरस्कार राशि

राज्य स्तर	50,000/-
मण्डल स्तर	40,000/-
जिला स्तर	25,000/-

विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्र परिशिष्ट 1 में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना है।

परिशिष्ट–1

सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार, 2011 हेतु आवेदन पत्र (उपलब्धि सत्र 2010-11)

1. जिला : .....
2. विद्यालय का नाम : .....
3. स्तर (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) : .....
4. संस्था प्रधान का नाम : .....
   (1 जुलाई, 2010 से फरवरी, 2011 के मध्य कार्यरत, एकाधिक हो तो सभी के नाम मय कार्य अवधि एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान का विवरण)
   (अ) योग्यता : .....
   (ब) जन्म तिथि : .....
5. संस्था प्रधान का वर्तमान कार्यरत स्थान : .....
6. फोन नम्बर : विद्यालय : .....
   संस्था प्रधान : .....
7. विद्यालय का परीक्षा परिणाम (सत्र 2010-11)

क्र. सं.	कक्षा	कुल प्रविष्ट विद्यार्थी	उत्तीर्ण				परीक्षा परिणाम प्रतिशत
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग	
1.	10						
2.	12 (सभी संकायों का समेकित)						

नोट : माध्यमिक विद्यालय द्वारा कक्षा 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा का ही परीक्षा परिणाम अंकित करना है।

8. गुणात्मक परीक्षा परिणाम सत्र 2010-11 (बोर्ड मेरिट में स्थान)

कक्षा	विद्यार्थी का नाम	प्राप्तांक प्रतिशत	बोर्ड मेरिट में प्राप्त स्थान
10			
12			

9. विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित राजकीय बजट का उपयोग (वित्तीय वर्ष 2010-11)

क्र.सं.	योजना का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि	कुल व्यय राशि का प्रतिशत
1.	खेलकूद			
2.	पुस्तकालय			
3.	ट्रांसपोर्ट वाउचर			
4.	साइकिल योजना			
5.	निर्माण कार्य			
6.	पोषाहार			
7.	छात्रवृत्तियाँ			
8.	कम्प्यूटर शिक्षा			
9.	कार्यालय व्यय			
10.	अन्य			
	योग			

नोट : वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा परिव्यय को छोड़कर विद्यालय के भौतिक विकास एवं विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु आवंटित राजकीय बजट का योजनावार/मदवार/उप मदवार विवरण अंकित करना है। सभी योजनाओं में कुल व्यय राशि का व्यय प्रतिशत भी अंकित करना है।

10. छात्र निधि का उपयोग

क्र.सं.	कक्षा (6-12)	विद्यार्थी संख्या	सत्र 2010-11 में प्राप्त कुल छात्र निधि की राशि	कुल व्यय राशि	कुल व्यय राशि का प्रतिशत

11. खेलकूद गतिविधियों में विद्यालय/विद्यार्थियों का सम्भागित्व (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

स्तर	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	गतिविधि का नाम	आयोजनकर्ता विभाग	आयोजन स्थल	विद्यालय/ विद्यार्थी की उपलब्धि/ प्राप्त स्थान
जिला						
राज्य						
राष्ट्र						

नोट : शिक्षा विभाग एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (SGFI) द्वारा आयोजित विद्यार्थी खेलकूद प्रतियोगिताओं में विद्यालय द्वारा जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर पर प्राप्त एकल अथवा सामूहिक उपलब्धि (गतिविधि के अनुसार) का पूर्ण विवरण जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर का अलग-अलग अंकित करना है। सामूहिक गतिविधि में विद्यार्थी का नाम अंकित नहीं करें।

12. साहित्यिक गतिविधियों में विद्यार्थियों का सम्भागित्व (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

स्तर	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	गतिविधि का नाम	आयोजनकर्ता विभाग	आयोजन स्थल	विद्यालय/ विद्यार्थी की उपलब्धि/ प्राप्त स्थान
जिला						
राज्य						
राष्ट्र						

13. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का संभागित्व (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

स्तर	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	गतिविधि का नाम	आयोजनकर्ता विभाग	आयोजन स्थल	विद्यार्थी की उपलब्धि/ प्राप्त स्थान
जिला						
राज्य						
राष्ट्र						

14. कम्प्यूटर का विद्यालय में उपयोग

भाग : (अ) *विद्यालय में कम्प्यूटरों की संख्या*

क्र.सं.	राजकीय मद से प्राप्त	जन सहयोग से प्राप्त	
		संख्या	भामाशाह का नाम मय पता

नोट : जनसहयोग से प्राप्ति का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें :

भाग : (ब) *कार्यालय में कम्प्यूटर का उपयोग*

क्र.सं.	कम्प्यूटर से कार्य करने वाले कार्मिक का नाम	कार्य का विवरण

भाग : (स) *शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम्प्यूटर का उपयोग*

क्र.सं.	कम्प्यूटर से शिक्षण करवाने वाले अध्यापक का नाम	विषय	विषयवस्तु

भाग : (द) *विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा*

कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या	कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों की कुल संख्या	कुल कम्प्यूटर शिक्षित विद्यार्थियों का प्रतिशत

15. विद्यालय के भौतिक विकास हेतु समुदाय से जनसहयोग

क्र.सं.	भामाशाह का नाम	जनसहयोग का प्रकार					
		नकद राशि	सामग्री		निर्माण		राशि का कुल योग
			प्रकार	लागत मूल्य	प्रकार	लागत मूल्य	

नोट : भामाशाह एवं अभियन्ता (सिविल) राजकीय सेवा का अलग-अलग प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

16. विद्यालय में आयोजित विविध कार्यक्रम

(A) विद्यालय में संचालित नवाचार कार्यक्रम/योजना का नाम (योजना संलग्न करें) :

(B) विद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम (पत्रिका संलग्न करें) :

(C) संस्था प्रधान/अध्यापक/कर्मचारी को प्राप्त पुरस्कार का विवरण (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) :

क्र.सं.	संस्था प्रधान/अध्यापक/ कर्मचारी का नाम	प्राप्त पुरस्कार का विवरण	स्तर

(D) विद्यालय के संयोजन में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण (राष्ट्र/ राज्य/जिला स्तर की प्रतियोगिता, कार्यक्रम, वाकपीठ आदि) (उच्च अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करें)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	स्तर	आयोजन अवधि

(E) विद्यार्थियों का राष्ट्रीय/राज्य स्तर का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

स्थल	प्रयोजन	विद्यार्थियों की संख्या	भ्रमण अवधि

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाणित प्रमाण पत्र क्रमानुसार संलग्न कर दिये गये हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य है। तथ्यों का सत्यापन मेरे द्वारा व्यक्तिशः कर लिया गया है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/माध्यमिक-प्रथम) की अनुशंसा

प्रस्ताव में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जाँच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। तथ्यों का भौतिक सत्यापन भी करवा लिया गया है। जिला स्तर पर मूल्यांकन का परिशिष्ट-2 संलग्न है। विद्यालय को पुरस्कार प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/माध्यमिक-प्रथम) मय मोहर

8. राजकीय प्रा. व उ.प्रा.वि. में पुस्तकालयों की स्थापना

• राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर। • क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./2011-12/3200 दिनांक 8.6.11 • **परिपत्र** • राजकीय प्राथमिक/ उ.प्रा. विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापना सत्र 2011-12 •

1. परिचय : पुस्तकें बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए संजीवनी सदृश हैं। अतः हमारा दायित्व है कि पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी पुस्तकों तक बच्चों की पहुँच सुलभ की जावे, जो ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ रुचिपूर्ण एवं मनोरंजक हों। पुस्तकें उनके लिए पठन कौशल विकास में सहायक होती हैं, साथ ही समझ कर पढ़ने की ओर प्रेरित कर चहुँमुखी प्रगति के द्वार खोलती हैं। किसी बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, पुस्तकें उस क्षेत्र की ओर अनन्त तक उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। पुस्तकें पढ़ने के साथ-साथ बच्चे पुस्तकों से आत्मीय रिश्ता ढूँढ़ते हैं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 में प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत, कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।

उक्त दिशा में विद्यालयों की आवश्यकता पूर्ति के लिए राजस्थान में चरणबद्ध रूप से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं।

2. उद्देश्य : • पढ़ना सीखने की नैसर्गिक जिज्ञासा पूर्ति हेतु। • विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास करना। • बच्चों में पठन प्रवृत्ति चिरस्थायी बनाने का प्रयास। • उक्त हेतु संसाधन उपलब्ध कराना।

3. बजट प्रावधान : सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 में राज्य के 12227 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6-8) के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से तथा 14629 प्राथमिक विद्यालयों

(कक्षा 1-5) में 3,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से पुस्तकालय हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार 12227 कक्षा 1-8 तक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 13,000 रुपये विद्यालय प्रति विद्यालय तथा 2402 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3,000 रुपये प्रति विद्यालय प्रावधान किया गया है। पुस्तकालय प्रावधान का जिलेवार विवरण परिशिष्ट में संलग्न है। (परिशिष्ट नियंत्रण कार्यालय में देखें)

4. विद्यालयों का चयन : राज्य में लगभग 26000 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 44000 प्राथमिक विद्यालय हैं। वर्ष 2011-12 में प्रथम चरण में 12227 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1-8) एवं 2402 प्राथमिक विद्यालयों में प्रावधानानुसार पुस्तकालय की स्थापना की जानी है।

प्रथम चरण में ऐसे विद्यालयों का चयन करें, जहाँ पुस्तकालय की नितान्त आवश्यकता है साथ ही प्रभावी उपयोग की संभावना है। इस आधार पर जिलों में पुस्तकालय स्थापना हेतु विद्यालयों का चयन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जावे– • उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पुस्तकालय नहीं है तथा पर्याप्त छात्र संख्या (कक्षा 6-8 में 80 या अधिक छात्र) है। • उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक कार्यरत है। • पंचायत मुख्यालय पर स्थित नोडल उच्च प्राथमिक विद्यालय। • पंचायत मुख्यालय पर स्थित नोडल प्राथमिक विद्यालय। • ऐसे प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अपने विद्यालय में पुस्तकालय के सुचारु संचालन का वचन देते हों। • प्रथम राजस्थान संस्था के सहयोग से संचालित पढ़ो राजस्थान (बीईपी) कार्यक्रम वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय। • रूम टू रीड संस्था द्वारा अजमेर, जोधपुर, सिरोही, टोंक एवं बाड़मेर में संचालित पुस्तकालय कार्यक्रम से सम्बद्ध विद्यालयों के आस-पास के विद्यालय। • राजकीय विद्यालय, जहाँ गैर सरकारी संस्थाएँ स्वेच्छा से पुस्तकालय के प्रभावी संचालन में सहयोग का प्रस्ताव करती हों।

5. पुस्तकालय हेतु सामग्री : • पुस्तकें– कक्षा 1-2, कक्षा 3-5 एवं कक्षा 6-8 हेतु आयु वर्ग के अनुरूप पुस्तकों की व्यवस्था यथा बरखा सीरिज, कहानी, कविता, चुटकुले, नाटक, महापुरुषों की जीवनी सम्बन्धित पुस्तकें, चित्र कथा, एटलस, शब्दकोश आदि। • **पत्रिकाएं–** बाल हंस, चम्पक, नन्दन, बाल भारती, चकमक, इन्द्रधनुष आदि। • **समाचार पत्र–** स्थानीय हिन्दी दैनिक। • पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं का स्टॉक रजिस्टर एवं इश्यू रजिस्टर। • बुक सेल्फ।

पुस्तकों व अन्य सामग्री के लिए निम्नानुसार राशि व्यय की जावे–

क्र. सं.	सामग्री	विवरण	अनुमानित मूल्य	13,000 रु. उप्रावि कक्षा 1-8	3000 रु. प्रावि	विशेष विवरण
1.	पुस्तकें	चयनित सूची से	सूची अनुसार	6000	3000	परिषद् से प्राप्त सूची अनुसार।
2.	पत्र-पत्रिकाएं	पते संलग्न	15 रु. प्रति पत्रिका प्रति मास	1000	–	स्वयं सम्पर्क कर क्रय करें।
3.	रजिस्टर	भण्डार पंजिका-1, पुस्तक इश्यू रजिस्टर-1	100 रु.	100	–	प्राथमिक विद्यालय स्कूल ग्राण्ट से रजिस्टर क्रय करें।
4.	बुक सेल्फ	22 Gauze 60"x 34x12" with four shelves, separate Glass-doors with handel and locking system	6000 रु.	5900	–	उप्रावि जन सहयोग से बुक सेल्फ प्राप्ति का प्रयास करें, उपलब्ध राशि से अधिक से अधिक पुस्तकें क्रय का प्रयास करें।
5.	बुक फोल्डर	Ragzine/Cloth/Jute book holder size 36"x10" with four pockets, with hanging system	150 रु.	–	–	प्राथमिक विद्यालय two Book folder for रु. 300.00 स्कूल ग्राण्ट से क्रय कर सकते हैं।

6. पुस्तकों का चयन एवं क्रय प्रक्रिया : निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन की विस्तृत सूची मय प्रस्तावित छूट के उपलब्ध करायी जायेगी। इस सूची में से विद्यालय द्वारा निर्धारित राशि की चयनित पुस्तकों के लिए क्रय आदेश सम्बन्धित प्रकाशकों को जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से दिया जायेगा। जिला स्तर पर पुस्तक क्रय का समेकित आदेश सम्बन्धित प्रकाशक को दिया जायेगा। प्रकाशक द्वारा उक्त आदेश के आधार पर विद्यालयों को पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी तथा भुगतान प्राप्त किया जायेगा।

7. प्रभारी शिक्षक की नियुक्ति एवं पुस्तकालय संचालन : पुस्तकालय के नियमित व प्रभावी संचालन के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों में से गतिविधि प्रभारी शिक्षक की नियुक्ति की जावेगी। निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा प्रति सप्ताह, प्रति कक्षा पुस्तकालय हेतु एक कालांश के निर्देश हैं। इस कालांश में विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग किया जायेगा। प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा के लिए एक कालांश की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालय में शिक्षक व्यवस्था सम्बन्धी कालांशों में भी बच्चों को रुचिकर पुस्तकें उपलब्ध करायी जावे। सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पुस्तकों से सहसम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया जावे। बाल संसद/बालमंच का गठन कर विद्यालयों में छात्रों का पुस्तकालय संचालन में सहयोग लिया जावे। पुस्तकें बच्चों के उपयोग से कट-फट सकती हैं, अतः पुस्तकों की सुरक्षा के नाम पर बच्चों को पुस्तकों के उपयोग से वंचित नहीं किया जावे। विद्यार्थियों के उपयोग के कारण पुस्तकें फट जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभारी शिक्षक की देयता नहीं होगी।

8. पुस्तकालय गतिविधि संदर्शिका एवं प्रभारी शिक्षक का आमुखीकरण : पुस्तकालय कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण एवं वापस प्राप्त करना मात्र नहीं है, बल्कि पुस्तकों के साथ इनका गहराई से रिश्ता स्थापित करना है एवं उन्हें क्षमता के अनुसार अधिकाधिक पुस्तकें पढ़ने की ओर प्रेरित करना है। इस हेतु पुस्तकालय गतिविधि संदर्शिका उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही प्रभारी शिक्षक का पुस्तकालय उपयोग विधा पर संक्षिप्त आमुखीकरण किया जावेगा। जिससे शिक्षक, आयु वर्ग के अनुसार किताबों का वर्गीकरण, किताबों को समझ कर पढ़ने हेतु गतिविधियाँ/खेल सीख सकेगा तथा अच्छे लाइब्रेरियन के कर्तव्य/गुण, बालमंच का पुस्तकालय संचालन में उपयोग आदि की समझ प्राप्त कर सकेगा।

9. पुस्तक भण्डार पंजिका एवं अवदान पंजिका का संधारण : विद्यालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों की प्राप्ति भण्डार पंजिका में रिकार्ड की जावे। इसके अतिरिक्त एक वितरण पंजिका होगी, जिसमें तिथिवार पुस्तकों का विद्यार्थियों को हस्तान्तरण एवं विद्यार्थीवार खातों में पुस्तकों का हस्तान्तरण अंकित किया जायेगा।

10. मॉनिटरिंग : जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पुस्तकालय कार्यक्रम की मॉनिटरिंग विभागीय शिक्षा अधिकारियों, एनजीओ, डाइट एवं एसएसए के अधिकारियों के सहयोग से सुनिश्चित की जावे। सम्बन्धित डाइट को मॉनिटरिंग प्रपत्र प्रदान कर उन्हें एक निश्चित समयावधि पश्चात् रिपोर्ट देने के लिए लिखा जावे।

11. उपयोगिता प्रमाण पत्र : विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निम्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

विद्यालय पुस्तकालय अनुदान
उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम : .....

पुस्तकालय अनुदान में प्राप्त राशि : ..... दिनांक .....

बैंक का नाम : ..... बैंक खाता संख्या .....

सामग्री क्रय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र

बैंक का नाम ..... बैंक खाता संख्या .....

क्र. सं.	बिल सं. एवं दिनांक	फर्म का नाम	पुस्तकों एवं सामग्री का विवरण	क्रय मूल्य	स्टॉक रजि. पृष्ठ सं.	उपयोग का विवरण

ह. सदस्य एसएमसी **ह. अध्यक्ष एसएमसी** **ह. सचिव एसएमसी**

अतः प्राप्त पुस्तकालय अनुदान राशि का उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जावे, इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश लाभान्वित विद्यालयों को समय पूर्व प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। • ह. आयुक्त, रा.प्रा.शि. परिषद, जयपुर • कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/पुस्त.स्था./11-12 दिनांक 12.7.11

9. कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु दिशानिर्देश

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/गुणात्मक सुधार/11-12 दिनांक 27.5.11 • विषय : कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। • प्रसंग : आयुक्त जयपुर के पत्रांक अ.शा.प./राप्राशिप/2011-12/ 1159/ जयपुर दिनांक 04.5.11 • विषयान्तर्गत लेख है कि कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए वर्ष 2011-12 के लिए गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय की 21 कार्य पुस्तिकाओं का राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल के माध्यम से मुद्रण एवं वितरण करवाया गया है व विद्यालयों में प्रेषित किया गया है। साथ ही कक्षा 6-8 के लिए चरणबद्ध रूप से विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध करायी जा रही है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

परन्तु विद्यालयों के अवलोकन में अनुभव किया गया है कि इन नवाचारों को शिक्षक समुदाय द्वारा अपेक्षित गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। अतः आप अपने अधिनस्थ कार्यालयों एवं संस्था प्रधानों को दिशा-निर्देश जारी करें। • ग्रीष्मावकाश से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय केन्द्र से छात्र संख्या अनुसार कार्य पुस्तकों के सैट सम्बन्धित विद्यालयों को आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। • उक्त विषयों में प्रत्येक पाठ के पश्चात, कार्य पुस्तिका में अभ्यास कार्य करवाया जावे, विशेष आवश्यकता होने पर ही अतिरिक्त कॉपी में गृह कार्य दिया जाये। • आन्तरिक मूल्यांकन करते समय कार्य पुस्तिका के कार्य को आधार बनाया जावे। • उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा शिक्षण में गणित एवं विज्ञान किटों का उपयोग सुनिश्चित किया जावे। • विद्यालय निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय कार्य पुस्तिका तथा गणित एवं विज्ञान किट के उपयोग का अवलोकन किया जावे। • समस्त नोडल केन्द्रों तथा बीईईओ से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि समस्त विद्यालयों में समस्त विद्यार्थियों हेतु कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी गई है एवं इनके प्रयोग सम्बन्धी निर्देश जारी किये जा चुके हैं। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

10. अनुकम्पा नियुक्ति नियम - 1996, दिशानिर्देश

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • **परिपत्र** • राजस्थान मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम-1996 के अन्तर्गत मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों को अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किये बिना निदेशालय को अग्रेषित कर दिये जाते हैं तथा निदेशालय द्वारा बार-बार आक्षेपों की पूर्ति हेतु आपको निर्देशित किया जाता रहता है। इस कारण प्रकरण निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अनुकम्पा प्रकरणों के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना हेतु आपको निर्देशित किया जाता है। **(समस्त पत्राचार रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से किया जावे)**। **1.** कार्मिक की मृत्यु के 90 दिवस में आवेदन करने के लिए मृतक आश्रित परिवार को अवगति प्रदान कर आवेदन करने का निवेदन करें तथा नियमों में निर्धारित आवेदन पत्र की प्रति तथा दिशा निर्देश साथ में संलग्न करें, साथ ही यह भी अवगत करवा देवें कि 90 दिवस पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। **2.** आवेदक द्वारा 90 दिवस पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावें। इस सम्बन्ध में अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को भी अवगत करावें। **3.** कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह प्रकरण का परीक्षण कर सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करवावें। **4.** ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण कर 15 दिवस की अवधि

में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करें। **5.** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण कर अपनी अभिशंषा सहित अधिकतम 30 दिवस की अवधि में उप निदेशक (प्राशि) को अग्रेषित करें। **6.** उप निदेशक कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित अधिकतम 15 दिवस में निदेशालय को अग्रेषित करें। **7.** निदेशालय में आवेदन पत्र भिजवाने से पूर्व भलीभाँति परीक्षण कर लिया जावे कि प्रकरण पूर्ण हैं। इस हेतु निदेशालय द्वारा निर्धारित परीक्षण सूची संलग्न प्रेषित है। **8.** कर्मचारी की मृत्यु पश्चात् सेवा समाप्ति आदेश तुरन्त जारी करें तथा उसकी प्रति रजिस्टर्ड डाक से निदेशालय को भिजवावें। **9.** अवयस्क आवेदक का आवेदन पत्र लम्बित रखने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर मृतक आश्रित परिवार के वयस्क सदस्य को मृत्यु के 90 दिवस में ही आवेदन करने की राय प्रदान करें। **10.** निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के प्रकरणों में नियुक्ति देय नहीं है अतः इस प्रकार के प्रकरण निदेशालय को नहीं भिजवाये जावें। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/11 दिनांक 4.7.11

11. छात्रवृत्तियाँ सम्बन्धी आलेख, शिविरा जुलाई-2011 में संशोधन

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/द/SC-ST-OBC/पूर्व मैट्रिक/2011-12 दिनांक 13.7.11 • विषय : छात्रवृत्तियाँ 2011-12, आलेख शिविरा पत्रिका जुलाई-2011 में संशोधन • विषयान्तर्गत शिविरा पत्रिका, जुलाई-2011 अंक-1 के पृष्ठ संख्या 35 में प्रकाशित आलेख **'संवेदनशील होकर भरवाएं छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र'** के बिन्दु संख्या-01 में निम्नानुसार छात्रवृत्ति में संशोधन पढ़ा जावे–

छात्रवृत्ति का प्रकार	आय सीमा
1. (i) अनुसूचित जाति (पूर्व मैट्रिक) छात्रवृत्ति	जो आयकर दाता न हो
(ii) अनुसूचित जनजाति (पूर्व मैट्रिक)छात्रवृत्ति	जो आयकर दाता न हो
(iii) विमुक्त एवं घुमन्तु जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीमावृति जिलों हेतु)	जो आयकर दाता न हो
2. केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति	44500/-

उपरोक्तानुसार पात्र छात्र-छात्राओं का छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरवाये जाने बाबत अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल पालना हेतु पत्र जरिये फैक्स भिजवा कर इस कार्यालय को सूचित करें। • ह. प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

12. माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के ग्रुप अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा–माध्य/सूचना अधिकार प्रकोष्ठ/निर्देश/2011 दिनांक 24.6.2011 • आदेश • सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध करवाने एवं सरलीकरण किये जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के तहत आयुक्तालय के समस्त ग्रुप अधिकारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया जाता है। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर

माह : अगस्त, 2011 **13. विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम** **प्रसारण समय : दोपहर 2.10 से 2.30 तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
1.8.2011	सोमवार	जोधपुर	9	सामाजिक विज्ञान	2	भारत का भौतिक स्वरूप
2.8.2011	मंगलवार	उदयपुर	8	हमारा राजस्थान	2	राजस्थान में स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं प्रमुख जननायक
3.8.2011	बुधवार	बीकानेर	7	संस्कृत (तृतीय भाषा)	1	राजस्थानम्
4.8.2011	गुरुवार	जयपुर	11	राजस्थान अध्ययन	2	राजस्थान का स्थापत्य, मूर्तिशिल्प एवं चित्र शैलियाँ
5.8.2011	शुक्रवार	जोधपुर	4	विज्ञान	4	आओ रोग भगाएँ
6.8.2011	शनिवार	उदयपुर	7	विज्ञान	4	पदार्थ की अवस्था परिवर्तन
8.8.2011	सोमवार	बीकानेर	5	विज्ञान	3	पौधे और जन्तुओं में अनुकूलन
9.8.2011	मंगलवार	जयपुर	6	सामाजिक विज्ञान	2	ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण
10.8.2011	बुधवार	जोधपुर	11	हिन्दी	3	अपू के साथ ढाई साल
11.8.2011	गुरुवार	उदयपुर	9	हिन्दी	2	ल्हासा की ओर
12.8.2011	शुक्रवार	बीकानेर	8	हिन्दी	2	लाख की चूड़ियाँ
16.8.2011	मंगलवार	जयपुर	9	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	2	मानव शरीर वृद्धि एवं विकास
17.8.2011	बुधवार	जोधपुर	9	राजस्थान अध्ययन	2	राजस्थान का भौतिक पर्यावरण
23.8.2011	मंगलवार	उदयपुर	11	राजस्थान अध्ययन	4	राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन व उनका संरक्षण
24.8.2011	बुधवार	बीकानेर	7	सामाजिक विज्ञान	2	आइए जनसंख्या के बारे में जानें
25.8.2011	गुरुवार	जयपुर	4	विज्ञान	3	क्या खाएँ और क्यों ?
26.8.2011	शुक्रवार	जोधपुर	5	विज्ञान	7	प्राथमिक उपचार
27.8.2011	शनिवार	उदयपुर	7	संस्कृत (तृतीय भाषा)	5	रन्तिदेवः
29.8.2011	सोमवार	बीकानेर	9	हिन्दी	3	उपभोक्तावाद की संस्कृति
30.8.2011	मंगलवार	जयपुर	5	विज्ञान	6	रोग कारण और निवारण

• ह. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर

सत्र 2011-12

माध्यमिक कक्षाओं में कालांश व्यवस्था

क्र.सं.	विषय	कक्षा 9	कालांश : 48
1.	भाषाएँ		17
	(1) हिन्दी	6	
	(2) अंग्रेजी	6	
	(3) तृतीय भाषा	5	
2.	विज्ञान		8
3.	सामाजिक विज्ञान		8
4.	गणित		8
5.	राजस्थान अध्ययन		2
6.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (खेल प्रवृत्तियां '0' कालांश)		2
7.	'फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी'		2
8.	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा		1+'0'
	(2) कला शिक्षा		(कालांश)
9.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित		
10.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में		

नोट : ऐसे विद्यालय जहाँ कम्प्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, वहाँ के संस्था प्रधान, पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 'फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी' के लिए निर्धारित कालांशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते हैं।

क्र.सं.	विषय	कक्षा 10	कालांश : 48
1.	भाषाएँ		17
	(1) हिन्दी	6	
	(2) अंग्रेजी	6	
	(3) तृतीय भाषा	5	
2.	विज्ञान		8
3.	सामाजिक विज्ञान		8
4.	गणित		8
5.	राजस्थान अध्ययन		2
6.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (खेल प्रवृत्तियां '0' कालांश)		2
7.	'फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी'		2
8.	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा		1+'0'
	(2) कला शिक्षा		(कालांश)
9.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित		
10.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में		

नोट : 1. ऐसे विद्यालय जहाँ कम्प्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, वहाँ के संस्था प्रधान, पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 'फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी' के लिए निर्धारित कालांशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते हैं।

क्र.सं.	विषय	कक्षा 11	कालांश : 48
1.	हिन्दी		6
2.	अंग्रेजी		6
3.	राजस्थान अध्ययन		3
4.	जीवन कौशल		3
5.	ऐच्छिक विषय		30
	प्रथम	10	
	द्वितीय	10	
	तृतीय	10	
6.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।		
7.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में।		
8.	शारीरिक शिक्षा : शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियाँ विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।		

नोट : कक्षा - 11/उपाध्याय उत्तीर्ण नियमित विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाज सेवा योजना शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा। शिविर की ग्रेडिंग का अंकन कक्षा-12 की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लेने वाले विद्यार्थी इस शिविर से मुक्त रहेंगे, किन्तु इन विद्यार्थियों की अंकतालिका/प्रमाणपत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) में भाग लिया का अंकन किया जायेगा।

क्र.सं.	विषय	कक्षा 12	कालांश : 48
1.	हिन्दी		6
2.	अंग्रेजी		6
3.	राजस्थान अध्ययन		3
4.	समाज सेवा योजना (नियमित विद्यार्थियों के लिए) कक्षा 11 उत्तीर्णोपरान्त ग्रीष्मावकाश में।		
5.	ऐच्छिक विषय		33
	प्रथम–11, द्वितीय–11, तृतीय–11 (प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों में 7 कालांश सैद्धान्तिक एवं 4 कालांश प्रायोगिक के)		
6.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।		
7.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान-प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में।		
8.	शारीरिक शिक्षा : शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियाँ विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।		

प्रस्तुति– हरि नारायण पालीवाल, शै.प्र.अ.
माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर

शैक्षिक कहानी

वृक्षों की महिमा

❑ ओम प्रकाश सारस्वत

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में प्रदेश में लाखों वृक्ष लगाए गए हैं। अभी हाल ही में ग्यारह जुलाई - ग्यारस, चन्द्रवार के दिन ग्यारह लाख वृक्ष स्काउटिंग अभियान के तहत लगाए गए हैं। वृक्ष फलदायी होते हैं। उनकी सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती। वे वरदान देते ही हैं। प्रस्तुत कहानी ''वृक्षों की महिमा'' यही संदेश देती है। साथ ही शिक्षा के लोकव्यापीकरण के महती उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में शिक्षा से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों की कर्तव्य भूमिका पर भी प्रकाश डालती है यह कहानी वस्तुतः शिक्षण व अधिगम से जुड़े बिन्दुओं पर लिखी कहानी उन्हीं बिन्दुओं पर लिखे गये आलेख की तुलना में सुग्राह्य एवं रोचक होती है। शिविरा में प्रकाशन हेतु ऐसी शैक्षिक पृष्ठभूमि की विचारोत्तेजक कहानियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। –व.सं.

टन ! टन !! टन !!! टनाट ऽऽ ..... न!

छुट्टी की घण्टी बजने के साथ की झुण्ड के झुण्ड छात्र-छात्राएं कक्षाओं से बिखर पड़े। उनकी किलकारियों से विद्यालय प्रांगण दूध में उफान की तरह गूंजा और दूध के उफान को ठण्डे पानी के छींटे मिलने की तरह कुछ ही क्षण में खामोश हो गया। इतना खामोश की अब तो यदि सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। सबको घर दिखाई दे रहे थे। घर और माँ-बाप की तो फितरत ही कुछ ऐसी होती है।

विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के ये बच्चे विद्यालय के मुख्यद्वार से होते हुए पुनः अलग-अलग गली-मोहल्लों की ओर बढ़ गए। बच्चों के चेहरों पर दिन भर की थकावट के बावजूद घर जाने की खुशी के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। मौन मगर सधी-सधाई खुशी के भावों के साथ अध्यापक भी विद्यालय से चले गए। अध्यापक और आदर्श का पारस्परिक सह सम्बन्ध यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हो भी क्यों न, आखिर अध्यापक ही तो वह व्यक्ति है जो शिक्षा, संस्कार व आदर्श का प्राण समाज में फूँकता है।

आदर्श विद्यालय खुले बीस दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला कब इतने सारे दिन पंख लगाकर उड़ गए। समय की अपनी चाल है, जो नियमित है, सतत है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। समय का पता लगता भी कैसे। शुरू के दिनों में नए बच्चों को भर्ती करने का काम, स्कूल छोड़कर जाने वालों को टी.सी. देने का काम, पिछले सत्र में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित छात्र-छात्राओं की पूरक परीक्षाओं का आयोजन, आने-जाने वालों से मिलने, जनसम्पर्क का कार्य - ये सब काम एक के बाद एक होते चले गए। पूरक परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा के बाद सत्र के लिए नया टाइम टेबल बनाया गया। धीरे-धीरे विद्यालय में पढ़ने-पढ़ाने के काम में कुछ गति आ रही थी।

विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक विस्तृत वार्षिक योजना बनाई जाती है– विद्यालय योजना। कक्षागत शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण, खेलकूद प्रवृत्तियों का प्रभावी आयोजन, समाज सेवा, विज्ञान एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्सव-पर्व, जयन्तियाँ, अभिभावक सम्मेलन, विद्यालय विकास समितियों की बैठकें, वार्षिक उत्सव आदि के प्रभावी आयोजन के पीछे सुदृढ़ विद्यालय योजना आधार होती है। सुविचारित विद्यालय योजना प्रधानाध्यापक के प्रभावीपन व कुशलता की प्रतीक होती है और इसकी बदौलत वांछित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम व बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तो अभी से स्पष्ट योजना बनाकर चलना होगा। विद्यालय का असली बिम्ब तो परीक्षा परिणाम ही होते हैं, पर जन सहयोग से विद्यालय का भौतिक विकास भी अपनी जगह जरूरी होता है। अपनी मेज पर विद्यालय योजना के पृष्ठों में प्रधानाध्यापक महोदय खोये हुए थे। विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक पर्यावरण के मध्य सही सन्तुलन होने पर ही प्रभावी शिक्षण व भौतिक पर्यावरण के मध्य सही सन्तुलन होने पर ही प्रभावी शिक्षण एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन हो सकता है और तभी मिल सकता है विद्यालय को सामाजिक सद्भाव एवं विश्वास।

''साब, कुछ देर और बैठेंगे या .....।'' चौकीदार की आवाज ने विचारमग्न प्रधानाध्यापक जी को चौंका दिया था। वह हाथ में ताला लिए सामने खड़ा था। दीवार पर लगी घड़ी दो बजाना चाह रही थी। इस तरह वे घण्टे सवा घण्टे अकेले विचारों में खोए रह गए थे। यों तो छुट्टी साढ़े बारह बजे हो गई थी। चौकीदार को यह नया अनुभव था क्योंकि उनसे पूर्व के किसी भी प्रधानाध्यापक ने छुट्टी होने के पश्चात् घण्टों बैठने का साहस नहीं दिखाया था।

''नहीं, अब चलेंगे।'' यह कहते हुए प्रधानाध्यापक जी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए।

''रामू, तुम तो गर्मी की छुट्टियों में यही रहे होंगे।'' अपने कक्ष से विद्यालय के मुख्यद्वार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने पूछा। प्रधानाध्यापक अपने सहयोगियों के साथ आत्मीयता बढ़ाने में कुशल थे।

''हाँ, साब ! मुझे कहाँ जाना था ? अपना तो घर-परिवार सब कुछ यहीं है। मेरे परिवारजन तो ये पेड़-पौधे हैं, जिन्हें इन हाथों से लगाया और पाल-पोस कर बड़ा किया है। ये हरे पेड़ मेरे जीवन की हरियाली के आधार हैं। विद्यालय के ही नहीं, धरती माता के सच्चे शृंगार हैं पेड़।'' अपने हाथों से घने वृक्षों की ओर इशारा करते हुए चौकीदार रामू ने कहा। हरियाली व पेड़-पौधों से रामू का लगाव देखते ही बनता है।

अंधेरी रात में जब तेज हवाएँ चलती हैं और ये पेड़ साँय-साँय करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मुझसे ही बातें कर रहे हैं। भले ही और लोगों को यह साँय-साँय डराती होगी, पर मेरा तो यह संगीत है। मैंने तो इन्हीं के साथ जीने-मरने की सोच रखी है, साब जी। एक-एक करके पूरे पैंतीस साल हो गए हैं, कल की सी बात लगती है।'' प्रधानाध्यापक जी को पेड़ों में खोये देखकर रामू ने आगे कहा।

''तुम्हारी बदली भी हो सकती है।''

''दस साल पहले एक बार हुई थी लेकिन .....।'' रामू ने गर्व के साथ बस इतना ही कहा।

''तब क्या हुआ ?''

''होना जाना क्या था, स्कूल के मास्टरों और इलाके के लोगों ने यह बात इंस्पेक्टर साब तक पहुँचाई। छोरों ने तो हड़ताल करने की धमकी तक दे डाली थी। पर मुझे तो इन पेड़ों की कमाई में असल भरोसा था। मेरी सेवा व इनका आशीर्वाद रंग लाया और एक हफ्ते में ही बदली कैन्सिल हो गई। इंस्पेक्टर साब खुद आये थे बदली कैन्सिल का ऑर्डर लेकर। विद्यालय में इतने सारे पेड़-पौधे देखकर वे बहुत खुश हुए और सबके सामने मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने उस समय के हेडमास्टर जी को मेरा ध्यान रखने का भी कहा था। रामू के चेहरे पर विजय के भाव स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते थे।

श्री रामदयाल शर्मा ने पाँच जुलाई को ही पदोन्नति पर इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पदभार सम्भाला था। स्टाफ व छात्रों के साथ संवेदनशील सम्बन्ध, पढ़ाई व अन्य शैक्षिक प्रवृत्तियों के प्रभावी संचालन की प्रबल इच्छा के बीच शर्माजी चाहते थे कि पर्यावरण, वृक्षारोपण, वृक्षों की सम्भाल, साक्षरता, नामांकन, ठहराव, महिला व बाल कल्याण, अल्प बचत, साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं सद्भाव, राजकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार आदि कार्यों में भी विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। विद्यालय परिसर में सर्वत्र मनभावन हरियाली का राज उन्हें मिल गया था। उन्हें लगा कि जैसे रामू के रूप में एक सच्चा साथी उन्हें मिल गया है। उन्हें ऐसे ही किसी सहयोगी की जरूरत थी।

''सा...ब, आप खाना तो ढाबे में ही खाते होंगे।'' रामू ने जानना चाहा।

''हाँ, पर मजे वाली बात नहीं है। बस काम धिक जाता है।''

''साब, इस बार घर जाओ तो आते समय रसोई का जरूरी सामान साथ लेते आना। मैं बना दिया करूँगा खाना। ढाबे का खाना तो एक दिन आपका पेट बिगाड़ कर रख देगा। यह तो मोटर-ट्रक वालों को मुबारक हो।'' रामू के कथन में गहरी आत्मीयता व स्नेह छिपा था।

''खाना तो मुझे भी बनाना आता है। नौकरी में वर्षों घर से बाहर रहकर यह काम तो सीख ही लिया है।'' शर्माजी ने कहा।

''पर आज तो बहुत देर हो गई है। देखिये तीन बज गए हैं। अब तो ढाबे वाले ने भी चौका ठण्डा कर दिया होगा। सड़क पर एक ही तो ढाबे वाला है। अब तो आप मेरे कमरे में ही पधारें और कुछ यहीं ग्रहण कर लेवें।'' रामू ने साहब के हाथ की कलाई पर बँधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा।

''भूख की तो कोई विशेष बात नहीं है, रामू। सुबह कुछ खा-पी के ही स्कूल आया था। बस, एक कप चाय ले लूँगा और दोपहर में तुम्हारे यहीं आराम कर लेते हैं।'' रामू अकेला ही रह रहा था।

उस दिन गर्मी अपने प्रचण्ड रूप में थी। जुलाई का महीना जो ठहरा। वर्षा का कहीं नामोनिशान नहीं था। मौसम विभाग के हवाले से अखबारों में छपी खबरों के अनुसार मानसून इस बार कुछ लेट था। सिर पर पंखा चलने के बावजूद शरीर पसीने-पसीने हो रहा था। ऊपर से चौकीदार का कमरा तो, कमरा कम और कुटिया अधिक होता है। एक कोने में स्टोव पर चाय बनाते रामू को देखकर प्रधानाध्यापक रामदयाल को लग रहा था कि रामू के सहारे व सहयोग से विद्यालय में ही नहीं बल्कि गाँव में सघन वृक्षारोपण एवं वृक्षरक्षा का पावन अभियान वे चला सकेंगे। उन्हें वृक्षों से बड़ा लगाव था। इसके अलावा विद्यालय परिसर को स्वच्छ, सुन्दर व स्वस्थ रखने का उनका स्वप्न भी रामू के माध्यम से साकार होता उन्हें दिखाई दिया। वे चारपाई के सिरहाने दीवार में बनी आलमारी में रखी पुस्तकों को उलट-पुलट कर देख रहे थे।

''ये किताबें किसकी हैं, रामू ?'' प्रधानाध्यापक जी ने नौवीं कक्षा की पुरानी किताबें हाथ में लेते हुए पूछा।

''मोहन के लिए कबाड़ी थी, सा...ब।''

''मोहन ! कौन मोहन ?''

''मोहन पिछले आठ वर्षों से यहाँ पढ़ता रहा है। स्कूल की चारदीवारी के साथ चारों तरफ लगे इन दो सौ से अधिक पेड़ों का लग पाना बिना मोहन के हरगिज सम्भव नहीं था और पेड़ों के साथ-साथ दीवार के दोनों तरफ लगी हरियल दूब तो समझो अकेले मोहन की ही देन है। पेड़ों के नीचे लगी दूब, जैसे पेड़ों के लिए मखमली बिस्तर बिछा हो। मोहन नहीं होता तो यह हरियाली नहीं होती, मैं तो बस इतना जानता हूँ। परीक्षा के दिनों में छात्र-छात्राएँ जब इस मखमली दूब पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, तब ऊपर से ये लड़ालूम वृक्ष उन्हें छाया देते हैं, हवा देते हैं। दूब माँ एवं पेड़ पिता की तरह दुलारते हैं बालक-बालिकाओं को यह सब मोहन का कमाल है।'' रामू के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी वह आगे नहीं बोला।

''अब कहाँ चला गया मोहन ? हाथ से चाय का प्याला सामने रखी स्टूल पर रखते हुए प्रधानाध्यापक जी ने कहा।''

''बिचारे के घर की हालत पतली है। माँ बीमार रहती है। बाप सब्जी का गाडा लगाता है, बड़ी मुश्किल से गुजर-बसर चल रही है। मजबूरी किसे छोड़ती है सा...ब।'' रामू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा।

''तो मोहन भला इसमें क्या करेगा ?'' कुछ देर खामोश रहकर प्रधानाध्यापक जी ने कहा।

''बाप के साथ साग बेचेगा। इतना ही बहुत है। कम से कम पढ़ाई के खर्चे की चिन्ता तो नहीं रहेगी। इतना ही बहुत है। गरीबी और मजबूरी के मारे लाखों मोहन आज चाहकर भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ?'' रामू के मन का दुःख शब्दों से कहीं अधिक उसके चेहरे के भावों से समझा जा सकता था।

''मोहन साग-सब्जी बेचने के काम में तो स्कूल टाइम से आगे-पीछे भी बाप की मदद कर सकता है। तूने नहीं समझाया उन लोगों को रामू।'' प्रधानाध्यापक जी ने जानना चाहा।

''समझाने से क्या सहारा लगता सा...ब। भूख और शरीर की बीमारी को तो समझाया या सरकाया नहीं जा सकता न। मैंने तो नौंवीं पास हुए लड़कों से जैसे-तैसे ये पुरानी किताबें उसके

लिए कबाड़ी है। पर वे कहते हैं कि पढ़ाई को क्या-क्या नहीं चाहिए– फीस, ड्रेस, कॉपी, पेन, पेन्सिल .....।'' रामू ने स्पष्टीकरण दिया प्रधानाध्यापक रामदयाल सोचने को मजबूर हो गए। कुछ क्षण चुप्पी छाई रही।

''खैर अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा है। आज हम दोनों चलते हैं मोहन के घर। ये पुस्तकें तुम साथ में ले लेना और एक बस्ता कुछ कॉपियाँ व पेन-पेन्सिल गाँव की दुकान से ले लेंगे।'' प्रधानाध्यापक जी से यह सुनकर रामू के हर्ष का कोई पार ही नहीं रहा।

''सा...ब, अपने बच्चों को पढ़ाना कौन नहीं चाहता। हमने तो दुःख-तकलीफों में जीवन पूरा कर दिया। बच्चे पढ़-लिखकर आदमी बन जाएँ तो हमारी मृत्यु सुखकारी हो जाए। पैसे की तंगी और मोहन की माँ की बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है मोहन के पिता ने मजबूरी प्रकट करते हुए कहा। उनके चेहरे से मजबूरी को सहज ही में पढ़ा जा सकता था।'' मोहन के पिता ने लम्बी सांस छोड़ते हुए व्यथा प्रकट की।

''इस बार सा...ब क्या आए हैं' समझो देवता ही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मोहन के पढ़ाई का जोग है। पेड़ों का आशीर्वाद भी भला कभी निष्फल गया है।'' नये बस्ते में किताबें, कॉपियाँ व पेन-पेन्सिल मोहन को पकड़ाते हुए रामू बोला। उसके चेहरे पर अजब उत्साह व प्रसन्नता झलक रही थी। मोहन और उसके माँ-बाप इस पहेली को समझ नहीं पा रहे थे। घर आई शिक्षा (शिक्षा आपके द्वार) को समझ पाना इतना सरल है भी नहीं।

''मोहन पढ़ाई के साथ-साथ प्रतिदिन सुबह-शाम आपको काम में भी मदद करता रहेगा। इसकी फीस, कपड़ों और किताबों, कॉपियों की चिन्ता करने की अब आपको जरूरत नहीं है। आप तो मोहन की माँ को अनुभवी व योग्य डाक्टर दिखाकर अच्छी दवाई दिलाओ ताकि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ। डाक्टर की दवा और हमारी दुआ से अब इनकी बीमारी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकेगी।'' संवेदनशील प्रधानाध्यापक जी की बात से गहरी दिलासा उन्हें मिल गई थी।

इस बीच मोहन की माँ तीन गिलासों में चाय ले आई लम्बे समय से बीमारी की छाया के बीच खुशी के आँसू उसकी आँखों में मोती बनकर छलक रहे थे।

– वरिष्ठ संपादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर

स्वतंत्रता के लिए शिक्षा

❑ **विजय आचार्य**

प्रसिद्ध शिक्षाविद् रूसो का कथन था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और बाद में सांसारिक चक्र में फँसकर अपनी स्वतंत्रता खोता जाता है। जिसमें मुख्य रूप से मानसिक स्वतंत्रता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जन्म के समय जिस स्वच्छन्द वातावरण में पैदा होता है उसको समय के साथ-साथ स्वतंत्रता को भी खोना पड़ता है। यह उसकी मजबूरी है, मनुष्य को अपना पूर्ण जीवन इसी दुनिया में व्यतीत करना होता है और दुनियाँ में जो मनुष्य उपस्थित हैं उनकी सकारात्मक और नकारात्मक सोच विचार का प्रभाव उसकी मानसिक स्थिरता को उद्वेलित करते हैं। मनुष्य धीरे-धीरे अन्य विचारधाराओं को आत्मसात करने को मजबूर हो जाता है। यही रंग उसकी स्वतंत्रता पर चोट लगनी शुरू हो जाती है।

मुख्यतया व्यक्ति जिन नव विचारों के लिए संघर्ष करता है, वे सभी इन लोगों के नकारात्मक विचारों के तले कुचल दिये जाते हैं जिनकी संख्या बल अधिक होती है। ऐसे में मात्र संघर्ष करना ही पर्याप्त नहीं होता उसके लिए शैक्षिक दृष्टि से भी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। आज बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए बल पूर्वक या संख्या बल पर संघर्ष कर अपनी बात या विचार रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसका भी मुख्य कारण शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव कम रहना ही है। शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी बात या विचार की बौद्धिक क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ जन साधारण शिक्षित वर्ग तक पहुँचा सकता है और उन नकारात्मक सोच या विचारों से मुकाबला कर सकता है जिससे मनुष्य की मानसिक स्वतंत्रता क्षीण होती जा रही है।

सम्पूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार की सभ्यता एवं संस्कृतियों का विकास हुआ है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रवाह हजारों वर्षों से सतत जारी है। इसका मुख्य कारण भारतीय सभ्यता व संस्कृति का आधार उसमें सम्मिलित गहरी भावनाएं हैं। वेदों में अधिकृत रूप से बताया गया है कि ''मृत्योर्मा अमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय'' भारतीय संस्कृति व सभ्यता ने अपनी पूरी सोच एवं विचार नर को नारायण बनाने के तरीकों की खोज में लगाया है। मानव को इकाई मानकर उसके अभ्युदय व निश्रेयश पर ही सभ्यता व संस्कृति का ताना बाना बुना है।

वेदों और उपनिषदों में सर्वाधिक जोर मनुष्य के संस्कारों पर ही दिया गया है। इसलिए भारतीय सभ्यता व संस्कृति में सोलह संस्कारों की व्यवस्था की गयी है।

मानव मात्र को अपनी मानसिक स्वतंत्रता के लिए चार पुरुषार्थों पर चलते हुए अपनी जीवन मात्रा करनी चाहिए तभी वह मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। ये चार पुरुषार्थ है– (1) धर्म, (2) अर्थ, (3) काम, (4) मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों की पालना सकारात्मक रूप से करने से मनुष्य कुछ हद तक मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इनके लिए भी मनुष्य को सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता होती है।

भारतीय शिक्षा विचारक महात्मा गाँधी के अनुसार ''शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। तथा अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं वे सभी शिक्षा के फलस्वरूप है।''

इसी प्रकार शिक्षाविद् जॉन डीवी के अनुसार ''शिक्षा का अर्थ ही अनुभवों का निर्माण एवं पुनः निर्माण है और इस दृष्टि से कक्षा व कक्षा के बाहर भी जो अनुभव प्राप्त किये जाते हैं वे सभी शिक्षा के अंग हैं जिन्हें नवाचार के माध्यम से जीवन में आत्मसात किया जा सकता है तथा सीखा व समझा जा सकता है।

मनुष्य की स्वतंत्रता इसी में निहित वह मनसा, वाचा, कर्मणा में सकारात्मक सोच रखे अर्थात् मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का संयोग मिलकर ही मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का स्वरूप बनाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन से शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा की पुष्टि चारों पुरुषार्थों के साथ-साथ शिक्षा व नवीन विचारों के माध्यम से की जा सकती है। इस प्रकार हमें हमेशा मन, विचार, कर्म, बुद्धि, आत्मा के साथ-साथ शिक्षा को भी आत्मसात करना चाहिए तभी हम सही तौर पर मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं।

–10, धर्म नगर, बीकानेर (राज.)

29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस

हॉकी विजार्ड ने देश को दिए कई अवार्ड

❑ सुभाष चन्द्र कस्वाँ

एक अच्छा व महान खिलाड़ी हमेशा मैदान में जाने से पहले अपने खेल को मस्तिष्क में खेलता है। यही बात हमारे हॉकी विजार्ड (हाकी के जादूगर) मेजर ध्यानचंद में थी। इसी वजह से वे अपने खेल को इतनी ऊँचाई तक ले गए तथा विश्व में आज तक उनका कोई सानी नहीं हुआ व हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध हो गए। मेजर ध्यानचंद के द्वारा हॉकी खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि देश को दिलवाने से उनके जन्म दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना सरकार ने शुरू कर दिया।

मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता रामेश्वर दत्त सिंह सेना में सूबेदार थे। परिवार का एक स्थान पर स्थायीत्व न होने की वजह से ध्यानचंद की पढ़ाई बाधित हुई इसलिए वे ज्यादा नहीं पढ़ पाए व छठी कक्षा के बाद विद्यालय से 'ड्राप आउट' हो गए। ध्यानचंद के नाम में 'चंद' शब्द उनके मूल नाम में नहीं जुड़ा हुआ था। उनका असली नाम ध्यानसिंह था। उनके प्रथम हॉकी प्रशिक्षक पंकज गुप्ता जो एक पारखी गुरु थे ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए 'चांद' की उपमा दी थी। उनके गुरु को यकीन था कि उसका यह शिष्य भविष्य में चंद्रमा की तरह चमक कर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा। घरवालों द्वारा दिया हुआ नाम 'ध्यान' व गुरु द्वारा दिया गया नाम 'चंद' दोनों ने मिलकर हॉकी खेल में ऐसा करिश्मा दिखाया कि आज भी लोग दांतों तले अंगुली दबाने से अपने आपको रोक नहीं पाते हैं। बचपन में ध्यानचंद की खेलों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। साथियों के कहने पर कुश्ती में वे अवश्य अपना थोड़ा-बहुत दांव-पेच लगा लेते थे। ध्यानचंद को स्वयं भी याद नहीं था कि उसने हॉकी कब खेलनी शुरू की। इसका खुलासा उन्होंने एक साक्षात्कार में किया था। सन् 1922 में सिपाही के रूप में सेना में भर्ती होने के बाद से ही उन्होंने बाकायदा हॉकी खेलना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने हॉकी को अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1928 के एम्सटर्डम ओलिंपिक के लिए भारतीय टीम में ध्यानचंद को भी चुना गया। इस टूर्नामेंट के पाँच मैचों में ध्यानचंद ने 14 गोल दागकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक स्थानीय समाचार-पत्र ने उनके खेल पर टिप्पणी की ''यह हॉकी का खेल नहीं, बल्कि जादू है और इसके जादूगर ध्यानचंद हैं।'' ठीक इसी दिन से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। ध्यानचंद के बारे में एक और मजेदार तथ्य है। 1932 में लॉस एंजिल्स ओलिंपिक से पहले भारतीय टीम के चयन के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा आयोजित की गई, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए ध्यानचंद की प्लाटून ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उनके खेल को देखते हुए आखिर टीम में तो चयन हो गया लेकिन बगैर ट्रायल के भारतीय टीम में चयनित होने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी थे।

हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की उपलब्धियाँ पेले, मैराडोना और डान ब्रैडमेन के समकक्ष थी। पेले की विशेषता थी कि वे अपने दोनों पांवों पर फुटबॉल को नचाते रहते थे तथा साथ ही साथ अपने फुटबॉल के जूतों को भी पहिनते जाते थे वहीं ध्यानचंद के पास हॉकी की गेंद स्टिक से ऐसे चिपकी जाती थी मानों चुम्बक ने लोहे को अपनी ओर खींच लिया है। कई बार हॉकी खेल से सम्बन्धित लोगों को शंका भी हुई कि कहीं उनकी स्टिक में कोई इस प्रकार का चुम्बक व रसायन तो नहीं है जो गेंद को गोल तक अपने साथ जोड़े रखता है। जाँच भी हुई पर उनकी शंका निराधार ही निकली। तीन ओलिंपिक (1928, 1932 और 1936) में स्वर्ण पदक जीतने वाले करिश्माई सेंटर फारवर्ड ध्यानचंद को पदमविभूषण से नवाजा जा चुका है। ध्यानचंद ने इन तीनों ओलिंपिक के कुल 12 मैचों में 33 गोल करके रिकार्ड बनाया था। 1936 ओलिंपिक में जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने ध्यानचंद से पूछा कि तुम कौन हो तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में सूबेदार। हिटलर ने उन्हें जर्मनी आने और सेना में उच्च पद देने का न्यौता दिया जो उन्होंने खुशी-खुशी ठुकरा दिया। राष्ट्रीयता की यह भावना हमारे लिए एक मिसाल स्वरूप उन्होंने हमारे सम्मुख रखी। राष्ट्रीयता की भावना उनमें कूट-कूटकर भरी थी। ध्यानचंद कहते थे मेरा काम खेल के मैदान पर खेलना है पुरस्कारों की ओर लपकना नहीं है।

मांट्रियल ओलिंपिक में भारत के सातवें स्थान पर रहने से दुःखी ध्यानचंद ने एम्स में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से कहा, ''भारतीय हॉकी मर रही है।'' इसके बाद वे कोमा में चले गए और 1979 में उन्होंने दम तोड़ दिया। आश्चर्य की बात यह है कि अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी वे हॉकी खेल के प्रति कितने चिंतित व व्यथित थे। इतने महान खिलाड़ी होते हुए भी दंभ उन्हें छू तक नहीं गया था और वे हमेशा कहते थे कि उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। ध्यानचंद कभी गेंद को एक सैकण्ड से ज्यादा पकड़कर नहीं रखते थे। वे टीमवर्क की एक मिसाल थे। आगे आने वाली पीढ़ियों को उनकी उपलब्धियों से वास्ता कराना जरूरी है जिससे हो सकता है कि हमारी हॉकी के पुराने वैभव के दिन एक बार फिर लौट आएं।

विगत के वर्षों को देखते हुए लगता है कि हमारी हॉकी की उपलब्धियों को जैसे लकवा मार गया है। आज हॉकी मरणासन्न स्थिति में है। हमारे स्वयं के खेल हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की परिभाषा को गढ़ते हैं। हम अपने खेलों से दिन-दिन कटते जा रहे हैं और उन खेलों के प्रति रुझान को बढ़ा रहे हैं जिनका हमारी संस्कृति से दूर का रिश्ता भी नहीं है। दूसरे खेल भी खेले जाएं यह कोई बुरी बात नहीं है पर राष्ट्रीय खेल हॉकी की अस्मिता को लांघकर ऐसा हम करते हैं तो हमारे से अधिक बड़ी भूल और क्या हो सकती है? हॉकी को जीवंत व विश्व खेलों में हमारा स्थान बनाने के लिए हमें विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उन्हें खेल मैदान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी तभी हमें इस खेल में आगे चलकर कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। हमारे ऐसा करने से ही उस महान खिलाड़ी ध्यानचंद को भी सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी जिन्होंने अपना सारा जीवन इस खेल को होम कर दिया।

–वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हेतमसर
वाया - नूंआ, झुंझुनूं (राज.)333041

विद्यालय विकास में संस्था प्रधान की भूमिका

❑ मंजू वर्मा

प्रधानाध्यापक विद्यालयरूपी जहाज का कप्तान है। वह जिधर चाहे इस विद्यालय रूपी जहाज को मोड़ सकता है, अर्थात् विद्यालय विकास में प्रधानाध्यापक की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

विद्यालय विकास का तात्पर्य है कि विद्यालय हर क्षेत्र में विकास करे चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र हो, सहशैक्षिक हो या फिर भौतिक। प्रधानाध्यापक चाहे वह उच्च प्राथमिक का हो या फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का यदि वह चाहे तो विद्यालय का सर्वांगीण विकास कर सफलता के आयाम स्थापित कर सकता है।

सर्वप्रथम हम बात करते हैं शैक्षिक क्षेत्र की, जिसके अन्तर्गत एक प्रधानाध्यापक निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं– **1. समय की पाबन्दी–** यदि प्रधानाध्यापक समय के पाबन्द हैं, वे विद्यालय में समय पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें स्टाफ व विद्यार्थियों को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे सभी स्वयं ही समय पर उपस्थित हो जायेंगे और विद्यालय कार्य सुचारु रूप से संचालित होंगे। **2. प्रार्थना स्थल–** प्रधानाध्यापक स्वयं प्रार्थना स्थल पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में सहभागिता निभावें। साथ ही विद्यार्थियों को विभागीय नियमों, आदेशों की जानकारी प्रदान करें और आवश्यक ज्ञानवर्धक प्रेरक प्रसंग भी सुनावें तो प्रार्थना निश्चित तौर पर प्रभावी होगी। विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ेगा और दिन की शुरुआत अच्छी होगी। **3. निर्धारित कालांश–** प्रधानाध्यापक सभी शिक्षकों के कालांश हेतु समय सारिणी निर्धारित करें। समायोजन कालांश नियमित रूप से लगाये जावें। प्रधानाध्यापक स्वयं भी अपने कालांश तथा समायोजन कालांश में विद्यार्थियों को अध्यापन करावें और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं को जानकर उनका समाधान करें तभी शिक्षण प्रभावी व परिणामदायी होगा। **4.** गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन लाने को कहें। उन्हें यह समझाया जावे कि छात्रों को स्तरानुसार ही पढ़ाया जावे सैद्धान्तिक के साथ-साथ प्रायोगिक कार्यों से समझाया जावे तो विद्यार्थियों का अधिगम स्तर अच्छा व गुणवत्तायुक्त बन पायेगा। **5.** प्रधानाध्यापक विद्यालय में कमजोर व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करके उचित शिक्षा की व्यवस्था करें। **6.** प्रधानाध्यापक बेहतर उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को समय-समय पर पुरस्कृत करें। **7.** उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करें इसमें समाज के लोगों की भागीदारी बढ़ाई जावे। **8.** विद्यालय में शैक्षिक मंच स्थापित कर नवीन विचारधारा तकनीकों से शिक्षकों व विद्यार्थियों को अवगत कराया जावे। **9.** पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को समय-समय पर जानकारी दी जावे ताकि छात्र अधिक से अधिक पुस्तकों का उपयोग कर सके। **10.** अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक का आयोजन प्रतिमाह करें। विद्यालय विकास कार्यों हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करें।

सहशैक्षिक– शैक्षिक विकास के साथ-साथ सहशैक्षिक विकास भी महत्त्वपूर्ण है। यदि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है तो शैक्षिक के अलावा सांस्कृतिक साहित्यिक, खेलकूद, स्काउट-गाइड, विज्ञान क्लब, भ्रमण अनेकों गतिविधियों का सफल संचालन करना होगा। सहशैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थी की अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग कर उनकी कुण्ठाओं का शमन करते हैं।

एक प्रधानाध्यापक सजग रहते हुए विभागीय प्रतियोगिताओं का ध्यान रखे तथा विद्यार्थी को खण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता के लिए तैयार करे। इसके अतिरिक्त उत्सव व जयन्ती आवश्यक रूप से मनाये जावें। विभिन्न उत्सव व जयन्ती पर विद्यालयस्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत करें।

खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है यदि प्रधान अध्यापक इस ओर सही ढंग से ध्यान दें तो विद्यार्थी न केवल राज्य स्तर अपितु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन कर सकते हैं। आवश्यकता है उचित मार्गदर्शन की।

विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन भी विद्यार्थियों की रचनाओं व कौशल को निखारने का अच्छा माध्यम है।

भौतिक– शैक्षिक व सहशैक्षिक क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ भौतिक क्षेत्र भी एक आवश्यक क्षेत्र है जिस पर विद्यालय विकास निर्भर है। एक कर्मठ, सजग, प्रधानाध्यापक विद्यालय का भौतिक विकास कर सकता है।

भौतिक विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है विद्यालय विकास समिति एक प्रधानाध्यापक शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन इस प्रकार करे कि समाज के लोग स्वतः ही विद्यालय से जुड़ जाये। वह विद्यालय विकास समिति की बैठक का आयोजन प्रतिमाह करे। समाज के युवा, प्रतिष्ठित, कर्मठ, सेवाभावी लोगों को विद्यालय से जोड़े, उन्हें विद्यालय की आवश्यकता बताये।

यहाँ मैं यही कहूँगी, देने वाले बहुत हैं, लेने वाले चाहिए। प्रधानाध्यापक यदि विकास समिति व समाज के लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेते हैं तो भौतिक संसाधन जुटाने में समय नहीं लगता। आवश्यकता है दानदाताओं को उचित सम्मान देकर प्रेरित करने की। भामाशाहों के कार्यों की घोषणा 15 अगस्त, 26 जनवरी, समाचार पत्रों व शिविरा पत्रिका के विद्यालय के भामाशाह कॉलम में की जाकर उन्हें सम्मान दिलाया जावे।

शैक्षिक, सहशैक्षिक व भौतिक के अतिरिक्त भी कुछ है जो विद्यालय विकास में सहायक है और वह है हमारा शुद्ध पर्यावरण। पर्यावरण शुद्ध रहे इस हेतु विद्यालय में स्वच्छता व पेड़ पौधों का रखरखाव अतिआवश्यक है। प्रतिवर्ष नये-नये पेड़ लगाये जायें, पुराने पेड़ पौधों की सुरक्षा व रखरखाव किया जावे। शौचालय मूत्रालय, कक्षा-कक्ष, पानी पीने का स्थल सभी की नियमित सफाई विद्यालय विकास में योगदान देती है।

आवश्यकता इस बात की है कि प्रधानाध्यापक तन्मयता से विद्यालय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावे तो वह विद्यालय न केवल उस क्षेत्र विशेष में वरन् जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भी नये आयाम स्थापित कर सकेगा।

– प्रधानाध्यापिका

श्रीमती गो.दे. गहलोत रा.बा.मा.वि. कालीबेरी, जोधपुर

मानवीय करुणा की दिव्य महक

❑ सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

पद्मभूषण फ़ादर कामिल बुल्के का स्मरण करना तीर्थ करने के समान है। वे विदेशी-भारतीय हैं। विदेशी इसलिए कि उनका जन्म बेल्जियम (यूरोप) के रैम्स चैपल में हुआ था और भारतीय इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। वे गर्व के साथ स्वयं को भारतीय कहते थे। वे एक संन्यासी थे और संन्यास लेते समय उन्होंने अपने धर्मगुरु के सामने शर्त रखी थी कि वे भारत जाना चाहते हैं। फ़ादर कामिल बुल्के का हिन्दी प्रेम अतुलित-अप्रतिम है। वे हिन्दी के असाधारण शोधकर्ता, अद्भुत कोशकार एवं अनुवादक हैं।

फ़ादर का भारत की ओर खिंचे आने के पीछे उनका गोस्वामी तुलसीदास प्रेम है। यहाँ आकर उन्होंने हिन्दी सीखकर तुलसी साहित्य पर शोध किया। ''रामकथा : उत्पत्ति एवं विकास'' ग्रंथ उनकी अनमोल देन है। जब तक रामकथा है, इस विदेशी-भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिन्दी भाषा के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। उन्होंने हिन्दी में कई ग्रंथों की रचना की तथा हिन्दी भाषा बाबत लिखे उनके लेख आज भी मानक माने जाते हैं।

***रामकथा** : उत्पत्ति एवं विकास के साथ अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोश उनकी अनमोल कृति है। भारत में रहते हुए वे पूरी तरह भारतीय संस्कृति में रच-बस गए थे। वे हिन्दी को संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में मानते थे। जब कोई भारतीय अंग्रेजी में बात करता तो वे उसे टोकते तथा हिन्दी में बोलने के लिए कहते।*

अंग्रेजी-हिन्दी कोश भारत के विद्यार्थियों के लिए फादर की अनमोल भेंट है। भारत में शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जिसने इस कोश की मदद नहीं ली हो। वर्ष 1968 में प्रथम बार छपने पर फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र वर्मा को सश्रद्धा इस टीप के साथ समर्पित किया था कि उनकी प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से वे हिन्दी भाषा सीख पाए।

*महान साहित्यकार श्री सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के फादर के साथ अन्तरंग सम्बन्ध थे। उनकी मृत्यु पर सर्वेश्वर ने भावुक होकर जो संस्मरण लिखा, वह बार-बार पढ़ने योग्य है, हृदय तंत्रिकाओं को झनझनाता जो है। फादर की मृत्यु 73 वर्ष की अवस्था में 18 अगस्त 1982 को हुई थी। उनकी तीसवीं पुण्यतिथि के अवसर पर **मानवीय करुणा की दिव्य महक** यहाँ प्रस्तुत है, इसे पढ़ना फ़ादर को हमारी श्रद्धांजली भी होगी।* **–वरिष्ठ सम्पादक**

फ़ादर को ज़हरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था उसके लिए इस ज़हर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लम्बी, पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है– गोरा रंग, सफ़ेद झाँईं मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें-बाँहें गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं पैंतीस साल से इसका साक्षी था। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाँहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ।

फ़ादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे 'परिमल' के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बँधे जैसे थे जिसके बड़े फ़ादर बुल्के थे। हमारे हँसी-मज़ाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गम्भीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फ़ादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी– जैसे किसी ऊँचाई पर देवदारु की छाया में खड़े हों।

कहाँ से शुरू करें ! इलाहाबाद की सड़कों पर फ़ादर की साइकिल चलती दीख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुसकराते हुए उतरते हैं, 'देखिए-देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ...' उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अकसर उन्हें देखकर लगता कि बेल्ज़ियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुँचकर उनके मन में संन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई जबकि घर भरा-पूरा था– दो भाई, एक बहिन, माँ, पिता सभी थे।

''आपको अपने देश की याद आती है?''

''मेरा देश तो अब भारत है।''

''मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ?''

''हाँ आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि-रेम्सचैपल।''

''घर में किसी की याद ?''

''माँ की याद आती है– बहुत याद आती है।''

फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते

देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉ. रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फ़ादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गये थे।

''लेकिन मैं तो संन्यासी हूँ।''

''आप सब छोड़कर क्यों चले आए?''

''प्रभु की इच्छा थी।'' वह बालकों की सी सरलता से मुसकराकर कहते, ''माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फ़ादर बुल्के संन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी (संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है) कि मैं भारत जाऊँगा।''

''भारत जाने की बात क्यों उठी?''

''नहीं जानता, बस मन में यह था।''

उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले 'जिसेट संघ' में दो साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता (कोलकाता) से बी.ए. किया और फिर इलाहाबाद से एम.ए.। उन दिनों डॉ. धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी विभाग के अध्यक्ष थे। शोधप्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया– 'रामकथा : उत्पत्ति और विकास।' 'परिमल' में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फ़ादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक 'ब्लू बर्ड' का रूपांतर भी किया है 'नीलपंछी' के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलिज, राँची में हिन्दी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी-हिन्दी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी... और वहीं बीमार पड़े, पटना आए। दिल्ली आए और चले गए-47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर।

फ़ादर बुल्के संकल्प से संन्यासी थे। कभी-कभी लगता है वह मन से संन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते-खोजकर, समय निकालकर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर मिलते, चाहे दो मिनट के लिए ही सही। यह कौन संन्यासी करता है? उनकी चिंता हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुँझलाते देखा है और हिन्दी वालों द्वारा ही हिन्दी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर-परिवार के बारे में, निजी दुःख-तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुःख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जनमती है। 'हर मौत दिखाती है जीवन को नयी राह।' मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फ़ादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी।

आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाँहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाँहें दोनों हाथों की सूजी उँगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह दस बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी-सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वरसिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सँकरी, उदास पेड़ों की घनी छाँह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक् मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाँह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉ. निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान-शिक्षक डॉ. सत्यप्रकाश और डॉ. रघुवंश भी जो अकेले उस सँकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुःख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फ़ादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। राँची के फ़ादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फ़ादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, 'फ़ादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों।' डॉ. सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई...।

मैं नहीं जानता इस संन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। (नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है।)

इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हममें से सबसे अधिक छायादार फल-फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊँचाई पर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ।

(कक्षा दसवीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग-2 से साभार)

प्रेरक प्रसंग

सॉरी फ़ादर

एक दिन फ़ादर अपने घर के अध्ययन कक्ष में पढ़ रहे थे। तभी दो व्यक्ति आए, एक युवा तथा दूसरा अधेड़। युवक ने नमस्कार के पश्चात् अपने साथ आए अधेड़ का परिचय करवाया, 'फ़ादर', ये मेरे अंकल हैं। फ़ादर मुस्कराए तथा बोले कि अंकल कहने से यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये सज्जन वास्तव में आपके क्या लगते हैं? ये आपके ताऊ, मामा, मौसा, फूफा.... आखिर क्या हैं। उन्होंने युवक को अहसास करवाया कि जब हिन्दी में हर सम्बोधन के लिए अलग-अलग शब्द हैं, तब बहुअर्थी अंकल शब्द का प्रयोग क्यों करें?

झेंप के साथ युवक ने कहा, 'सॉरी फ़ादर।' युवक की दोहरी गलती पर फ़ादर मुस्करा दिए।

राजस्थान की जनगणना 2011

साक्षरता एवं लिंगानुपात : एक समीक्षा

❑ रमेश कुमार शर्मा

जनगणना 2011 के आंकड़े सामने हैं। राजस्थान प्रदेश की 6,86,21,012 जनसंख्या में स्त्री-पुरुष अनुपात 926 : 1000 है, परन्तु 6 वर्ष से कम आयु के 1,05,04,916 बच्चों में एक हजार लड़कों पर मात्र 883 लड़कियाँ हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 67.06 प्रतिशत जनता पढ़ी लिखी है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि आम तौर पर अधिक शिक्षित जिलों में 6 वर्ष से कम आयु के लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफी कम है।

आज से तीन दशक पूर्व नवजात कन्या हत्या के आपराधिक मामले प्रायः दर्ज हुआ करते थे। उस समय इसे अशिक्षा का परिणाम माना जाता था और कहा जाता था कि जैसे-जैसे राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा नवजात कन्याओं की हत्याओं में कमी आएगी। यह सच है कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोग शिक्षित हुए हैं और नवजात कन्या हत्या मामले भी अब बहुत कम दर्ज होते हैं, परन्तु कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते रहते हैं और जनगणना के आंकड़ों के प्रकाश में जो सच्चाई सामने आई है, वह यह है कि अब कन्या हत्यारे शिक्षा के प्रभाव से प्रगतिशील हो गये हैं। कन्याएं प्रसवपूर्व ही मारी जाती हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ कन्या भ्रूण हत्या का सहसम्बन्ध दिल दहलाने वाला है।

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बाल-लिंगानुपात प्रतापगढ़ जिले का है जहाँ प्रति एक हजार लड़कों पर 926 लड़कियाँ हैं और शिक्षा दर 56.30 प्रतिशत है। दूसरी ओर सबसे कम बाल-लिंगानुपात झुंझुनूं जिले का है जहाँ प्रति एक हजार लड़कों पर मात्र 831 लड़कियाँ हैं जबकि शिक्षा दर 74.72 प्रतिशत है। पचपन से साठ प्रतिशत के बीच शिक्षा दर वाले जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और जालोर जिलों का औसत बाल-लिंगानुपात 900 है जबकि इनसे कुछ अधिक शिक्षित 60 से 65 प्रतिशत के बीच शिक्षा दर रखने वाले नागौर, राजसमन्द, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और डूंगरपुर का औसत बाल-लिंगानुपात भी 900 ही है। इनसे अधिक शिक्षित 65 से 70 प्रतिशत शिक्षा दर वाले दौसा, हनुमानगढ़, चूरू, बारां, करौली, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और बीकानेर जिले औसतन बाल-लिंगानुपात मात्र 878 ही रखते हैं जो प्रदेश के औसत बाल-लिंगानुपात 883 से कुछ नीचे है। आश्चर्य की बात यह है कि इनसे भी अधिक शिक्षित 70 से 75 प्रतिशत शिक्षा दर वाले झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर और धौलपुर जिलों का बाल-लिंगानुपात प्रदेश औसत से बहुत कम मात्र 857 है।

राजस्थान प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक शिक्षा दर वाले दो ही जिले हैं कोटा और जयपुर। इनका औसत बाल-लिंगानुपात भी प्रदेश औसत से कम है, 874 मात्र। हाँ, यह अवश्य राहत की बात है कि देश के सर्वाधिक शिक्षित जिला कोटा (शिक्षा दर 77.48 प्रतिशत) का बाल-लिंगानुपात 889 है जो प्रदेश औसत से थोड़ा ऊपर है, लेकिन प्रदेश की राजधानी जयपुर जिला (शिक्षा दर 74.44 प्रतिशत) प्रदेश औसत से बहुत कम बाल-लिंगानुपात रखता है, 859 मात्र। यह स्थिति बड़ी कष्टदायक है।

यदि राजस्थान के जिलों को शिक्षा दर के घटते क्रम में जमाया जाए तो कुछ अपवादों को छोड़कर उनके बाल-लिंगानुपातों का क्रम बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। दोनों आंकड़ों का ऋणात्मक सह-सम्बन्ध निम्न तालिका से स्पष्ट है–

जिला	शिक्षा दर (% में)	बाल-लिंगानुपात*
कोटा	77.48	889
जयपुर	76.44	859
झुंझुनूं	74.72	831
सीकर	72.98	841
अलवर	71.68	861
भरतपुर	71.16	863
अजमेर	70.46	893
श्रीगंगानगर	70.25	854
धौलपुर	70.14	854
दौसा	69.17	859
हनुमानगढ़	68.37	869
चूरू	67.46	896
बारां	67.38	902
करौली	67.34	844
जोधपुर	67.09	890
सवाई माधोपुर	66.19	865
बीकानेर	65.92	902
नागौर	64.08	888
राजसमन्द	63.93	891
पाली	63.23	895
उदयपुर	62.74	920
भीलवाड़ा	62.71	916
चित्तौड़गढ़	62.51	903
टोंक	62.46	882
बूंदी	62.31	886
झालावाड़	62.13	905
डूंगरपुर	60.78	916
जैसलमेर	58.04	868
बाड़मेर	57.49	899
बांसवाड़ा	57.20	925
प्रतापगढ़	56.30	926
सिरोही	56.02	890
जालोर	55.58	891

** 0-6 वर्ष आयु के 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या*

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राजस्थान में विभिन्न जिलों की शिक्षा दर और बाल-लिंगानुपात आंकड़ों का कार्ल पियरसन अनुपात–0.64 है जो दोनों आंकड़ों में उच्च सीना का ऋणात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता है।

स्पष्ट है कि राजस्थान के 33 जिलों में से शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले जिलों में से केवल 2 जिलों कोटा और अजमेर में बाल-लिंगानुपात प्रदेश औसत 883 से अधिक है। लगता है शिक्षा और बाल-लिंगानुपात का थोड़ा बहुत कदमताल राजस्थान के दो जिलों कोटा और अजमेर में ही है। संख्या की दृष्टि से 900 से अधिक बाल-लिंगानुपात रखने वाले 9 जिलों प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और बारां में से एक भी जिला शिक्षा की दृष्टि से सर्वोपरि दस में स्थान नहीं बना सका है।

राजस्थान में शिक्षा दर कैसी है, यह एक सवाल है, किन्तु इससे बड़ा सवाल है कि शिक्षा कितनी भी हो पर कम से कम उसमें इतनी गुणवत्ता तो हो कि वह समाज को माँ की कोख में पल रहे भ्रूण की रक्षा के प्रति संकल्पवान बना सके।

–6/134, मुक्ताप्रसाद नगर,
बीकानेर-334004

बोधगम्य अवधि है विश्रान्ति

❑ श्रीराम चौधरी

विश्रान्ति - पाठशालीय दिवस की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और न्यूनतम बोधगम्य अवधि है। यह अधिकांश लोगों का पूर्व और वर्तमान का स्नेहभाजन विषय है। कुछ एक के लिए यह एकांकीपन और भय का अवसर हो सकता है, किन्तु वास्तव में यह ऐसी समयावधि है, जब बच्चा अपनी अंतरात्मा को प्रकट करता है। इस प्रकार अपने चारित्रिक लक्षणों को खुले तौर पर प्रदर्शित करता है।

दुर्भाग्य से हमारी अधिकांश पाठशालाओं में न तो खेल-कूद के स्थलों की व्यवस्था है और न ही इनसे सम्बद्ध साज व सामान, झूले, क्षितिज छड़, रस्सियाँ परिवलय, रेल आदि की।

खेल-कूद का साज व सामान केवल कार्य क्रिया के आंशिक भाग की व्यवस्था मात्र है, जिसका अवलोकन हम क्रीड़ा-स्थल पर कर सकते हैं। खेल-कूद का स्वतंत्र व खुला क्रीड़ा-स्थल बहुत से बच्चों को आकर्षित करता है। यह खेलों, प्रतियोगिताओं, नाटकाभिनय की व्यवस्था है, जबकि हम बच्चों को लड़ते-झगड़ते, पहलवानी करते, दिवास्वप्न देखते अवलोकित कर सकते हैं।

एक महान अवलोकनकर्ता इस परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया सचेत होता है कि क्या घटित हो रहा है ? वह क्रियाओं के प्रतिवेदन तैयार करता है। कक्षागत समस्याओं एवं आपत्तिजनक साधनों के समाधान प्राप्त करता है। यदि हम साज व सामान के एक अंश पर एकाग्र मन हो जायें तो सम्भव है कि उसकी एक तरंग मनोभावों के आचरणों एवं अनुभावों को सुस्पष्ट तौर पर प्रकाश में लाने में सहायक बन सकें। यह स्थल एक क्षण हँसने, कहकहे लगाने और मौज-मस्ती का होता है तो दूसरे क्षण आक्रमक कार्यवाही करने का एक उत्तेजनाजनक दृश्य जहाँ कि दो तरंगें टकराती है और मनःस्थिति उत्तेजित हो उठती है।

बालक तरंग और क्षितिजीय-छड़ पर अत्याधिक रहस्य प्रदान करता है, यदि हम चिन्तन और मूल्यांकन हेतु तैयार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस साज व सामान के उपयोग हेतु अत्यधिक कौशल और साहस की आवश्यकता होती है तथा यह सोच ही साहसी को प्रतिफल प्रदान करती हैं एवं क्रिया करने वालों को खतरे में डालती है। स्वतंत्रता के बावजूद बच्चे को सहायता की आवश्यकता होती है। वह स्वतंत्र रहते हुए भी नियन्त्रण में रहना चाहता है।

रेत का खेल विविध अनुभव प्रदान करता है। वहाँ बच्चा अपने आप को विभिन्न प्रतिकृतियों को निर्मित करने और नष्ट करने में व्यस्त रखता है। इसके अतिरिक्त वे अपनी रुचि के अनुसार व्यक्तिगत वार्तालापों में संलग्न रहते हैं। ऐसे अवसरों पर प्रौढ़ की केवल झगड़ों को दूर करने हेतु आवश्यकता होती है, न कि उनके कार्यों में व्यर्थ का हस्तक्षेप करने की। साहस और शारीरिक अवलोकन की बजाय हम वास्तविकता, सृजनात्मकता और सहयोग द्वारा कार्य करने की योग्यता का दिग्दर्शन करते हैं।

सबसे कठिन कार्य नाटकीय खेलों का बुद्धिमत्ता पूर्वक मूल्यांकन करने का होता है। जैसे– घोड़े का खेल, चिकित्सकों, परिवारों, परिचारिकाओं, शिक्षकों, सैनिकों, जादूगरनियों एवं विविध प्रकार के विद्वेषीय समूहों (जो कि अन्य का शिकार करते हैं) आदि। विशिष्ट व्यक्तियों के छविचित्रण आन्दोलनों की निश्चित घटनाओं, बच्चों द्वारा रेडियो पर खुले कार्यक्रम एवं उनके द्वारा पढ़े-सुने लोगों पर आधारित होते हैं।

बच्चों का एक अन्य विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण खेल अवरोध का होता है। वहाँ प्रायः वास्तविकता एवं कल्पना शक्ति का सम्मिश्रण होता है। कई बार रखे गये अवरोध पूरी तरह काल्पनिक होते हैं एवं बच्चे इनके अस्तित्त्व में न होने पर भी काँटों पर छलाँग लगाते हैं या आग की ज्वाला के मध्य छलाँग लगाते हैं, जिन्हें कि वे देख पाते हैं।

बच्चे जो कि करीब छः वर्ष के होते हैं, प्रायः संगठित खेल-फुटबाल, हॉकी आदि में भाग लेते हैं इस सम्बन्ध में खेल की तुलना में उससे सम्बद्ध योजना बनाना अधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

व्यक्तित्त्व के लक्षणों एवं बच्चे के अपने समूह से सम्बन्धों के साथ कौशलों, योग्यताओं, परिपक्वता के स्तरों, सभी को क्रीड़ास्थल पर अवलोकित किया जा सकता है। कक्षा की भाँति क्रीड़ास्थल एक ऐसा स्थान है, जहाँ बच्चे अपना जीवन जीते हैं, सीखते हैं एवं अपने आप को प्रदर्शित करते हैं।

'विश्रान्ति दिन में एक अन्तराल (विच्छेदन) ही नहीं, बल्कि उससे कुछ अधिक है। यह मानव की अभिवृद्धि की व्यग्र प्रयोगशाला में अन्तराल है।'

'बच्चों की दैनिक चर्या में आती है विश्रान्ति,/यह वह समय है जब बच्चों की मिटती है क्लांति।/अन्य गुणों का भी विकास इस समय हो जाता है,/सभी बच्चों को यही समय सबसे ज्यादा भाता है।'

–प्राचार्य
श्री गुरुनानक खालसा शि.प्र. महाविद्यालय
हनुमानगढ़

अल्जाइमर का पता लगेगा दस साल पहले - दिमाग के स्कैन की नई तकनीक हो रही है विकसित

लंदन/शोध। आगामी दिनों में अल्जाइमर जैसी गम्भीर बीमारी का काफी पहले पता लगाना आसान होगा। इस स्कैनिंग तकनीक का नाम पोजीट्रोन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) रखा गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह तकनीक 10 साल पहले ही बता देगी टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अगले 12 महीनों में यह तकनीक बाजार में उपलब्ध होगी। यह रिसर्च ब्रिटेन समेत विश्व के कई हिस्सों में चल रही है। आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न और अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय ने इस तकनीक में महारत हासिल करने का दावा किया है। रिसर्च में पाया गया कि प्लाक की समस्या से ग्रसित लोगों में अल्जाइमर होने की संभावना ज्यादा रहती है।

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की ईजाद, अनिद्रा से पीड़ित मरीजों को मिल सकेगी राहत

टोपी पहनिए और मस्त होकर सोइए

लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के वैज्ञानिक अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे सैकड़ों मरीजों पर इस टोपी का सफल परीक्षण कर चुके हैं। टोपी पहनने के बाद ये मरीज बगैर कोई गोली खाये रात में सामान्य लोगों की तरह ही सो पाये। बिस्तर पर लेटने के दौरान उन्होंने 89 फीसदी समय भरपूर नींद ली। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर एरिक नॉफजिंगर के मुताबिक नई टोपी। दिमाग के 'प्री-फ्रंटल-कॉरटेक्स' भाग में चल रही गतिविधियों को शांत करती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की सौगात ठंडे पानी के दर्जनों बारीक ट्यूब से लेस है टोपी/दिमाग के 'प्री-फ्रंटल कारटेक्स' भाग में घटती है सक्रियता नींद की गोलियों का अच्छा विकल्प साबित हो सकती है।

नेत्रहीनों की रोशनी बनेगी स्मार्ट केन

नई दिल्ली/तकनीक। आईआईटी के निदेशक सुरेन्द्र प्रसाद ने कहा कि ऐसा डिवाइस बनाया है जो नेत्रहीनों के लिए तीसरी आँख का काम करेगा। इसकी मदद से यह पता लगा सकेंगे कि उनके रास्ते में आगे कौनसी रुकावट है और वह कितनी दूरी पर है। इससे पहले जो डिवाइस बना था वह सिर्फ घुटनों तक रास्ते में आने वाली रुकावटों को पकड़ पाता था, लेकिन यह डिवाइस घुटनों के ऊपर तक की बाधाओं को भी पकड़ पाएगा। इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने नेत्रहीनों के लिए एक बस आइडेंटीफिकेशन सिस्टम भी बनाया है, जो उन्हें बस के रूट के बारे में जानकारी देगा।

मौत का सबब नहीं बनेगा हार्ट अटैक

लंदन/शोध। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दिल की धड़कन पर ब्रेक लगाने वाले पीआई-3 काइनेज एंजाइम की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। इससे भविष्य में ऐसी दवाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जो पीआई-3 काइनेज एंजाइम की क्रिया पर काबू पाकर हार्ट अटैक से मौत की आशंका घटा सकेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल के भीतर इस एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाने से मरीज को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है 'पीआई-3 काइनेज' एंजाइम की गतिविधियों को पुरानी दवाओं से नियंत्रित करके दिल का दौरा पड़ने से रोका जा सकता है। अगर पुरानी दवाएं प्रभावी नहीं होती है, तो उनमें कुछ बदलाव करके नई दवाएं विकसित की जा सकती हैं।

फिलाडेल्फिया स्थित अस्पताल के वैज्ञानिक ने चूहे पर किया शोध

जीन में बदलाव से दूर होगी बीमारी

वाशिंगटन/शोध। अब ऐसे असाध्य रोगों का इलाज मुश्किल नहीं होगा। फिलाडेल्फिया स्थित चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जीनोम में बदलाव कर पहली बार इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करने का दावा किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तकनीक से उन आनुवंशिक खामियों में सुधार किया जायेगा जिससे आने वाली पीढ़ी में जन्मजात बीमारी होती है। वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया बी से ग्रसित चूहों के जीनोम को सम्पादित किया। इस प्रक्रिया में उनके खराब जीन को बदल दिया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जीनोम में बदलाव के बाद चूहे ठीक हो गये।

चश्मे से फेसबुक पर अपलोड करें वीडियो

लंदन/तकनीक। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चश्मा बनाया है जिसे पहनकर न केवल वीडियो रिकार्ड किया जा सकता है। बल्कि ब्लूटूथ के जरिए फेसबुक पर उसे अपलोड भी किया जा सकेगा। इस चश्मे को एक बार पूरा चार्ज कर लेने पर यह तीन घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकेगा। प्रवक्ता ने नए चश्मे के आविष्कार को वीडियो रिकॉर्डिंग यंत्र विकसित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। उसका कहना है कि देर तक वीडियोग्राफी करना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि एक मिनट से ज्यादा लगातार कैमरा पकड़ने में लोगों को असहजता महसूस होती है।

अब रोबोट को भी होगा गर्मी-सर्दी का अहसास

लंदन/शोध। आपको रजनीकांत की फिल्म रोबोट का चेती तो याद होगा। चेती मानवीय संवेदनाओं को अच्छी तरह महसूस कर सकता है। अब ऐसे रोबोट की कल्पना फिल्म या विज्ञान कथाओं में ही सीमित नहीं रहेगी। वैज्ञानिक ऐसा रोबोट तैयार करने के करीब है जो मनुष्यों की तरह ही किसी के छूने का अहसास कर सकेगा। वैज्ञानिकों ने हेक्सागोनल प्लेटें तैयार करने में सफलता पाई है। इससे रोबोट को यह पता लग सकेगा कि उसके आस-पास का माहौल कैसा है। मसलन सर्दी है या गर्मी। शोधकर्ताओं ने बताया कि वे रोबोट के लिए कृत्रिम त्वचा का विकास कर रहे हैं। शोधकर्ता फिलिप मिटेनफोर्ड ने अपने प्रायोगिक रोबोट बायोलायड के बारे में जानकारी देते हुए कहा इसमें छः सेंसर लगे हुए हैं। जो तापमान में आये अंतर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इससे रोबोट अंदाजा लगा लेता है कि उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं और इसी के अनुरूप वह काम करता है।

बुढ़ापे को बाय-बाय, जवानी जिंदाबाद

लंदन/दवा। वह दिन दूर नहीं है जब बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर डॉक्टर का दरवाजा खटखटाने की झंझट से छुटकारा मिल जायेगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर लिंडा पैट्रिज ने दस साल के भीतर अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में फारेवर यंग नामक एक ऐसी दवा उतारने का दावा किया है जो इन्सान की ताउम्र जवां रख सकेगी। डेलीमेल की मानें तो युवावस्था में रोजाना फारेवर यंग की एक गोली लेनी पड़ेगी। इससे बुढ़ापे में होने वाली तमाम बीमारियों से बचा जा सकेगा। इसके सेवन से इन्सान की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। इस नई गोली अल्जाइमर्स और हृदयरोग समेत कई जानलेवा बीमारियों से बचाव में कारगर होगी।

समंदर से निकला शुगर का रामबाण इलाज

नई दिल्ली/खोज। शुगर और मोटापे जैसी बीमारियाँ का प्रभावी व सस्ता इलाज भारतीय वैज्ञानिक ने समुद्र की गहराई से खोज निकाला। 15 हजार वनस्पति की जाँच पड़ताल के बाद वैज्ञानिक के हाथ दो 'चमत्कारिक' वनस्पति लगी है। इन्हें खोजने में 53 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इन वनस्पतियों से निर्मित दवाएं वर्ष के अन्त में बाजार में उपलब्ध हो जायेगी। वर्ष 2025 तक भारत में शुगर के मरीज की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ मोटापे से पीड़ित लोगों की तादाद भी कम नहीं है। मनुष्य के शरीर पर इन दवाओं का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। खोजी गई वनस्पतियों में से एक का नाम मैंगल है। मैंगल से शुगर व मोटापे को दूर भगाने की नई दवाएं बनाई गई।

20 साल तक संजोए स्टेम सेल

लंदन/खोज। अब बुढ़ापे में कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों की चपेट में आने की चिन्ता छोड़ दीजिए। वैज्ञानिकों ने स्वस्थ स्टेम सेल्स को 20 साल तक संजोकर रखने की कानूनी अनुमति हासिल कर ली है। इन सेल्स को सुरक्षित रखवाकर भविष्य में कैंसर, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी घातक बीमारियों से बचाव की उम्मीदों को बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्टेम सेल्स शरीर की अविकसित मास्टर कोशिकाएं होती हैं। इनमें किसी भी कोशिका को ऊतक, अंग, हड्डियों या नसों में तब्दील करने की क्षमता पाई जाती है। विशेषज्ञों ने बताया कि क्लाइंट के खून का नमूना लेने के बाद वैज्ञानिक उसे ठंडे पाउच में रखते हैं। इसके बाद उसे लैब ले जाकर उसमें से ब्लड प्लाज्मा अलग किया जाता है। प्लाज्मा खून का वह हिस्सा होता है। जिसमें अमूमन स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। हर ब्लड सैंपल में लाखों स्टेम सेल्स दर्ज की गई।

चोट ठीक होने का संकेत देगी स्मार्ट बैंडेज

वाशिंगटन/तकनीक। वैज्ञानिक एक ऐसा स्मार्ट बैंडेज तैयार कर रहे हैं। जो चोट ठीक होने के बाद ही अपना रंग बदल कर मरीज को इसका संकेत देगी। लुई बेन डेर वर्फ ने दावा किया है। यह बैंडेज घाव के भरने के साथ ही अपना रंग बदलकर आपको इसकी जानकारी देगी। यानी बैंडेज का रंग देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका घाव कितना ठीक हुआ है। वर्फ ने कहा हमें उम्मीद है कि पैर में होने वाले छालों जैसे जख्मों का जल्दी और प्रभावी इलाज करने के लिए पट्टी बाँधना ही कारगर होता है। इससे धन और समय की बचत होती है।

सुअर में उगाए जाएंगे मानव अंग

लंदन/शोध। किडनी रोगियों की अब उचित डोनर की तलाश में महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जापानी वैज्ञानिक स्टेम सेल की..... से चूहे के शरीर में एक दूसरी प्रजाति के चूहे के अंग विकसित करने में कामयाब रहे हैं। उनका दावा है कि यह खोज भविष्य में सुअर के शरीर में मानव अंग उगाने में मदद करेगी। इससे वक्त पर उचित डोनर का बंदोबस्त न हो पाने के कारण मरीज को अपनी जान नहीं गँवानी पड़ेगी। प्रमुख शोधकर्त्ता प्रोफेसर हीरोमिल्सु नाकाउचि के मुताबिक नई तकनीक को ब्लास्टोसिस्ट कॉर्माप्लमेंटेशन नाम दिया गया है। इस बाबत सुअर की कोख में इन्सान के स्टेम सेल्स तैनात करने पड़ेंगे। बकौल नाकाउचि, ब्लास्टोसिस्ट कॉर्माप्लमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य मानव अंगों का उत्पादन है।

सहयोग के बढ़ते कदम

बीकानेर स्थित राजकीय महारानी बालिका उ.मा. विद्यालय में कॉलेज शिक्षा विभाग के अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉ. के.डी. शर्मा ने अपनी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी की स्मृति में एक उच्च क्षमता का वाटर कूलर प्याऊ बनवाकर स्थापित किया। इसी के साथ विद्यालय में पहले से लग रहे, लेकिन हाल फिलहाल खराब हालत में पड़े दो वाटर कूलर को उनके द्वारा ठीक करवाया गया।

वाटर कूलर का शुभारम्भ दिनांक 15 जुलाई 2011, श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिविरा पत्रिका के वरिष्ठ सम्पादक श्री ओम प्रकाश सारस्वत एवं शाला प्रधानाचार्या श्रीमती रक्षा सिंह ने किया। यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुशीला शर्मा इस विद्यालय में वर्षों इतिहास विषय की व्याख्याता रही थीं और उनका बालिका शिक्षा के प्रसार में विशेष योगदान रहा। स्व. श्रीमती शर्मा की स्मृति में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2011 कला व विज्ञान वर्ग तथा माध्यमिक परीक्षा 2011 में विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को क्रमशः 2100 रुपये, 1100 रुपये तथा 500 रुपये की नकद छात्रवृत्तियाँ, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किये गये। इस प्रकार लगभग 75,000 रुपये का सहयोग विद्यालय एवं विद्यार्थी हित में डॉ. के.डी. शर्मा के परिवार द्वारा किया गया।

नैतिक शिक्षा की अवधारणा

❑ नारायणराम कौशिक

जिस देश में अनेक धर्म प्रचलित हो और राज्य व्यवस्था धर्म निरपेक्ष हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा नैतिक शिक्षा के रूप में उपयोगी व युगानुकूल हो सकती है। ऐसी नैतिक शिक्षा जो व्यक्ति और परिवार, समय एवं समाज को समुन्नत बना सके, ऊँचा उठा सके। *जहाँ धर्म की धारणा अनेक है निरपेक्षता का भाव। वहाँ नैतिक शिक्षा आधार है मानवता का स्वभाव॥*

नैतिक शिक्षा देने का कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं, यह पारस्परिक सहयोग से, पारिवारिक, सामाजिक वातावरण निर्माण से सरल और संभव है। इसके लिए अभिभावकों, नागरिकों एवं शिक्षकों का स्वयं का आचरण और व्यवहार अधिक शिक्षा और प्रेरणा देता है।

सरकार आर्थिक भार उठाकर व्यवस्था बना तो सकती है, किन्तु व्यक्ति परिवार और समाज पर इनके अनुकूल वातावरण विनिर्मित करने और अनुकरणीय आचरण प्रस्तुत करने का प्रथम उत्तरदायित्व आता है। इसीलिए आदिकाल से यह माना जाता रहा है कि व्यक्ति के जीवन में नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली संस्था धर्म है। धर्म कितने प्रकार के ही हों, जैसे वैयक्तिक धर्म, युग धर्म, सनातन धर्म आदि। उनमें सन्निहित सिद्धान्तों के अनुकरण मात्र से नैतिक बने रहना संभव है।

नैतिकता की बात करे नैतिकता से नित रहे।
धर्मशास्त्र की प्रधानता नैतिकता से काम करें।
नीतिगत व्यवहार नीतिगत कार्य को बढ़ाता है।
नीति शास्त्रियों की भावना को व्यवहार में लाता है॥

नीति शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य के हृदय में सत्-असत् दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं। समय और वातावरण की अनुकूलता से वे उद्दीप्त होते हैं। इस प्रकार यदि आरम्भ से ही बालकों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाय तो उन्हें सुसंस्कारी बनाया जा सकता है। यही संस्कार उनके व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनते हैं। इसी स्तर को सार्वभौम धर्म की संज्ञा दी जानी चाहिए।

संज्ञा शोध संस्कार सर्वजन में नैतिकता की होनी चाहिए। परिवार पाठशाला जीवन में बताकर हमें सभ्य होना चाहिए॥

संसार न केवल वस्तुओं से बना है, वरन् विचारों, भावनाओं, आस्थाओं, कलाओं और व्यवस्थाओं का भी यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान है। मानव होने का अर्थ न्याय करना, अच्छाई ग्रहण करना, विवेकशील बनना है। संगठित रूप से रहने, परस्पर सहयोग सहकार करने और उत्कर्ष की दिशा में साथ-साथ बढ़ने हेतु ही धार्मिक मूल्यों, नैतिक मर्यादाओं का संस्थापन सत्यता के आधार पर हुआ था। मनुष्य की अन्तर्दृष्टि का विकास उन्हीं मूल्यों को अपनाने से होता है, जिसकी स्थापना प्राचीन ऋषि मुनियों ने, संतों ने सत्य दर्शन के आधार पर की थी। उस समय धर्म को मात्र साधारण धारणा न समझकर सत्य की खोज करना माना जाता था। उसके प्रकटीकरण की शिक्षा-दीक्षा भी तद्नुरूप ही मिलती थी। धर्म का अर्थ धार्मिक जीवन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझना और तद्नुरूप आचरण और व्यवहार करने के रूप में था।

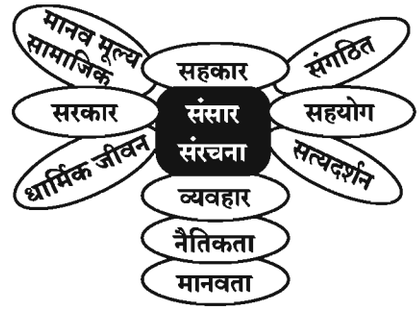

धर्म के बन ठेकेदार अपना सम्प्रदाय से बोध कराते हैं।/भूल गए मानवता-नैतिकता बस अपना नाम कमाते हैं।/उठ गया धर्म हृदय से जिसका वह क्या बढ़ पायेंगे।/मानवता की नैतिकता की धर्म शिक्षा भूल जायेंगे॥

वस्तुतः मनुष्य का एक व्रत, एक ही धर्म है– मानवता। इस आधार पर उसके आदेश एवं प्रतिपादन भी समूची मानव जाति के लिए एक ही होने चाहिए, पर देखा इसके विपरीत जाता है। जहाँ सम्प्रदायों के बीच कुछ नैतिक नियम समान हैं, वहाँ दार्शनिक एवं परम्परागत मान्यताओं में अन्तर भी है। ऐसी दशा में धर्म-धारणा या धर्म शिक्षा का ऐसा स्वरूप नहीं बन पाता, जो सार्वभौम या सर्वमान्य हो। विचारशीलता हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि नैतिकता एवं सामाजिकता की संयुक्त एवं विवेक संगत मान्यताओं को ही आज की परिस्थिति में धर्म कहा जाय तथा उसी पर जोर दिया जाय, इसी में मानवहित है। यही सच्चा धर्म है और समय की महती मांग भी। समाज का, देश का हित उसी में समाहित है।

धार्मिक भावना धर्म का एक सुव्यवस्थित सोपान है।/ नैतिकता का पाठ धर्म का तात्त्विक भाव विधान है॥/आज की आवश्यकता नैतिकता को अपनाना है।/प्रत्येक विद्यालय में नैतिकता का पाठ पढ़ाना है॥/चाहे सम्प्रदाय हो चाहे व्यक्तिगत मिशन का निर्माण हो। नारायण कौशिक इनमें मानवीय गुणों का बखान हो॥

नैतिक शिक्षा वस्तुतः हृदय के अन्तःस्तल से महसूस कर स्वीकार करने एवं तद्नुकूल आचरण करने वाली चीज है। भले ही नैतिक शिक्षा के नाम पर कोई पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि की हम बात कर लें, पर वास्तविक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु तो स्वयं अभिभावक एवं शिक्षक हैं। वे जैसा व्यवहार करेंगे, जिन कार्यों को करेंगे, निःसंदेह बालक वैसा ही आचरण करेंगे। ऐसे में नैतिकता एवं मूल्यों से युक्त संस्कारित भावी पीढ़ी के निर्माण करने की बात करने वालों को चाहिए कि वे भावी स्वप्न के अनुरूप अपने वर्तमान आचरण को ढालें। उन्हें देखकर बच्चे वैसे ही बनने का यत्न करेंगे। यही नैतिक शिक्षा का सार व आधार है।

– प्रधानाध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोकाला (नागौर)

पुस्तक परिचय

म्हां, झुक्यां हिमालो झुक जावै : *जानकीनारायण श्रीमाली; गणराज प्रकाशन, ब्रह्मपुरी चौक; संस्करण 2010; मूल्य 250 रुपये।*

इतिहास कई बार आलोक की जगह अंधकार का वाहक बन जाता है। सत्य को छिपाने की ये अंधेरी पट्टियाँ व्यक्ति को भ्रमित करती रहती हैं। इतिहासकार भय, प्रलोभन अथवा निजी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर झूठ का एक ऐसा प्रपंच रचते हैं जो दशकों और कभी-कभी सदियों तक लोगों को गुमराह किये रहता है। ऐसी धारणा बनाई गई है कि भारतीय इतिहास के शृंखलाबद्ध पराभव, पराजय एवम् पराधीनता का इतिहास है। विद्वान लेखक जानकीनारायण श्रीमाली ने ''म्हां झुक्यां हिमालो झुक जावै'' में इस मिथक को तोड़ा है। उनके अनुसार भारतीय इतिहास विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध सतत विजयों और प्रतिरोधों का इतिहास है, मातृभूमि की रक्षा के हित प्राणोत्सर्ग का इतिहास है तथा अजेय साहस, अद्भुत रणकौशल एवं पराजय के क्षणों में भी अविचलित जातीय गौरव एवं स्वाभिमान का दीप्त इतिहास है।

पुस्तक के तीन खण्ड हैं। पहले खण्ड में ऋगवैदिक भौगोलिक क्षितिज को दर्शाते हुए सरस्वती से सिन्धु तक सप्त सिन्धवः यानी सात नदियों के व्यापक परिक्षेत्र का वर्णन किया गया है। सिन्धु और सरस्वती वैदिक नदियाँ हैं जो प्रकारान्तर से भारतीय मनीषा की प्रतीक हैं। इसी खण्ड में आर्यों की 25 जनजातियों तथा विशेष रूप से अनु, द्रहयु, पुरु, यदु व तुर्वसु जैसे पंचजनों व उनकी उत्तरवर्ती पीढ़ियों में सूर्यवंशीय व चंद्रवंशीय महापुरुषों का उल्लेख है' जाहिर है कि बिना विषद् अनुभव के ऐसी प्रामाणिक सामग्री नहीं दी जा सकती। भारतीय सांस्कृतिक धारा से प्रभावित जनों ने ही एशिया, अफ्रीका, यूरोप व अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया। विद्वान लेखक ने केवल शब्दों से ही नहीं वरन् चीन, थाईलैण्ड, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, लाओस, कम्बोडिया, जापान, वियेतनाम एवम् ग्वातेमाला में प्राप्त हिन्दू एवम् बौद्ध धर्म की मूर्तियों के चित्रों के आधार पर अपनी स्थापनाओं को पुष्ट किया है।

पुस्तक का द्वितीय खण्ड पराभवों व विजयों की समानान्तर धाराओं का है। फारस के प्रतापी सम्राट साइरस ने अफगानिस्तान, बैक्टीरिया, गांधार तथा दक्षिण पंजाब पर विजय तो प्राप्त कर ली पर भारतीय योद्धा के तीर से हुई उसकी मृत्यु के बाद भारतीयों ने विदेशी सत्ता को ध्वस्त कर दिया। फारस साम्राज्य सिन्धु नदी को कभी पार नहीं कर सका। सिकंदर ने अपने विपुल सैन्य बल, अपनी नृशंसता व नरमेघ से कुछ समय तक तो विजय प्राप्त की पर पहले पोरस व बाद में कठगणों से भिड़ते-भिड़ते उसकी शक्ति भी क्षीण हो गई है और उसकी मृत्यु के तीन माह में ही सर्वत्र भारतीय विजय पताका फहराने लगी। उधर चाणक्य की रणनीति व चंद्रगुप्त के शौर्य ने रही-सही यूनानी सत्ता को भी उखाड़ फेंका। सेल्यूकस की हार ने यूनानी सत्ता का पटक्षेप कर दिया। पराभवों और विजयों का यह सिलसिला आगे भी चलता रहा।

शक हूण, कुषाण आदि आए, कुछ समय तक छाए भी रहे पर अंततः भारतीय जीवनधारा में एकात्म होते चले गए। यह भी हमारे सारस्वत संस्कृति की विजय का ही प्रतिमान है। सिन्ध क्षेत्र पर अरबों का नृशंस आक्रमण तब तक के सारे आक्रमणों से अधिक खतरनाक था। अब्दुल बिन कासिम की कमान में खलीफा का अतुल सैन्यबल भी चच के पुत्र दाहिर को नहीं डिगा सका। दाहिर का अतुलनीय शौर्य और उसके पुत्र जैसिया का ऐतिहासिक प्रतिरोध भारतीय इतिहास के उन उज्ज्वल दृष्टांतों में सम्मिलित हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। भारतीय जब भी हारे हैं, युद्ध के कारण नहीं, विश्वासघात के कारण हारे हैं। दाहिर के साथ भी यही हुआ। विश्वासघातियों की करतूतों ने इतिहास को कलंकित किया पर दाहिर की कन्याओं के आत्म बलिदान ने सिद्ध कर दिया कि हमारी नारी-शक्ति भी भारतीय सांस्कृतिक धारा की संवाहक रही है। उनके यह कहने पर कि हमारा शीलभंग तो पहले ही हो चुका है, खलीफा ने अब्दुल बिन कासिम को जिन्दा कच्ची खाल में सिलवा दिया और सत्य का उद्घाटन होने पर दोनों कन्याओं को भी भींतों में चिनवा दिया। बाद में शाही क्षत्रिय वंश के जयपाल, आनन्दपाल, त्रिलोचनपाल तथा भीमपाल ने भारतीय पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए वे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य हैं। 'भड़ किवाड़ भारी' का प्रसंग पाठकों के मन में यशस्वी चंद्रवंशियों की कीर्ति की अमिट छाप छोड़ता है।

पुस्तक के तीसरे एवं अंतिम खण्ड के बारे में तो मुझे केवल यही कहना है कि पाठकगण महीनों तक भारत के यशस्वी लेखकों की चर्चित पुस्तकों का अवगाहन करें तो भी उन्हें एक साथ सार रूप में इतनी सामग्री नहीं मिल सकती तो इस खण्ड के 68 पृष्ठों में संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से समाहित की गई है। श्री चक्रवर्ती नारायण श्रीमाली एक मौलिक चिन्तक हैं। सांख्य प्रणेता कपिल के बहुचर्चित सांख्य दर्शन का जो सूक्ष्म विवेचन उन्होंने किया है, वह सचमुच विस्मयजनक है। बुद्धि व विवेक का सम्यक विचारदर्शन, प्रकृति की अचेतनता के साथ उसकी गतिशीलता, सत् रज व तमोगुण की साम्यावस्था, पुरुष या आत्मा का विवेचन और पंचभूतों, तन्मात्राओं, कमेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों अंतःकरण के चार तत्वों एवं काल के निरूपण से यह अध्याय अत्यन्त पठनीय बन पड़ा है। पठनीय ही नहीं मननीय भी।

श्रीमती मीनाक्षी दवे ने भक्ति आंदोलन का जो गुलदस्ता हमारे सामने रखा है उसमें संत साहित्य, संत परम्परा व सन्तों के प्रभाव का त्रिकोणात्मक विवेचन है। शैव वैष्णव, बौद्ध व जैनधर्म की विशेषताओं की समीक्षा के साथ-साथ लेखिका ने संत परम्परा के गोरखनाथ जी, जांभोजी व जसनाथ जी के उपदेशों का सारगर्भित रूप से उल्लेख किया है। इनमें विश्नोई समाज के 29 नियम भी सम्मिलित हैं। लोक देवता बाबा, रामदेवजी, आराध्य देवी माँ करणी, अन्य लोक देवियाँ तथा सूफी मत आदि के विवेचन के साथ माँ करणी के ऐतिहासिक इतिवृत्त को देकर लेखिका ने एक सराहनीय काम किया है।

मरुभूमि बीकानेर के सांस्कृतिक वैभव को दर्शाने के साथ राव बीका से लेकर अब तक के इतिहास पर भी दृष्टिपात किया गया है। डॉ. राजेन्द्र सिंह कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत रातीघाटी के विजय अभियान को पढ़कर पाठकों को अपने

गौरवशाली इतिहास की इस अविस्मरणीय घटना के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। बीठू सूजा का छंद राव जैतसी 'रऊ' इस विजय अभियान का ही साहित्यिक आख्यान है।

सार रूप से कहा जा सकता है कि यह पुस्तक इसलिए उपयोगी है क्योंकि– (1) इसने इतिहास के धुँधलके को दूर करके भारत के विजय अभियान को दर्शाया है। (2)ऋगवेद कालीन भारत के भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप को दर्शाते हुए भरतों की राजधानी कालीबंगा की सारस्वत सभ्यता का दिग्दर्शन कराया है। (3) एक साथ अध्यात्मदर्शन व इतिहास, कला, साहित्य व संस्कृति, विज्ञान, स्थापत्य व नगर नियोजन, राजनीति, युद्ध कौशल व जनकल्याण, मीमांसा, तत्वदर्शन व तार्किकता आदि का समावेश किया है। अतः मैं लेखकों को साधुवाद देते हुए कामना करता हूँ कि पाठक इस पुस्तक का भरपूर लाभ उठाएँगे। इत्यलम्।

–भवानी शंकर व्यास 'विनोद'
1-स-9, पवनपुरी, बीकानेर

कौशिक सूर्यशत सहस्री : *श्री ब्रजनारायण कौशिक; सौर चेतना एवं ऊर्जा विज्ञान शोध संस्थान, हनुमानगढ़ जं. एवं जोधपुर (राज.); पृष्ठ सं. 268; मूल्य 251 रुपये।*

समीक्ष्य कृति के रचयिता प्रसिद्ध सौर चिन्तक परम सौर विद्यानिष्णात श्री ब्रजनारायण कौशिक हैं। यह सर्वविदित है कि ऋगवेद में सूर्य को समस्त स्थावर जंगम की आत्मा कहा है– 'सूर्यआत्मा जगतस्तस्थुषश्च।' अस्तु, यह सुखद प्रतीति है कि लेखक लम्बे समय से अपने अध्ययन में सूर्य की मानवीय विकास में अनिवार्य उपस्थिति एवं आवश्यकता दर्शाने के प्रति सजग रहा है। प्रस्तुत कृति में एकादश प्रकाश की रचना सूर्य साक्षात् से जुड़े जीवन के सभी पक्षों का व्यावहारिक धरातल पर जीवन्त स्वरूप है। विद्वान लेखक एकादश प्रकाश को सूर्य-कृपा के प्रति विनीत आराधना मानता है। जो कि अत्यन्त सटीक एवं सार्थक है।

यथार्थतः सौर कृपा सर्वकालिक, सर्वसुलभ एवं सार्वजनीन है। सम्पूर्ण प्रकृति की कार्यप्रणाली का आधार सूर्य है। निःसन्देह समस्त संसार सूर्य के प्रति कृतज्ञ एवं कर्जदार है। श्री कौशिक का यह स्वर उनका अपना ही नहीं अपितु सार्वजनीन है–

'क्योंकि सूर्य कृपा का कर्जदार हूँ।
आदिकाल में स्तवन सूर्य का
सूर्य कृपा से मैंने गाया
अब भी गाता हूँ- गाऊँगा
बार-बार जन्म लेकर गाता जाऊँगा।'

और यह सब इसलिए जरूरी है कि सूर्य आराधना के साथ यह भाव जुड़ा है–

'सुखी रहें सब जीव जगत के
शुचि मंगल सबका सूर्य करें।'

प्रस्तुति कृति का नाम 'कौशिक सूर्यशत सहस्री' है। जैसा नाम से प्रतिभासित होता है कि इसमें कौशिक जी ने ग्यारह सौ दोहों की रचना का विधान किया है जो सूर्य के विविध पक्षों से सम्बन्धित हैं। सम्पूर्ण पुस्तक ग्यारह प्रकाशों में विभक्त है। इनमें दसवाँ तथा ग्यारहवाँ प्रकाश 'उपासना स्वरूप' हैं जो भावना व आस्था प्रधान हैं। लेखक इन्हें मानसिक स्वास्थ्य एवं शान्ति प्राप्ति के क्रम में अनुभूत सिद्ध मानता है। शेष नौ प्रकाश 'सूर्य-स्तवन' से सम्बद्ध हैं।

समग्र ग्रंथ को विहंगम दृष्टि से देखने पर ही प्रतीति होने लगती है कि सूर्य विश्व व्यवस्था के प्रत्यक्ष नियन्ता, धारक एवं पोषक हैं। अपने दिव्य गुणों से अणु-अणु को प्राणवन्त करते हैं। अपने आदित्य नाम को सार्थक करते हुए सभी दिशाओं को धारण करते हैं। वस्तुतः आदित्य से वायु, भूमि एवं जल उत्पन्न हैं, निःसंदेह सूर्य साक्षात प्रभु स्वरूप हैं। वे स्वयं सद्गुरु हैं। सूर्य प्रकृति हैं, संस्कृति भी। ज्ञान है एवं विज्ञान भी। सूर्य स्वास्थ्य है व सत्संग भी। अतः ग्रंथ में सूर्य की महिमा का अमित गुणगान, प्रभाव, काल संयमन, आरोग्य प्रदात्री शक्ति, अविकारी रौली एवं चर-अचर की सुखद विकास यात्रा की स्पष्ट परिणिति दोहा शैली में अत्यन्त मनोहारी एवं तात्विक विवेचन उपलब्ध है। कहना न होगा कि लेखक का इस क्रम में स्तुत्य प्रयास दृष्टिगत होता है जिसे बिन्दुवत निम्न प्रकारेण समझा जा सकता है– (अ) सूर्य सम्बन्धी ज्ञान - विज्ञान का तात्विक विवेचन। (आ) आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संचेतना। (इ) गवेषणात्मक अभिव्यक्ति। (ई) सर्वेश एवं साक्षात प्रभु का दार्शनिक विश्लेषण। (उ) प्रत्यक्ष देव का सर्वकल्याणकारी स्वरूप। (ऊ) स्वविवेक की जागृति, सत्संग की प्रवृत्ति। (ए) दैनंदिनि व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन लाने हेतु रेचन-दृष्टि। (ऐ) औषधि विज्ञान, रंग-प्रभावादि का सूक्ष्म विवेचन।

दोहा जैसा छोटा तथा कसा हुआ छंद में सूर्य की विस्तृत एवं वैविध्यपूर्ण महिमा को सरलता, सरसता एवं सहजता के साथ समेट कर अभिव्यक्त कर देना लेखक की विद्वता, अनुभवगम्यता एवं सिद्धहस्तता का स्पष्ट परिचय है। यहाँ न तो किसी धर्म विशेष के प्रति आग्रह है और न किसी के विश्वास पर चोट है, यथा– *'जिसका जैसा धर्म है, उसी शरण में जाय।/ स्मरण सूर्य के समक्ष हो सद्जीवन हो जाय॥'*

विद्वान वैज्ञानिक, आस्थावान भले ही किसी धर्म से दीक्षित हो, पूर्णत्व की प्राप्ति सूर्य साक्षात से ही संभव है। संकल्पशील जीवन जीने के लिए सूर्य साक्षात परम बल है। निष्कर्षतः यह कहना समीचीन होगा कि जिस तन्मयता तथा बहुज्ञता के साथ इस कृति की रचनोपरान्त प्रस्तुति हो पाई है वह परम श्लाघनीय है। इस कृति का एक-एक अक्षर पठनीय एवं परम विचारणीय है जिसमें सर्वकल्याणार्थ श्रेष्ठ जीवन तत्वों और मानवीय मूल्यों की व्याप्ति है।

साज-सज्जा, चित्रवीथि, कागज की गुणात्मकता आदि की दृष्टि से लेखक-प्रकाशक की प्रबन्धपटुता प्रशंसनीय है। स्मरण रहे ग्रंथ में विषय-सामग्री की प्रामाणिकता के लिए वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त सूत्रों को प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत कराना ग्रंथ रचना की श्रेष्ठता एवं उपादेयता का परिचायक है। अस्तु, पुस्तक सर्वप्रकारेण पठनीय है।

–डा. दाऊदयाल गुप्ता
दही वाली गली, भरतपुर

कृपया ध्यान दें !

शिविरा पंचांग 2011-12 में 24 मार्च 2012 चेटीचण्ड अवकाश तथा 14 अप्रैल 2012 अम्बेडकर जयन्ती अवकाश मुद्रित हैं। इन अवकाशों की कलैण्डर तिथि को अंकों में भी लाल स्याही से प्रदर्शित मानी जाए। शिविरा पंचांग माह मार्च 2012 में मुद्रित 23 मार्च को लाल के स्थान काला मानें। कृपया शिविरा पंचांग में तदनुसार सुधार कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

रपट

राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2011

माई जण अेड़ा जणै, कै दाता के सूर

सन्तों एवं सूरमाओं की धरती राजस्थान सहयोगियों एवं दानदाताओं की धरती भी है। मरुभूमि राजस्थान के जाये जन्मों में संवेदनशीलता, त्याग, अनुराग एवं परोपकार के उदात्त मानवीय गुण कूट-कूट कर भरे हुए हैं। अपना सिर कटाकर दूसरे के प्राणों की रक्षा करना, स्वयं भूखे रहना स्वीकार कर दूसरे को भोजन देने तथा अपने पास रहे भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों को जरूरतमंद के हित में न्यौछावर कर देने की उज्ज्वल परम्परा राजस्थान की अपनी विशिष्ट पहचान है।

इन्हीं अद्भुत व रोमान्चकारी विमल परम्पराओं का निर्वाह करने वाले मायड़भौम के सपूतों की जब चर्चा होती है तो उनमें महाराणा प्रताप एवं भामाशाह के नाम अत्यन्त श्रद्धा व सम्मान के साथ सामने आते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप की राष्ट्रभक्ति एवं दानवीर भामाशाह की अपने महाराणा के प्रति स्वामिभक्ति के आख्यान कदाचित दुनिया के इतिहास में शायद की कहीं और पढ़ने-सुनने को मिले। अपने महाराणा की बिखरी शक्ति को फिर से स्थापित करने के पावन कार्य में वित्त की बाधा को देखकर एक क्षण भी खोये बिना अपने जीवनभर की कमाई, यहाँ तक कि पुरखों से मिली दौलत को हँसते हुए लाकर महाराणा के चरणों में भेंट करने का करिश्मा करने वाले भामाशाह का नाम इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। दानवीरों की इस परम्परा का नाम ही भामाशाह परम्परा हो गया है तथा उदारदिल दानवीरों को भामाशाह कह सम्बोधित किया जाता है। इस प्रकार भामाशाह एक प्रतीक बन गए हैं।

राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा अपने विद्यालयों एवं शिक्षा के उन्नयन हेतु सहयोग प्रदान करने वाले दानवीरों का प्रतिवर्ष 28 जून, भामाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह आयोजित कर उसमें सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार पाँच लाख अथवा इससे अधिक राशि का सहयोग करने वाले दानवीरों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 28 जून 2011, भामाशाह जयन्ती के दिन राजधानी जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में 53 दानवीरों को भामाशाह सम्मान से विभूषित किया गया। इनके साथ ही धन कुबेरों को दान हेतु प्रोत्साहित करने वाले 14 प्रेरकों का भी सम्मान किया गया।

राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल एवं विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा राज्यमंत्री श्री मांगीलाल गरासिया थे। समारोह की अध्यक्षता माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री श्री वृजकिशोर शर्मा ने की।

मायड़ भौम के सपूत दानवीरों का वंदन-अभिनंदन करने के लिए जैसे राजस्थानी जयपुर का चप्पा-चप्पा हर्षित व उद्वेलित था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड से लेकर भामाशाहों के ठहराव स्थल किसान भवन और आयोजन स्थल बिड़ला ऑडिटोरियम तक सर्वत्र "आओ नी पधारो म्हारे देश" का मंत्र गूँजता दिखाई दे रहा था। समारोह दिवस 28 जून के दिन प्रातः से ही समारोह की तैयारियों से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी हर्षातिरेक हो काम में जुटे थे। बिड़ला ऑडिटोरियम के मुख्य द्वार से लेकर सर्वत्र उत्साह से सराबोर कार्यकर्ता नज़र आ रहे थे। तोरणद्वार पर बालिकाएं मंगल कलश लिए पुष्पदल तथा कुमकुम तथा अक्षत से अतिथियों का स्वागत कर रही थीं।

प्रातः ठीक 11.00 बजे इस भव्य समारोह का शुभारम्भ हुआ। माननीय अतिथि महानुभावों के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन तथा माँ सरस्वती व वीर भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण व सरस्वती वंदना के साथ ही माल्यार्पण कर अतिथिगण का स्वागत हुआ। बिड़ला ऑडिटोरियम में उत्साहित दर्शकों की करतल ध्वनि संगीत स्वरलहरियों की भाँति तैर रही थी। आज सम्मानित हो रहे 53 भामाशाहों एवं 14 प्रेरकों के विमल कृत्य को शब्दांकित करने के लिए लिखी गई प्रशस्ति-पुस्तिका का लोकार्पण अतिथि महानुभावों ने किया। इस पुस्तक में एक-एक कर सभी चयनित भामाशाहों एवं प्रेरकों के योगदान को रेखांकित किया गया है।

सम्मान समारोह में भामाशाहों एवं अतिथिगण का शब्दों से भावभीना स्वागत करते हुए प्रमुख शासन सचिव श्री अशोक सम्पतराम ने कहा कि राजस्थान में त्याग, तपस्या, परोपकार और स्वयं कष्ट झेलकर दूसरों को सुख पहुँचाने की पावन परम्परा रही है। आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व का दिन है। सन् 1995 से प्रारम्भ राज्य स्तर पर दानदाता भामाशाहों को सम्मानित करने की परम्परा अक्षुण्ण जारी है।

भामाशाहों द्वारा किए जा रहे सहयोग की राशि में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रमुख शासन सचिव महोदय ने आशा व्यक्त की कि जनसहयोग की गंगा और अधिक वेगवान होकर प्रवाहित होती रहेगी। शासन की सीमाएं होती हैं लेकिन दानदाताओं का सहयोग मिलने से वाँछित काम पूरे हो जाते हैं। आपने कहा कि इस समारोह के आयोजन का उद्देश्य

दान और त्याग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है।

प्रमुख शासन सचिव श्री अशोक सम्पतराम के स्वागत व बीज भाषण के पश्चात शुरू हुआ सम्मान का अद्भुत सिलसिला जो अपने आपमें एक इतिहास रच गया। कैमरों की चकाचौंध, वीडियोग्राफरों की होड़, आयोजकों की चुस्ती-फुर्ती एवं दर्शकों की करतल ध्वनि - लग रहा था, जैसे मायड़ भौम के सपूतों को सम्मानित करने के लिए हर कोई उतावला हो रहा हो। एक-एक कर भामाशाह का मंच पर आना और उनकी कदमताल के साथ दर्शकों की करतल ध्वनि की जुगलबंदी बेजोड़ एवं आनन्ददायक थी। भामाशाहों का माल्यार्पण प्रमुख शासन सचिव श्री अशोक सम्पतराम कर रहे थे, वहीं शॉल ओढ़ाने का कार्य समारोह अध्यक्ष माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री श्री वृजकिशोर शर्मा कर रहे थे। प्रशस्ति-पत्र मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल प्रदान कर रहे थे और स्मृति चिह्न विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा राज्यमंत्री श्री मांगीलाल गरासिया भेंट कर रहे थे। आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा श्री भास्कर ए. सावन्त तथा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा डॉ. वीना प्रधान भी मंचासीन थे। इस प्रकार एक-एक करके 53 भामाशाहों तथा 14 प्रेरकों की सम्मान प्रक्रिया दर्शकों की जोरदार करतल ध्वनि के बीच सम्पन्न हुई। ऑडिटोरियम में चारों ओर सम्मान ही सम्मान अहसासित हो रहा था, सम्मानित होने वाले सम्मान प्राप्त कर, तो सम्मानित करने वाले सम्मान करके।

समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री मांगीलाल गरासिया, शिक्षा राज्यमंत्री ने हृदय की गहराई से भामाशाहों को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा कि उनका योगदान नींव के पत्थर के समान महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत को आगे लाने का कार्य कर भामाशाह सेतु बनकर सामने आ रहे हैं। शिक्षा के सार्वजनीनकरण के अभियान को सफल बनाने में भामाशाह प्रेरणा के स्रोत बनकर भूमिका अदा कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि श्री गरासिया ने भामाशाहों के कारोबार व श्रीवृद्धि की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करते हुए आशा प्रकट की कि उनके सहयोग से शिक्षा विभाग अपने मंगल उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगा।

गरिमामय सम्मान समारोह को अपना आत्मीय उद्बोधन देने अब पधारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षामंत्री मास्टर भँवरलाल मेघवाल। ऑडिटो-रियम दर्शकों की करतल ध्वनि से गूँज उठा। महाराणा प्रताप के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इतिहास पुरुष भामाशाह को स्मरण करते हुए मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि राजस्थान वीरता, त्याग एवं देशभक्ति में नम्बर एक है। राजस्थानी पूरी दुनिया में मिल जाएंगे - भले ही व्यापारी के रूप में मिलें या डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक अथवा कामगार के रूप में। इसलिए राजस्थान की माटी को पूरा संसार नमन करता है।

शिक्षामंत्री महोदय ने राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सन् 1995 से सतत प्रवाहित भामाशाह सम्मान परम्परा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह समारोह तो एक प्रतीक है; वास्तव में हम हमारे भामाशाहों के प्रति जितने सम्मान भाव रखते हैं, उन्हें किसी समारोह अथवा शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। आपने कहा कि सरकार शिक्षा के प्रसार हेतु स्कूल खोल सकती है; विषय/संकाय स्वीकृत कर सकती है लेकिन आवश्यक संसाधन भामाशाहों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। इसी संदर्भ में गत वर्ष 500 स्कूलों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय/विषय खोले जाने का जिक्र करते हुए श्री मेघवाल ने उपस्थित दानदाताओं से अनुरोध किया कि वे इन स्कूलों में अपने सहयोग की गंगा बहाएं।

मुख्य अतिथि जी ने कहा कि वर्तमान जमाना हाईटेक, इंटरनेट एवं ब्रॉडबेण्ड का जमाना है। इसके साथ कदमताल किए बिना हमारा वजूद बना रह नहीं सकता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर सरकारी स्कूलों द्वारा पच्चीस प्रतिशत बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। अतः अब शिक्षा का गुणवत्तायुक्त विकास होगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हरित राजस्थान कार्यक्रम की चर्चा करते हुए माननीय शिक्षामंत्री ने कहा कि स्कूलों की चारदीवारी निर्माण कार्य में भामाशाह आगे आए ताकि वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल हो सके।

शिक्षामंत्री महोदय ने भावुकता के साथ कहा कि दान देने से आत्मा में सन्तुष्टि मिलती है। हम जितना देंगे, भगवान 100 गुना हमें देगा। हमारे यहाँ देने की परम्परा रही है, हम अर्जन से बड़ा विसर्जन को मानते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि माँ ऐसे पुत्रों को जन्म दें जो या दानवीर हो या सूरवीर।

माई जण अेड़ा जणै, कै दाता के सूर।
नीतर रहीजै बांजड़ी मति गमाज्ये नूर॥

समारोह की अध्यक्षता करते हुए माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री श्री वृजकिशोर शर्मा ने कहा कि भारतीय दर्शन में इंगित त्याग, तप और राष्ट्रभक्ति राजस्थान की अनमोल विरासत है और इसी अनमोल विरासत का नाम भामाशाह परम्परा है। आपने महाराणा प्रताप के भामाशाह एवं आज सम्मानित हो रहे दानवीरों को नमन करते हुए उन्हें अपने सहयोग की धारा को सतत बनाए रखने का आह्वान किया। संस्कृत भाषा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि संस्कृत जिन्दा रहेगी तो संस्कृति जिन्दा रहेगी तथा संस्कृति के बचने पर ही देश और समाज बच सकता है।

समारोह के अन्त में धन्यवाद प्रकट किया प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीना प्रधान ने। निदेशक महोदया ने माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, समारोह अध्यक्ष, अधिकारी महानुभावों, भामाशाहों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं मीडिया के प्रति आभार प्रकट करते हुए आशा प्रकट की कि भविष्य में भी विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनका सद्सहयोग मिलता रहेगा। समारोह का संचालन श्री राजेन्द्र शर्मा हंस एवं डॉ. ज्योति शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रगान की समवेत प्रस्तुति के साथ ही इस मनमोहक समारोह का समापन हुआ।

–लक्ष्मीनारायण शर्मा
अनुभाग अधिकारी (शिविरा)

राज्य स्तर पर सम्मानित भामाशाह व प्रेरक नामावली, 2011

क्र.सं.	भामाशाह का नाम	दानराशि (लाखों में)
01.	**श्री शाह सुमेरमल हजारीमलजी** लुंकड़ चैरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई ट्रस्टी संघवी किशोरमल जी लुंकड़ भवन, माध कालोनी, भीनमाल (जालौर) **प्रेरक-** श्रीमती मंजू शर्मा, प्र.अ. पत्नी श्री श्याम सुंदर 36, आदर्श नगर कालोनी, भीनमाल, जालौर	139.00
02.	**श्री विजय सिंह राव** पुत्र श्री चतर सिंह ग्रा.पो. आईडाणा, वाया केलवा (राजसमंद)	80.88
03.	**श्री गौतम आर. मोरारका** पुत्र स्व.श्री राधेश्याम द्वारकेश शुगर इण्ड. लि. द्वारकेश नगर, बिजनौर (उ.प्र.)	53.00
04.	**श्रीमती सावित्री चौधरी** पत्नी स्व. चौधरी खूमसिंह 29, सिंधी कालोनी, आदर्श नगर, जयपुर **प्रेरक-** श्री चन्द्रदत्त शर्मा, एडवोकेट पुत्र श्री उपेन्द्र दत्त, बी 4, शिवालय मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर	42.24
05.	**श्री मांगीलाल पाटनी** पुत्र श्री हीरालाल मु.पो. टीटाबर, जिला- जोरहाट (आसाम)	32.48
06.	**श्रीमती सरस्वती देवी दीवान** चैरिटेबल ट्रस्ट, कोलकाता ट्रस्टी श्री मुरारी लाल दीवान पुत्र हजारीमल रिगार्ड साड़ी प्राइवेट लि., नं. 111, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता **प्रेरक-** श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जगन प्रसाद, वार्ड नं. 16, मो. बुचाहेड़ा, कोटपूतली, जयपुर	32.00
07.	**एम.एन.पी. जालान सेवा ट्रस्ट** ट्रस्टी श्री नन्दकिशोर जालान पुत्र स्व. श्री मोहनलाल 113-ए, मनोहरदास कटरा, कोलकाता **प्रेरक-** श्री चम्पालाल उपाध्याय, एडवोकेट, रतनगढ़ (चूरू)	30.85
08.	**श्री प्रभुदयाल मालपानी** पुत्र स्व. श्री कुन्दनमल, एच-63, बी झखोरेश्वर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	26.13
09.	**सेठ मोहनलाल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई** ट्रस्टी श्री सुरेश गुप्ता बी-401, रायल अकार्ड, योगी नगर, एक्सर रोड, बोरीवली (वेस्ट) मुम्बई	25.80
10.	**हाजी कासम कश्मीरी** पुत्र श्री हाजी ईसा, बांगी मौहल्ला, कुम्हारी रोड बासनी, बहलीमा (नागौर) **प्रेरक-** श्री हरिराम भाटी, प्राचार्य, 73, आशीर्वाद सदन, हाउसिंग बोर्ड के सामने, ताउसर रोड, नागौर	25.67
11.	**श्री तख्तमल कोठारी** पुत्र श्री पृथ्वीराज मु.पो. रिछेड़ (राजसमंद) **प्रेरक-** श्री जसराज सरगरा, व.अ., मु.पो. रीछेड़, तह. कुम्भलगढ़ (राजसमंद)	22.70
12.	**श्री दाताराम गर्ग** पुत्र श्री वभूतीराम गर्ग आटो मोबाइल्स, जी.टी. रोड, धौलपुर **प्रेरक-** श्रीमती नीलम गर्ग पत्नी स्व. श्री रामसेवक, गुलाब बाग चौराहा, जी.टी. रोड, धौलपुर	21.00
13.	**हंगाम बाई धर्मशाला ट्रस्ट माण्डल** (भीलवाड़ा) अध्यक्ष श्री दामोदर गट्टानी, प्रताप नगर, माण्डल (भीलवाड़ा) **प्रेरक-** श्री बालकृष्ण आचार्य पुत्र श्री प्रेम सुख, नई नगरी माण्डल, भीलवाड़ा	20.00
14.	**श्री शिवनारायण सिंह** पुत्र श्री भगवंत सिंह रजौराखुर्द (धौलपुर) **प्रेरक-** श्री दयाकान्त सक्सैना, प्रधानाचार्य, राउमावि, मनिया, धौलपुर	19.00
15.	**सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी, झुंझुनूं,** कुलाधिपति- श्री दुलीचंद सिंघानिया, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, तह. बुहाना (झुंझुनूं) **प्रेरक-** श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री रामकिशोर ग्रा.पो. पचेरी बड़ी (झुंझुनूं)	16.71
16.	**श्री हरि सिंह चाहर** पुत्र श्री गुगनाराम गांव किरतान, तह. राजगढ़ (चूरू) **प्रेरक-** श्री रामचन्द्र सिंह, व.अ., पुत्र श्री नारायण सिंह, रामावि मून्दीताल, राजगढ़ (चूरू)	16.16
17.	**श्री राजेन्द्र प्रसाद खेतान** पुत्र श्री बाबूलाल, द्वारा– नमन फैशन, जय श्रीराम मार्केट, रिंग रोड, सूरत	16.05
18.	**श्री उत्तमचंद जैन** पुत्र श्री केशरीमल पुत्र श्री केशरीमल, द्वारा– ओटसिंह देवड़ा पुत्र श्री गजेसिंह जी देवड़ा मु.पो. पालडी एम (सिरोही)	15.53
19.	**श्री केशरलाल शर्मा** पुत्र श्री भैंरूराम सुखदेव की ढाणी, ग्रा.पो. फालियावास, तह. बस्सी, वाया कानोता, जयपुर **प्रेरक–** श्री गोविन्द सिंह राठौड़, प्रधानाध्यापक, राउप्रावि सुखदेव की ढाणी, ग्रा.पो. फालियावास वाया कानोता, जयपुर	15.50
20.	**श्री श्री 108 श्री सर्वेश्वरीनंद जी,** भारती योग निकेतन आश्रम हिमाचल प्रदेश द्वारा– वैद्य मदनलाल शर्मा पुत्र श्री श्री नारायण, ग्राम देई, तह. नैनवा (बूंदी)	10.78

क्र.सं.	भामाशाह का नाम	दानराशि (लाखों में)
21.	**श्री संघवी अंबालाल जैन,** पुत्र श्री हीराचंद संघवी अम्बालाल रेडियम इंक, 123 बी, अजीरवाड़ी, अजय इण्डत्र इस्टेट मझगांव, मुम्बई	10.29
22.	**श्री बिहारीलाल ट्रस्ट,** ट्रस्टी डॉ. आर.के. यादव पुत्र श्री रामपत, ए 353, डेरावाला नगर, दिल्ली	10.20
23.	**श्री श्याम सुन्दर संगई** पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल, 243, उद्योग भवन, सोनावाला मार्ग, गोरेगांव (ई) मुम्बई	09.21
24.	**श्री दयालचंद जैन** पुत्र श्री वरधीचंद, सी-3, 7 फ्लोर मातृ आशीष, 39, नेपीयन सी रोड, मुम्बई	09.11
25.	**सेठ पूरनमल शंकरलाल संगाई,** मैमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली, ट्रस्टी श्री पवन कुमार संगाई, 2459/10, 3 फ्लोर, बदोनपुरा करोल बाग, नई दिल्ली	08.83
26.	**श्री मूलचंद जैन** पुत्र श्री चन्दूलाल द्वारा स्वरूप सिंह राणावत प्रधानाचार्य– श्री सं. राउमावि, बेड़ा (पाली)	08.00
27.	**श्री कुलदीप शर्मा** पुत्र स्व. श्री रामजीलाल, बी-2, सत्यनगर, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	08.00
28.	**श्रीमती शांता देवी नाहर** पत्नी श्री जुगराज, 4/2, वर्धराज पेरूमाल, कोईल स्ट्रीट, टोडियारपेट-चेन्नई	08.00
29.	**श्री इन्द्रमल बड़ाला** पुत्र श्री नाथूलाल, मुम्बई वी गोल्ड इण्डिया प्रा.लि., आर.ए. रोड, त्रिपति भवन नं. 2 गोरेगाँव, मुम्बई (वेस्ट)	07.75
30.	**श्रीमती इन्द्रा सक्सैना** पत्नी डॉ. अशोक कुमार, लाल बहादुर शास्त्री कालोनी सूवे की गोठ, लश्कर, ग्वालियर	07.73
31.	**श्रीमती नाथी देवी** पत्नी स्व. श्री भूरा यादव, टाटलों की ढाणी, वार्ड नं. 08 लोहरवाड़ा, वाया उदयपुरिया, जयपुर **प्रेरक-** श्री बंशीधर यादव, प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. वार्ड नं. 8, लोहरवाड़ा, जयपुर	07.59
32.	**श्री सीताराम यादव** पुत्र स्व. श्री नारायण लाल, वार्ड नं. 8, लोहरवाड़ा वाया उदयपुरिया, जयपुर	07.59
33.	**श्री शांतिलाल चौरड़िया** पुत्र श्री हनुमान मल, 8 बी, सिंधी कालोनी, शास्त्री नगर, जोधपुर	07.00
34.	**श्री जुगराज नाहर** पुत्र श्री भैंरूलाल, द्वारा कावेरी इंटरप्राइजेज, 4/4, वैलयर्स रोड, माउण्ट रोड, चेन्नई	07.00
35.	**चिरंजीलाल चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली,** ट्रस्टी श्री विनोद कुमार चौधरी, चिरंजीलाल एजेन्सीज, गणेश बाजार, क्लॉथ मार्केट, दिल्ली	06.43
36.	**श्री महेश कुमार अग्रवाल** पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल, मु.पो. पचेरी बड़ी, तह. बुहाना, झुंझुनूं	06.26
37.	**श्री सांवलाराम पटेल** पुत्र श्री रूधाराम, वी.पी. सिधासथा हरनियान तह. गुड़ामालानी (बाड़मेर)	36.86
38.	**श्री सुन्दर सिंह गोदारा** पुत्र श्री बद्रीप्रसाद, वार्ड नं. 21, अनूपगढ़ तह. अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	06.07
39.	**श्री मांगेराम जाट** पुत्र श्री देवीसहाय, ग्रा.पो. बधाना, तह. कोटकासिम (अलवर)	06.00
40.	**श्री सांवरमल शर्मा** पुत्र श्री मालाराम, ग्रा.पो. रामसरा (चूरू)	06.00
41.	**श्री सन्नी कडवासरा** पुत्र श्री रामनिवास, वीपीओ गिलवाला, तह. टिब्बी, वाया-संगरिया (हनुमानगढ़)	05.55
42.	**श्री दातार सिंह** पुत्र स्व. श्री कानसिंह, छोटा पाना, महरोली (सीकर)	05.51
43.	**श्री मोतीलाल कोठारी** पुत्र श्री जयकिशन कोठारी, ग्रा.पो. सेमा वाया-खमनौर (राजसमंद)	05.50
44.	**श्री रामकुमार सैनी** पुत्र श्री किशनलाल, ग्राम बड़ावास, पो. बूटोली तह. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	05.50
45.	**श्री दिनेश कुमार साकरिया** पुत्र श्री लालचंद, 16, केशवा अय्यर स्ट्रीट, चेन्नई	05.32
46.	**श्री शिवचन्द्र बतरा** पुत्र श्री अमीरचन्द द्वारा श्री आशाराम शर्मा 2, भरतनगर, श्रीगंगानगर	05.31
47.	**महेन्द्र प्रताप गुप्ता** पुत्र स्व. श्री छोटेलाल, सी 73, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर	05.31
48.	**श्री विष्णु कुमार गुरनानी** पुत्र स्व. श्री रेवाचंद, 250, आदर्श नगर, जयपुर	05.30
49.	**श्री लाल जोधराज महाजन** पुत्र श्री जी सुखराम, ग्रा.पो. पचेरी बड़ी (झुंझुनूं)	05.25
50.	**श्री भंवरलाल गुर्जर** पुत्र श्री फताराम गुर्जर, गुर्जरों का बास, मु.पो. बैनाड़ (जोधपुर)	05.21
51.	**श्री नारायण दास गुरनानी,** पुत्र स्व. श्री रेवाचन्द, सी 57, साकेत कालोनी, जयपुर	05.17
52.	**श्री नेमीचंद तोसनीवाल** पुत्र स्व. श्री लाधुराम, नेमीचन्द प्रदीप कुमार, 13, भूरमल लोहिया, लेन, 2 तल्ली, कोलकाता	05.12
53.	**नरेन्द्र कुमार सांकरिया** पुत्र श्री मेघराज, 16, केश्वा अय्यर स्ट्रीट, चेन्नई	05.02

प्रतिध्वनि

कर्मवीर के साथ दानवीर भी बनें

28 जून, भामाशाह जयन्ती थी और गत 16 वर्षों की तरह इस वर्ष भी भामाशाह जयन्ती के अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने वाले 53 भामाशाहों और उन्हें प्रेरित करने वाले 14 प्रेरकों को राज्यस्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। शिक्षण संस्थाओं में उदारदिल सज्जनों द्वारा सहयोग करने की स्वस्थ परम्परा निश्चय ही स्कूलों की स्थापना की अवधारणा के साथ ही शुरू हुई होगी। गुरुकुल व्यवस्था के युग में राजा महाराजा आश्रमों को सहयोग करते थे जो सामन्ती व्यवस्था से होते-होते आज तक निरन्तर शासकों एवं सामर्थ्यवान प्रजाजन द्वारा निभाई जाती रही है।

अर्जन से विसर्जन को बड़ा मानकर अनाम भाव से दान देने की जिस परम्परा का उल्लेख भारतीय मनीषा में हुआ है, वह वरेण्य परम्परा इस देश की शान और पहचान है। दानवीर कर्ण, महाराजा शिवि, मोरध्वज, रंतिदेव के पौराणिक उपाख्यान इस उज्ज्वल परम्परा का स्मरण कराते हैं। आज के नितांत अर्थ प्रधान युग में भी जब ऐसे रोमांचकारी वृत्तांत देखने-सुनने को मिलते हैं, तो आशा बलवती होती है। लगता है कि हमारी जड़ें अभी यथावत हैं, वृक्ष पल्लवित हो सकता है, जरूरत बस जड़ों को खाद और पानी देने की है।

राजस्थान पत्रिका के "हम तुम" परिशिष्ट (3 जुलाई 2011) में पश्चिम बंगाल के आचार्य शारदानन्द दास की कहानी छपी है। सत्तर वर्षीय अविवाहित आचार्य शारदानन्द सन् 1965 में शिक्षण से जुड़े और जिन्दगी भर मुफलिसी में जीवन जीकर धन एकत्रित किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात् आचार्यप्रवर ने अपनी जमीन-जायदाद बेच डाली तथा जीवन भर की कमाई उसमें जोड़कर 81 लाख रुपये से एक ट्रस्ट बनाया जो सैकड़ों निर्धन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहा है; लेकिन इतना सब करके ये गुरुजी स्वयं बिना किसी को कुछ बताए अज्ञातवास को चले गए। कहीं कोई उन्हें श्रेय न दे, ... देनहार कोई और है सिद्धान्त में विश्वास रखकर।

राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोहों के प्रारम्भिक वर्षों में एक निरक्षर महिला भामाशाह ऐसी थीं जिसने अपनी तमाम भूमि एक स्कूल को दान में दे दी और स्वयं ने ग्रामवासियों के सहारे शेष जीवन निर्वाह करने का निश्चय कर लिया। यह उल्लेखनीय है कि उस महिला के कोई सन्तान नहीं थी और उसके पास रही भूमि से लालायित होकर अनेक युवा उसके गोद जाने को तैयार थे। बातचीत में इस माँ ने बताया कि यह जीवन तो जैसे-तैसे गुजर जाएगा, कुछ कठिनाई से ही सही, मगर गाँव के बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरा यह सहयोग चिरस्थाई रहेगा। उस अशिक्षित (?) माँ का यह संदेश शिक्षितों (!) को समझना चाहिए।

आज विश्वपटल पर वारेन बफेट एवं बिल गेट्स जैसे सैकड़ों धन कुबेर अरबों रुपयों का दान जनहित में कर रहे हैं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक दृष्टांत के साथ दान का महत्त्व बताया करते थे। वे कहते थे कि एक धनपति ने पाँच लाख रुपये में से एक लाख रुपये का दान किया और एक निर्धन ने पाँच रुपये में से एक रुपये का। दोनों का दान अनुपात समान है लेकिन पाँच रुपये की कुल पूँजी में से एक रुपया दान दे देने पर दानदाता को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी जबकि एक लाख देने वाले को नहीं। फलतः एक रुपये का दान ज्यादा फलदायी है। यह दान का भाव पक्ष है। दान में विशेष महत्त्व भाव का है, मात्रा का नहीं।

राजस्थान के शिक्षकों ने स्वयं के वेतन में से दान देकर स्कूलों में अद्भुत निर्माण कार्य करवाए हैं। ऐसे उदारमना सम्माननीय शिक्षकों के साथ काम करने का अवसर हनुमानगढ़ और नोखा (बीकानेर) में मुझे भी मिला। राजस्थान के सभी जिलों और सभी स्थानों पर ऐसे शिक्षक भामाशाह मिलेंगे। शिक्षक भामाशाह निःसन्देह विभाग के गौरव हैं। इन्हें शिविरा का नमन।

आइये हम कर्मवीर के साथ दानवीर भी बनें और दान की उज्ज्वल परम्परा को समृद्ध बनाएं।

– ओमप्रकाश सारस्वत, व.सं.
opsaraswat58@gmail.com

अर्जन से विसर्जन को बड़ा मानकर अनाम भाव से दान देने की जिस परम्परा का उल्लेख भारतीय मनीषा में हुआ है, वह वरेण्य परम्परा इस देश की शान और पहचान है। दानवीर कर्ण, महाराजा शिवि, मोरध्वज, रंतिदेव के पौराणिक उपाख्यान इस उज्ज्वल परम्परा का स्मरण कराते हैं। आज के नितांत अर्थ प्रधान युग में भी जब ऐसे रोमांचकारी वृत्तांत देखने-सुनने को मिलते हैं, तो आशा बलवती होती है।

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक भास्कर ए. सावन्त द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। -प्रधान सम्पादक : भास्कर ए. सावन्त

राज्यस्तरीय इन्सपायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी-2011

(दिनांक : 18-19 जुलाई 2011 स्थान : राजकीय महारानी बालिका उ.मा. विद्यालय, बीकानेर)

(बाएं) एक बालिका द्वारा निर्मित एवं प्रदर्शित मॉडल का अवलोकन कर बालिका से बतियाते मुख्य अतिथि श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक, राजस्थान सरकार एवं श्री प्रेमसुख विश्नोई, अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा (दाएं) एक बालक द्वारा निर्मित मॉडल का अवलोकन कर उसकी पीठ थपथपाते जिला कलक्टर, बीकानेर डॉ. पृथ्वीराज।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक डॉ. वीना प्रधान एवं अतिथिगण के साथ विजेता छात्र-छात्राएं।

आयुक्तालय परिसर में शिक्षा आयुक्त श्री भास्कर ए. सावन्त द्वारा शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ, राज. बीकानेर के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन।

नामांकन अभियान के दौरान जिला प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी बलाई द्वारा रा.बा.मा.बि., कालीबेरी (जोधपुर) में बालिका का तिलक लगाकर स्वागत।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक)/अगस्त, 2011
प्रकाशन तिथि 2 अगस्त, 2011 पृष्ठ 52

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66

प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

हमारी धरोहर

हिन्द देश का प्यारा झण्डा

हिन्द देश का प्यारा झण्डा ऊँचा सदा रहेगा।
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा ऊँचा सदा रहेगा।
केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई,
हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई।
और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा,
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा ऊँचा सदा रहेगा।
कितने ही सुख सपने लेकर हम इसको लहराते,
इस झण्डे पर मर मिटने की कसम सभी हैं खाते।
हिन्द देश का पावन झण्डा घर-घर में लहरेगा,
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा ऊँचा सदा रहेगा।
नहीं चाहते हम दुनिया में अपना राज जमाना,
नहीं चाहते हम औरों के मुँह की रोटी खाना।
सत्य न्याय के लिए हमारा लक्ष्य सदा ही बहेगा,
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा ऊँचा सदा रहेगा।

The Times of India

BIRTH OF INDIA'S FREEDOM

NATION WAKES TO NEW LIFE

Mr. Nehru Calls For Big Effort From People

"INCESSANT STRIVING TASK OF FUTURE"

Assembly Members Take Solemn Pledge

FRENZIED ENTHUSIASM IN BOMBAY

Crowds In Festive Mood

LORD MOUNTBATTEN GREETS PAKISTAN

Mr. Jinnah Re-Affirms Firm Friendship With Britain

The Hindustan Times

INDIA INDEPENDENT BRITISH RULE ENDS

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊँचा रहे हमारा : भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को सम्बोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी एवं नागरिक उपस्थित थे। सबसे ऊपर लाल किले पर फहराता तिरंगा और बीच में स्वतंत्रता प्राप्ति के समाचार लिए अखबारों की झलक।